राजस्थान विधान सभा

सातवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक ९ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २९

किशनगढ़ सब-डिवीजन में वन क्षेत्र का सीमा निर्धारण

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ डिवीजन में कहां कहां फोरेस्ट एरिया का डिमार्केशन हो चुका है ?

(२) उक्त एरिया में किस-किस ग्राम से कितनी काश्त की भूमि ली गई है और उसके लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(१) किशनगढ़ सब-डिवीजन में निम्नलिखित वन खंडों का डिमार्केशन हुआ है :

बंवाल, कावरिया, बंधा बीड़, छोटा माला, मंडावरिया, तीखरया, टोंकडा, खातोली, भीमा डूंगरी, नरवर, माला बीड़, पीयूं वाला, जोधा वाला, भीमा वाला, मूंडो वाला, गोठियाना, गोडरणिया, डेग, बड़ा माला, उदयपुर डूंगर, चक, दसूक, राजी डूंगरी, बागड़ा, डांगड़ा, सेरू।

(२) कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रूप नगर के किसानों ने रजिस्टर्ड पोस्ट से महोदय के पास यह शिकायत की थी कि हम लोगों के काश्त की जमीन फोरेस्ट एरिया में दे ई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—काश्त की जमीन को फोरेस्ट एरिया में ली ही नहीं जा सकती। केशन का मतलब यह है कि उनकी काश्त की जमीन फोरेस्ट एरिया में आ जायगी। डिमार्केटेड या में काश्त की जमीन रह सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो जमीन डिमार्केटेड एरिया में रूप नगर तहसील में ले ली गई है वहां काश्त को रोकने के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिस जमीन पर काश्त की जा रही है वह डिमार्केटेड फोरेस्ट में नहीं ली जायगी, और वह उन्हीं काश्तकारों के पास रहेगी और वही काश्त करेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—जो जमीन काश्त की है वह डिमार्केशन करते वक्त फोरेस्ट एरिया में क्यों ली जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर डिमार्केशन एरिया में कोई जमीन काश्त की आ जाती है तो वह सारी की सारी लेन्ड जो उसमें आ गई है वह डिमार्केटेड एरिया में रहेगी और डिमार्केटेड फोरेस्ट लेन्ड के साथ साथ वह कल्टीवेटेड लेन्ड भी रहेगी ।

श्री चांदमल मेहता—डिमार्केशन किस आधार पर किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बड़ा लम्बा-चौड़ा विषय है, अध्यक्ष महोदय, कि किस आधार पर किया जाता है । यह तो मैं देहरादून फोरेस्ट स्कूल से पास होने के बाद बतला सकूंगा ।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि काश्त की भूमि डिमार्केटेड एरिया के अन्दर आने की हालत में काश्त की भूमि में जाने के लिये अगर बैल या कोई मवेशी जाते हैं तो आपके विभाग के द्वारा रुकावट डाली जाती है और कठिनाई पैदा की जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जाने का रास्ता है वह खुला रहता है, जाने में कोई रुकावट नहीं आती है ।

श्री चांदमल मेहता—जो रजिस्टर्ड पोस्ट से किसानों की मन्त्री महोदय के पास शिकायत पेश हुई है कि उनकी जामीनें छुड़ाई जा रही हैं तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मुझे यह तो जबानी पता नहीं । अगर आप किसी खास दरख्वा के बारे में अलग से सवाल करें तो जवाब दिया जा सकता है । जैसे ही दरख्वास्त आई होगी मुनासिब जैसा हुक्म हुआ होगा वैसा जवाब दिया जायगा । सब जगह की दरख्वास्तें आती हैं, राज भर की जबानी याद रखने की जिम्मेदारी तो मैंने नहीं ले रखी है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह की अर्जियों पर कोई कार्यवाह हुई है, पेडिंग पड़ी हुई हैं ?

Page No.3

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७

बूंदी जिले में सोल्जर्स होम के लिये राजस्थान व भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धन राशि

श्री केसरीसिंह—क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या जिला बूंदी में सोल्जर्स होम के लिये सरकार को बूंदी स्टेट से २५,०००) व भारत सरकार से २५,०००) मिले थे ?

(ख) क्या यह रकम अभी तक काम में नहीं ली गई है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार सोल्जर्स होम कब तक बनवाने की योजना रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) जून १९४७ में पोस्टवार रिकंस्ट्रक्शन फन्ड में से २०,००० की रकम दीवान रियासत बूंदी को सोल्जर्स होम बनाने के लिये मिली । बूंदी रियासत से कोई रकम इस काम के लिये दिया जाना नहीं पाया जाता ।

(ख) अभी बूंदी में सोल्जर्स होम नहीं बना ।

(ग) बूंदी में सोल्जर्स होम बनाने के लिये विचार किया गया और बूंदी में यह गृह बनाने की सम्भावना उन स्थानों के पश्चात् है जहां बूंदी की अपेक्षा सोल्जर्स की आबादी अधिक है ।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि इस सोल्जर्स होम का फाउन्डेशन स्टोन रख दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह—इस रुपये का क्या हो रहा है जो कि २०,००० रु० मिला था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह सारे सोल्जर्स को दिया जाता है । यह पोस्टवार रिकन्स्ट्रक्शन फंड का रुपया था और उसके द्वारा अलग-अलग सेन्टर्स खोले जाते हैं और उसमें वह खर्च किया जाता है ।

श्री केसरीसिंह—क्या इसके मुतल्लिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां ।

कर्नल श्री दलीपसिंह—सोल्जर्स होम का फाउन्डेशन स्टोन रखने के समय वित्त मन्त्री महोदय उस फन्क्शन में मौजूद थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं फन्क्शन में मौजूद नहीं था ।

Page No.4

श्री केसरीसिंह—क्या आप सत्य बोल रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं फंक्शन में मौजूद नहीं था।

श्री केसरीसिंह—जब कि लॉर्ड माउन्टबेटन ने फाउन्डेशन स्टोन रखा था उस वक्त आप मौजूद थे ?

श्री बृजसुंदर शर्मा—लार्ड माउन्टबेटन ने फाउन्डेशन रखा था उसमें मैं नहीं था।

श्री केसरीसिंह—क्या यह आपकी जानकारी में है कि लॉर्ड माउन्टबेटन ने उसका फाउन्डेशन स्टोन रखा था ?

श्री बृजसुंदर शर्मा—जी हां, यह मैंने सुना था।

श्री केसरीसिंह—क्या यह उनकी जानकारी में है कि फाउन्डेशन स्टोन रखा गया था और उसमें वह गये थे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने कहा है कि ऐसा सुना है, और आप जो कह रहे हैं तो वह ठीक है। इसलिये इसमें बहस की गुंजायश नहीं है।

श्री केसरीसिंह—यह सरासर झूठ है। फाउन्डेशन स्टोन रखा गया था। उस समय का फोटो लिया गया वह पिक्चर दिखला सकता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने इसका पहले ही उत्तर दिया है। वह सरासर झूठ है, तो यह आपकी इच्छा। मैंने यह कहा है कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है और आप कह रहे हैं कि मैंने कहा वह सरासर झूठ है।

श्री केसरीसिंह—वित्त मंत्री ने कहा कि वहां पर वे मौजूद नहीं थे, मैं उसके लिये कह रहा हूँ।

श्री बृजसुंदर शर्मा—I do not remember.

श्री कंवरलाल जेलिया—अब सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं एक्जामिन करके देखूंगा कि मामला किस प्रकार का है। जैसा आपने फरमाया कि फाउन्डेशन स्टोन ले किया गया था तो यह विषय विचारणीय है।

श्री संतोषसिंह—क्या फाउन्डेशन स्टोन दुबारा लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—The reply ought to be very definite when a big ceremony took place for the laying of the foundation stone.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That is why I said that.

श्री चन्दनमल वैद—फाउन्डेशन स्टोन ले करने के समय की फोटोज़ मौजूद हैं।

श्री केसरीसिंह—वह स्टोन भी मिल सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या उस स्थान पर नहीं है ?

श्री केसरीसिंह—जी नहीं, वहां से उखाड़ लिया गया है।

श्री जसवंतसिंह—लॉर्ड माउन्टबेटन इण्डिया में आने वाले हैं, उनसे पूछ लिया जाय कि उन्होंने फाउन्डेशन स्टोन रखा या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि स्टोन मिल सकता है तो इनसे क्यों नहीं मांग लिया जाय ?

श्री केसरीसिंह—फाउन्डेशन स्टोन मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या २८

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में बनाये गये व बनाये जाने वाले पावर हाऊसेज़

श्री चांदमल मेहता:—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में किन किन स्थानों पर नये पॉवर हाउस बनाने की योजना थी ?

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत कहां कहां पॉवर हाउस नये बनाये जा चुके हैं ?

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां कहां पॉवर हाउस को बड़े बनाने की योजना थी ?

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत किन किन पावर हाउस में क्या क्या वृद्धि की गई ?

(ङ) किशनगढ़ पॉवर हाउस के लिए क्या योजना रखी गई थी ?

(च) उक्त योजना के मातिक अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—

Page No.6

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अरबन एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में निम्नलिखित नये पावर स्टेशन बनाने की योजना थी:—

१. बिलाड़ा और सोजत	७. टोड़ा भीम
२. नागौर	८. राज समन्द
३. चित्तौड़ गढ़	९. बारां
४. जालौर	१०. सवाई माधोपुर
५. सुमेरपुर	११. तारा नगर
६. डीडवाना (मोलासर)	१२. झुन्झुनू

(ख) कहीं नहीं।

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े बनाये गये पावर हाऊसेज की सूची—

१. जयपुर	९. झालावाड़
२. जोधपुर	१०. निवाई
३. बीकानेर	११. हिंडोन, बकरोली
४. कोटा	१२. जैसलमेर
५. अलवर	१३. सागवाड़ा
६. भरतपुर	१४. डूंगरपुर
७. किशनगढ़	१५. भीलवाड़ा
८. डीग	१५. शाहपुरा

(घ) पॉवर प्लान्ट की डिलीवरी लम्बी होने के कारण तमाम प्रस्तावित जेनरेटिंग सेट निम्नलिखित स्थानों के अतिरिक्त लगाना सम्भव नहीं हो सका।

अलवर	२०० किलोवाट
जोधपुर	१००० किलोवाट
भीलवाड़ा	१०० किलोवाट

किशनगढ, झालावाड़ व भीलवाड़ा में पॉवर प्लान्टस पहुंच चुके हैं और हिंडोन व निवाई में मार्च १९५६ के अन्त तक पहुँच जाने की आशा की जाती है।

(ङ) इसका उत्तर उपरोक्त (घ) के उत्तर के अन्तर्गत ही आ जाता है।

Page No.7

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(च) प्लान्ट्स किशनगढ़, झालावाड़ व भीलवाड़ा में पहुँच चुके हैं और इरेक्शन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता:—जहां नये पॉवर हाउस लगाने की योजना थी वहां वे इस पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक नहीं लगा पाये, इसका क्या कारण है ?

श्री रामचंद्र चौधरी:—इस में पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन जुन १९५५ में हुई और उसके बाद भारत सरकार की यह आज्ञा थी कि सामान लाना है वह कोलम्बो योजना के अनुसार हीं लाना हैं, दूसरी जगह से नहीं लिया जावे। सितम्बर में इतला आई कि वहां से सामान मिलना मुश्किल है इसलिए सेप्टेम्बर के बाद सामान अन्य स्थानों से मंगाने की कार्यवाही की गई।

श्री चांदमल मेहता—सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं ली गई क्या ?

श्री रामचंद्र चौधरी—वहां से मंजूरी समय पर नहीं आई।

श्री चांदमल मेहता—क्या उनसे मंजूरी मांगी गई थी ?

श्री रामचंद्र चौधरी—मंजूरी मांगी गई थी।

श्री चांदमल मेहता—कब मांगी गई थी और उसके लिए रिमाइण्डर दिये गये या नहीं ?

श्री रामचंद्र चौधरी—रिमाइण्डर भी दिये गये और सब कार्यवाहियां की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के पॉवर हाउस की प्रगति उलटी हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—आपके यहां पॉवर प्लांट पहुँच चुका है और उसे लगाना शुरू किया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्लांट पहुँचने के पहले बिल्डिंग बनाने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई ?

श्री रामचंद्र चौधरी—जब तक पॉवर प्लांट नहीं पहुंचे तब तक कैसे पता चले कि कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो प्लांट पहुँचा है वह आवश्यकता के लिए नाकाफी है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—जो इन्जीनियर्स की राय है वही मान्य हो सकती है, आपकी राय सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मैं इन्जीनियर्स की राय जानना चाहता हूँ ।

श्री रामचंद्र चौधरी—वे कहते हैं कि काफी है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ के कारखानेदारों ने अपनी ओर से मांग की है उसके माफिक यह प्लान्ट ना काफी है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—कारखानेदारों की मांग कभी कुछ आई और कभी कुछ । उनकी आखिरी मांग के अनुसार ही यह प्लांट लगाया जा रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—मौजूदा प्लांट कब लग जायगा ?

श्री रामचंद्र चौधरी—वह जल्दी ही लग जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या बिल्डिंग बन जाने से पहले ?

श्री रामचंद्र चौधरी—मैंने कहा जल्दी ही चालू हो जायगा ।

श्री संतोषसिंह—क्या प्लांट मंगाने के लिए टेंडर मांगे जा चुके हैं ?

श्री रामचंद्र चौधरी—हां ।

श्री संतोषसिंह—टेंडर मंजूर क्यों नहीं किए गए ?

श्री रामचंद्र चौधरी—स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थे । इसलिए मंजूर नहीं किये गये ।

श्री संतोषसिंह—मेसर्स रकंड के टेन्डर्स लोएस्ट थे फिर क्यों नहीं मंजूर किए गए ?

श्री रामचंद्र चौधरी—उससे भी लोएस्ट थे लेकिन स्पेसिफिकेशन के माफिक नहीं थे ।

श्री संतोषसिंह—किस स्पेसिफिकेशन के जेनरेटर मांगे थे ?

श्री रामचंद्र चौधरी—यह अलग प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—यह सप्लीमेन्ट्री मूल प्रश्न से बिल्कुल डिफरेन्ट है ।

श्री संतोषसिंह—एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, भीलवाड़ा में कब तक लग जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह इनका आखिरी सवाल है ।

श्री रामचंद्र चौधरी—इसके लिए भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री संतोषसिंह—यह साल खत्म होगा उससे पहिले हो जायगा क्या ?

Page No.9

श्री रामचन्द्र चौधरी—नहीं।

प्रश्न संख्या २६

मंहगाई भत्ता देने का आधार और उस में परिवर्तन

श्री केसरी सिंह—क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) मंहगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कम वेतन वाले को मंहगाई कम मिलती है और अधिक वेतन वाले को अधिक ?

(३) क्या सरकार इस आधार को परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्तमंत्री)—मंहगाई भत्ता निम्नलिखित आधार पर दिया जाता है :

४० रू. मासिक से कम वेतन पाने वाले को					१५ रू. मासिक भत्ता
४० और इससे अधिक किन्तु ६० मासिक से कम वेतन पानेवाले को					२० रू.
६० रू.	,,	,,	१००	,, ,,	२५ रू.
१०० रू.	,,	,,	२००	,, ,,	३० रू.
२०० रू.	,,	,,	५००	,, ,,	३५ रू.
५०० रू.	,,	,,	७००	,, ,,	४० रू.
७०० रू.	,,	,,	१००० तक	,, ,,	५० रू

१००० रू. से अधिक पानेवालों को भत्ता इस आधार पर दिया जाता है कि भत्ता और वेतन दोनों मिलकर अधिकतम वेतन १०५० हो जावें।

(२) जी नहीं। तनख्वाह के परसेन्टेज से यह परसेन्टेज ३७ परसेन्ट से ५ परसेन्ट तक है जो सबसे कम तनख्वाह वालों को सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा तनख्वाह वालों के सबसे कम है।

(३) जी नहीं।

श्री केसरीसिंह—जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनको क्या भत्ता भी ज्यादा मिलता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—भत्ता ५ परसेन्ट से ३७ परसेन्ट तक मिलता है। सबसे कमवालों को उनके वेतन का ३७ परसेन्ट और सब से ज्यादा तनख्वावालों को उनके वेतन का ५ परसेन्ट भत्ता मिलता है।

Page No.10

श्री केसरीसिंह—मेरा पूछने का मतलब यह है कि जब कि बड़ी तनख्वाह वालों को इतनी पे मिलती है तो क्यों नहीं उनका महंगाई भत्ता कम किया जावे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—१००० रू. पानेवाले को ५०रू. ही मिलते हैं और २० रू. पानेवाले को १५ रू. मिलते हैं। यदि इनका प्रपोर्शन देखेंगे तो छोटी तनख्वाह वालों का परसेन्टेज ज्यादा और ज्यादा तनख्वाह वालों का परसेन्टेज कम आयेगा।

श्री केसरीसिंह—१००० रू. तनख्वाह पानेवालों को ५० रू. मंहगाई भते के और देना क्या मुनासिब है ?

श्री अध्यक्ष—जो देते हैं वह आपको बतला दिया गया है। मुनासिब है या नहीं, यह दूसरी बात है आप इन्फॉरमेशन सीक करिये।

प्रश्न संख्या ३०

वर्तमान वर्ष में तहसील रुपनगर में किसानों की कृषि योग्य भूमि में खेजड़ियां छांगने के ठेके

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) चालू वर्ष में रूपनगर तहसील में किसानों की काश्त को भूमि में खेजड़ियां छांगने के कितने ठेके वन विभाग द्वारा दिये गये हैं ?

(२) उक्त ठेके किस कानून के अन्तर्गत दिये गये तथा उनसे राज्य सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(१) एक भी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता— माननीय मंत्री महोदय के पास इस तरह का एक डेप्यूटेशन गया था कि रूपनगर तहसील में काश्त की जमीन में खेजडियां उनको काटने का ठेका दिया जा रहा है, उसको रोका जावे; क्या यह सच हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिये उस समय आदेश जारी कर दिये गये थे। इस वर्ष कोई डेप्यूटेशन आया नहीं।

श्री चांदमल मेहता—मैं स्वयं आपके पास आया था और आपसे निवेदन किया था कि ठेका हो रहा है और उसकी रकम वसूल हुई है इसकी जांच कराई जावे। इस तरह से गलत जबाब सदन में देने की परम्परा है उसको माननीय अध्यक्ष, रोका जावे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अगले साल की बात है। गत वर्ष आप आये थे और इस प्रकार का ठेका बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—अगले साल आया था और उस समय आपने बन्द करने के आदेश दे दिये थे। मैं इस साल भी आपके पास आया था आपने कहा कि बन्द कर दिये गये, मगर फिर भी चालू हुए। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष कि जो कुछ कहा जावे वह गलत नहीं कहा जावे और इस प्रकार की परम्परा हाउस में नहीं होनी चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर मैं गलत जवाब देकर गलत परम्परा डाल रहा हूँ तो आप इसको साबित कर दें या मैं इसको साबित कर दूं कि आप गलत कह रहे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपको याद है क्या कि आपसे मिले थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वेस्ट लैंड पर ठेका दिया गया है और इसके लिये फोरेस्ट विभाग को ऐसा करने का अधिकार है। काश्तकारों की जमीन पर इस प्रकार का कोई ठेका नहीं दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—जो किसान काश्त करते हैं और उनके खेतों से काटने का ठेका दिया गया और बाद में माननीय मंत्री महोदय ने यह तय कर दिया कि ठेका नहीं दिया जावे, क्या वे कागजात अभी तक पेन्डिंग हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप एक स्पेसिफिक नाम बतावें।

श्री चांदमल मेहता—एक नहीं, अनेक हैं।

("हिअर हिअर" की विरोधी पक्ष की ओर से आवाज)

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ३१.

केन्द्रीय सरकार से गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को मिली हुई धन राशि

श्री केसरीसिंह—क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को गृह निर्माण स्कीम के लिये कितनी राशि मिली है ?

(ख) इस स्कीम में कर्ज किस प्रकार मिलता है ?

(ग) क्या सरकार सम्मिलित रूप में भी कर्ज देती है ?

Page No.12

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में अल्प आय गृह निर्माण योजना के लिए एक करोड़ रूपये की धन राशि की स्वीकृति हुई है ।

(ख) अल्प आय गृह निर्माण योजना के सम्बन्ध में ऋण देने के लिए जिलाधीशों को जो निर्देश दिये गये हैं उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । इसमें ऋण मिलने का पूर्ण विवरण है । (निर्देश प्रति उपलब्ध नहीं)

(ग) सम्मिलित ऋण सिर्फ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज व लोकल बोर्डज् को ही दिया जाता है ।

श्री केसरीसिंह—क्या एक फेमिली के दो अलग अलग शख्सों को अलग अलग ऋण मिल सकता है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक ही व्यक्ति पर निर्भर रहने वालों की पिता या पुत्र दोनों को अलग अलग ऋण नहीं दिये जा सकते ।

श्री केसरी सिंह—एक फेमिली में दो व्यक्ति हैं, बाप और बेटे । क्या उनको सम्मिलित रूप से कर्ज मिल सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर वे अलग अलग रहते हैं तो मिल सकता है और शामिल रहते है तो फॉ नहीं मिल सकता ।

प्रश्न संख्या ३२

किशनगढ़ में विभिन्न कारखानों द्वारा पॉवर देने की सरकार के समक्ष मांग

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ में किस किस कारखाने द्वारा कितना कितना पॉवर लेने की सरकार के समक्ष मांग पेश हुई है ?

(ख) किशनगढ़ में कितने किलोवाट बिजली का प्लान्ट लगाने की सरकार की योजना है ?

(ग) क्या किसी पार्टी ने अपनी तरफसे पॉवर हाउस लगाने की मांग की है ?

(घ) यदि हाँ तो किन शर्तों पर ?

Page No.13

[श्री केसरीसिंह]

(ङ) क्या नये प्लान्ट खरीद करने के बाबत सरकार द्वारा कार्यवाही हुई है ?

(च) यदि हां, तो कब तक नया प्लान्ट लगाने की तजवीज है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) इस विभाग के पास प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित कारखानों द्वारा उनके सामने दिए मुताबिक मांग है:—

१. राजपूताना माइनिंग सिनडिकेट लिमिटेड किशनगढ़ बम्पर उन्होंने परन्तु एक ७० किलोवाट मांगा था। २८० किलोवाट।

२. महाराजा किशनगढ मिल्स लिमिटेड किशनगढ १०० ,,

३. श्री किशनगढ इन्डस्ट्रियल क० मदनगंज किशनगढ ७० ,,

(ख) वर्तमान प्लान्ट के अतिरिक्त प्रत्येक १०० किलोवाट के दो डीजल जेनरेटिंग सेट्स और लगाए जावेंगे। यह सेट साइट पर पहुंच चुके हैं।

(ग) इस विभाग के पास प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी जन साधारण से निजी पॉवर प्लॉन्ट लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नए प्लॉन्ट्स को प्राप्त करने के लिये आवश्कीय कार्यवाही पहिले ही की जा चुकी है।

(च) डीज़ल जेनरेटिंग एन्जिन किशनगढ़ में पहुँच चुके हैं और उनके लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसी पार्टी ने प्राइवेट प्लान्ट लगाने की मांग की और सरकार ने कह दिया कि प्राइवेट प्लान्ट खरीद लिया जावे और वह खरीदा गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—ऐसी चीज मुझे मालूम नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह का आश्वासन आपसे पहले वाले मंत्रीमंडल ने दिया था और उसके आधार पर वह प्लान्ट खरीद लिया गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी—कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ की आवश्यकता के माफिक नया प्लान्ट कब तक लगा दिया जावेगा।

Page No.14

श्री रामचन्द्र चौधरी—वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट लगाया जाने वाला है, इसलिये टरबोनेटर सेट अगर मंगाया जावे तो दो साल से पहले डिलीवरी नहीं मिले और साल भर उसके लगाने में लग जावे। ऐसी सूरत में २० लाख रुपये खर्च करना उचित नहीं जान पड़ता। फिलहाल इस साल जो सेट है उससे काम चलाया जावेगा और फिर जब हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर प्लान्ट जावेगा तब पूरी बिजली मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३.

राजस्थान निर्माण के पश्चात् किशनगढ़-जयपुर सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेंग में व्यक्तियों का हताहत होना

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद जयपुर किशनगढ़ रोड पर सार्वजनिक निर्माण भिवाग के गेन्ग के कौन कौन कर्मचारी ओन ड्यूटी मोटर एक्सीडेन्ट में घायल हुये या मृत्यु के शिकार हुये?

(ख) उक्त कर्मचारियों या उनके परिवार वालों को सरकार द्वारा क्या सहायता दिलाई गई?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(१) गणेश जमादार और (२) रामदेव बेलदार।

(ख) कोई सहायता नहीं दिलाई गई।

श्री चांदमल मेहता—जब वे ओन ड्यूटी मर गये तो फिर कोई सहायता नहीं देने का क्या कारण है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—ओन ड्यूटी का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति काम करते समय मशीनिरी से मर जावे। मगर जैसे सड़क बन रही है, रोलर उस पर से चलाजा वे और उससे उसकी मृत्यु हो जावे तो उसको सहायता मिल सकती है।

श्री चांदमल मेहता—ये लोग जो मारे गये वे सड़क पर पानी दे रहे थे और मोटर एक्सीडेन्ट हो गया उससे मारे गये, क्या उन पर यह लागू नहीं होता?

श्री रामचन्द्र चौधरी—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस पर दुबारा विचार करेगी कि वे लोग सड़क पानी दे रहे थे और ओन ड्यूटी थे?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसके लिये एक्ट बना हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसको एमेन्ड करने का विचार कर रही हैं कि इस प्रकार से मारे जाने वाले लोगों को सहायता दी जावे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४

राजस्थान की ट्रेजरियों में अतिरिक्त ट्रेजरी अधिकारियों के रिक्त स्थानों की पूर्तियें

श्री केसरीसिंह—क्या वित मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान की कितनी ट्रेजरियों में एडीशनल ट्रेजरी ऑफिसरों की जगह मंजूर शुदा हैं?

(ख) कितनी ट्रेजरियों में और कब से यह जगह खाली है और सरकार कब तक एडीशनल ट्रेजरी ऑफिसर तैनात करना चाहती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— (क) केवल जयपुर ट्रेजरी में एडिशनल ट्रेजरी ऑफीसर की जगह मंजूर है।

(ख) कोई जगह खाली नहीं है, इसलिये भरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री केसरीसिंह—जयपुर ट्रेजरी में एडीशनल ट्रेजरी ऑफिसर कब आया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिये आप अलग प्रश्न करें।

श्री केसरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, काफी अर्से तक यह प्रश्न चल रहा था और प्रश्न पूछे जाने के बाद ही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न 'ख' का जवाब दिया नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जवाब दे दिया गया है, कोई जगह खाली नहीं है।

प्रश्न संख्या ३५.

जनवरी १९५५ के पश्चात विभिन्न सहकारी समितियों को सबसिडी के रूप में दी गई धन राशि

Page No.16

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) १ जनवरी, सन् १६५५ के बाद किन किन सहकारी समितियों को कितने कितने रूपये सबसिडी रूप में दिये गये ?

(२) सबसिडी किस आधार पर दी जाती है ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(१) जनवरी १६५५ के बाद जिन सहकारी समितियों को अनुदान दिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सहकारी समितियों को उनके शैशव काल में उचित खर्चे के लिये, अन्य चालू समितियों को जो अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खड़ी नहीं हो सकती हैं कार्य चलाने हेतु तथा घाटे की हालत में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की सिफारिश पर, अनुदान दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसी आधार पर किशनगढ़ की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सबसीडी देना नामंजूर कर दिया गया है ?

श्री खेतसिंह—आधार तो यह था कि इस केटेगरी में आई होगी तो जरूर सबसीडी मिली होगी और अगर नहीं आती है तो नहीं दी होगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस केटेगरी में आने के बारे में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कन्विन्स किया गया है उसके बावजूद भी किशनगढ़ की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं दिया।

श्री खेतसिंह—ऐसी जानकारी मुझे नहीं है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कन्विन्स कर दिया और उन्हें ही कहा है तो इसका पता लगा लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—Questions are now over, Next, Shri Mohanlal Sukhadia.

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय,

(करतल ध्वनि)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १८७ के उपनियम (२) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

से, जन लेखा समिति १९५६-५७ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १८६ के उपनियम (२) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, प्राक्कलन समिति १९५६-५७ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

श्री वेदपाल त्यागी—प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व ही हमें यह सूचना मिल चुकी है कि १५ तारीख को नोमिनेशन लिये जावेंगे तो सूचना मिलने से पूर्व ही प्रस्ताव स्वीकार किये जाने चाहिए थे।

श्री अध्यक्ष—This was to be read yesterday and a formal proposal was necessary. In advance we circulate so many things to the hon'ble members. That is for the convenience of the hon'ble members. If the hon'ble members do not like, we will not circulate in advance.

कुं. श्री जसवंतसिंह—In other matters we agree but in this matter it is wrong.

श्री अध्यक्ष—If this is wrong in this matter, then it is wrong in all other matters.

श्री जसवन्तसिंह—अदर मेटर्स आते हैं आगे !

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजनेस।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित होने वाले विधेयक

राजस्थान हेबिचुअल ऑफेण्डर्स (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान हेबिचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५६

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्या विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री भैरूसिंह—इस पर मुझे कुछ अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष—क्या ?

श्री भैरूसिंह (१६)—आज्ञा न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आज्ञा न दी जाय, यह तो थोड़ा अनुचित व अवैधानिक रहेगा। No Bill is objected to on the introduction stage. When leave is sought, as a matter of practice and tradition, it is not refused. But on the next stage the hon'ble member can raise as many objections as he likes. At this stage it will not be desirable to object to the leave being granted in the interest of healthy traditions.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, जहां तक परम्पराओं का प्रश्न है यह उचित हो सकता है लेकिन बार-बार संशोधन आते हैं और छोटी-छोटी बातों के लिये संशोधन लाकर सदन का समय लिया जाता है, यह उचित नहीं है। मेरा इसमें यह निवेदन है कि जागीर रिज़म्पशन के सम्बन्ध में पहले संशोधन आये हैं और अब और आये हैं और कई संशोधन लाने हैं उनको एक

[श्री भैरोंसिंह]

जगह इकट्ठा किया जाकर एक संशोधन बिल लावें तो ज्यादा उचित होगा । अगर इसको एक इन्ट्रोडक्टरी स्टेज पर मान लिया गया तो मैं मानता हूँ कि उसके अनुसार जिन क्लॉजेज़ पर दूसरे संशोधन आवेंगे उनके सम्बन्ध में फिर दूसरे संशोधनों को लाया जावेगा तो मना नहीं कर सकते, उन पर पाबन्दी न हो सकेगी । चूंकि राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण कानून के सम्बन्ध में और भी विचार हो सकते हैं, उन संशोधनों को लेकर सदन में प्रस्तुत करें तो वह उचित हो सकता है । मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी अनुमति ले ली जाय और हम संशोधन प्रस्तुत कर सकें तो उस रूप में संशोधन विधेयक लाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—If there be any constitutional difficulty regarding the introduction of the Bill, that can be easily understood by the House. But if the hon'ble member has an objection to the coming of the Amendment Bill time and again, I think there is no way open for him. The rule of democracy exists in the majority having its way and the minority having its way. So when the Bill is introduced no objection should be raised. After introduction when the stage of consideration of principles and other things come, the hon'ble member can raise his objection regarding the principles and at any stage by putting his amendments. So at this stage I appeal to him that it will not be desirable in the interest of healthy traditions of parliamentry life to object to the introduction of this Bill. I think he will agree with me and moreover he had his say.

So is it the wish of the House that leave be granted for the introduction of the Bill ?

(स्वीकृत)

Leave is granted,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान बन्दी अभिज्ञान विधेयक, १९५६

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बन्दी अभिज्ञान विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

क्या यह सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया जाय ?

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान ब्योहरा विधेयक, १९५६

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान ब्योहरा विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री राजा हिम्मतसिंह—समझे नहीं, यह ब्योहरा क्या है ?

श्री अध्यक्ष—राजस्थान मनीलेन्डर्स बिल।

(विराम)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री रामकिशोर व्यास—मैं राजस्थान पब्लिक डिमाड्न्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—राजप्रमुख के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। मुख्य मंत्री उसका जवाब देंगे।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मैं दो मिनट बोलना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member had already spoken.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—I don't want to speak but there are some members who want to speak, Sir.

श्री अध्यक्ष—I may, for the information of the hon'ble members say that this time the number of members who have spoken is utmost that has reached 30. In other sessions the number was 23, 24 or utmost 279.

Now we are having the Budget Session and I think those members who have not spoken on the Rajpramukh's Address will like to say-rather put their views when we come to the Budget discussion.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—The point is this. There is very much keenness on the part of the hon'ble members because of the last session to speak now. So during the discussion on the supplementry grants, some time may be cut down. In any case half an hour more, if you please, may be given to us this time. This time may be cut from the time allotted for the discussion on the supplementary grants.

श्री अध्यक्ष—I am prepared to give one more day if you sit for tomorrow.

कुछ माननीय सदस्य—No, No.

श्री अध्यक्ष—Then I call the Chief Minister to reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर पिछले तीन दिनों से लगातार बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि कुछ चीजों ने इसमें आम तौर से अपना स्थान लिया है और कुछ चीजें बीच बीच में कई प्रकार की आती रहीं। अगर मैं यह कह दूं तो गलत नहीं होगा कि बहुत सी बातें इस प्रकार की थीं जो बहस के दौरान में कही गईं; जो शायद किसी सदन के अन्दर एक व्यक्ति कहना पसन्द नहीं करेगा।

मैं सब से पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि कल एक माननीय मित्र ने जब यह कहा कि यह नाजी सरकार है तो मैं यह सुनकर आश्चर्यान्वित होता था कि माननीय सदस्य कह क्या रहे हैं, वे बोलने वाले माननीय सदस्य कौन हैं, क्या बोल रहे हैं और जो वे बोल रहे हैं वे स्वयं इस बात को अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं कारण नहीं समझ सका कि क्या इतनी

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

तेजी उनके भाषण के अन्दर थी इस बात को समझना मुश्किल नहीं, लेकिन नाजी सरकार कहने के पहले अगर माननीय सदस्य नाज़िज्म का अध्ययन कर लेते और समझ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। नाज़िज्म क्या है, क्या नहीं, यह उनके लिए समझने की बात थी। मैं एक बात आप से यह अवश्य चाहता हूं, जो यह कि इस सरकार के कायम होने के बाद राजस्थान के अन्दर चाहे कितने ही आंदोलन हुए हों, सरकार ने किसी एक भी जगह गोली नहीं चलाई और और न चलने का अवसर ही आया। अगर नाजी सरकार होती तो न मालूम यहां क्या होता? केवल एक व्यक्ति आज सरकार से नाराज है और वह नाजी सरकार की बातें करते हैं जब कि इस सदन के अन्दर प्रत्येक सदस्य को यह हक है कि वह सरकार को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। जब इस प्रकार की बातें उनके द्वारा कही गई तो मैं समझता हूं कि न वे बातें केवल इस सरकार के लिए अपमान जनक हैं बल्कि सदन के मूल आधार के प्रति भी अपमानजनक बात है। किसी भी बात को सदन में कहें, उसमें संतुलन होना चाहिये। और खास तौर से उस जगह पर कहना जहां प्रत्येक सदस्य को इस बात का अधिकार है कि वह चाहे सरकार को बदल सकता है, उसकी जगह दूसरी कायम कर सकता है जिसमें जिसको सरकार बदलने का हक है माननीय सदस्य वहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो मैं समझता हूँ वह और ही बात को जाहिर करने वाला मालूम होता है। मैं समझता और जानता हूं कि वे बातें क्या हैं जो सब आसानी से समझ में आ सकती हैं।

उसके बाद उन्हीं माननीय सदस्य द्वारा सुन रहा था, मैं पूरी तौर से समझ नहीं पाया कि वे कहना क्या चाहते हैं, वे बहस के दौरान में कह गये कि भूस्वामी संघ का आंदोलन सरकार करवा रही है। मैं समझता हूं इस बात को शायद एक भी सदस्य विश्वास नहीं कर सकता जिस चीज की इतने दिनों से लगातार आलोचना की जाती है और वे स्वयं एक तरफ यह कहते हैं कि बहुत ज्यादती हो रही है और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है और सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वही इस आंदोलन को चला रही है। सही बात तो यह है कि अगर कोई भी उस भाषण को सुने वह अन्दाज लगा सकता है कि अगर इस आंदोलन को प्रोत्साहन मिल सकता है तो किनके भाषण से और किस बात से मिल सकता है। बिना सोचे समझे बिना किसी बात के विस्तार में गये किसी बात को सदन में कह देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार वे बहस के दौरान में यह कह गए कि सदन के अन्दर बलवन्तसिंह बैठे हुए हैं। मैं समझ नहीं पाया माननीय अध्यक्ष, कि क्या क्या बातें एक ही सदस्य बोलते चले जा रहे हैं क्या बातें एक के बाद एक कही जा रही हैं। और वे सब बातें एक ही सदस्य द्वारा जो कि बड़े जिम्मेदारी के पद पर रह चुके हैं जिनको बड़ा भारी अनुभव है, जिन्होंने निष्पक्षता से शासन चलाया, उच्च आदर्शों पर जिन्होंने सरकार चलाई उनके द्वारा इस प्रकार की बात का कहा जाना, इस बात को समझना कोई मुश्किल बात नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि यहां बलवन्त सिंह कौन हैं, तो वे इधर उधर टालने लगे बातों को! हम इस सदन के अन्दर किसी भी माननीय सदस्य के प्रति जब कोई प्रमाण न हो, पक्की बात न हो तब तक इस प्रकार की बात मुंह से निकालना एक बहुत गलत परम्परा है। यह अपने गुस्से को इजहार करने का गलत स्थान है।

Page No.23

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं इतना कहने के बाद इस बात पर आना चाहता हूं, एक दो माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सरकार ग्रूप पेटर्न पर काम करती है; जैसे जल बोर्ड बनाये गए, भारत सेवक समाज का काम एक व्यक्ति को दे दिया गया और सोशियल वेलफेयर का भी जो काम होता है उसमें अपनी पत्नियों को लगा देते हैं, ये सारी बातें बड़े सुन्दर शब्दों में कही गई

एक माननीय सदस्य—वास्तव में ठीक बातें हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(जारी रखते हुए) अफसोस इस बात का है कि ग्रूप पेटर्न केवल हम ही मानते हैं या भारत सरकार भी ग्रूप पेटर्न को मानने लग गई है। भारत सेवक समाज का काम जिस व्यक्ति को सौंपा गया है माननीय मित्र उसको पसन्द नहीं करते, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं। हमने तो यहां से किसी के लिए सिफारिश नहीं की। एक्स क्रिमिनल ट्राइब्ज़ का काम भी जिनको सौंपा गया उससे भी माननीय मित्र को नाराजी है। ये सब हम से बिना पूछे ही सौंप दिये जाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। ग्रूप पेटर्न या योग्यता के आधार पर जो भी तय करता है वह भारत सरकार ही निर्णय करती है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आज जो यह समझते हैं कि हर काम ग्रूप पेटर्न के आधार पर होता है क्या और काम करने का अवसर दूसरों के सामने नहीं रहा। वाटर बोर्ड के लिए कहा जाता है कि कुछ व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया, अगर उसमें एक व्यक्ति नहीं तो क्या उनके लिए दूसरा काम करने का क्षेत्र बन्द है; मान लीजिए भारत सेवक समाज के अन्दर वे नहीं और भी कई कार्य हैं जिनमें योग दे सकते हैं। यह किसी भी राजस्थानी से छिपा नहीं है कि इस वर्ष में ५.० लाख रुपये का श्रमदान का कार्य हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें काम करने के लिये व्यक्ति नजर नहीं आये, इस काम के अन्दर दिलचस्पी लेने के बजाय इस काम से अलग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई ग्रूप पेटर्न नहीं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज इस आधार पर काम कर रही हैं। जहां सब एम. एल. एज. का सहयोग लिया जाता है। बातें की जाती हैं ग्रूप पेटर्न की लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ में काम करने के लिए कोई नहीं पहुँचता। कुछ व्यक्ति नाराजगी के अन्दर काम करना छोड़कर केवल टीका करना जिसका काम रह गया है; इस वजह से उनकी जो नाराजगी है उसको हम पर आकर क्यों उतारें ? हमें तो आप क्षमा करें। उनका गुस्सा हमारे पर क्यों उतारा जाता है ? हर जगह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज हैं जहां सब एम. एल. एज को मौका है। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के जो भी मेम्बर होते हैं उनको इसके लिए कन्सल्ट किया जाता है, अगर इसमें काम करना शुरू कर दें तो वे अपने क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, प्लानिंग कमीशन द्वारा रुपया तो बहुत मिल गया लेकिन जो भी रुपया खर्च किया जाता हैं वह क्षेत्रीय भावना के आधार पर और पक्षपात पूर्वक खर्च किया जाता है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, इस वर्ष मैं समझता हूँ पहली बार यह मौका था कुछ ऐसे जिले जहां पर नेशनल ब्लॉक पहले नहीं थे, उन जिलों के अन्दर भी कम से कम एक एक्स्टेन्शन ब्लाक हो पाया है, इसका प्रयत्न किया गया तो आज मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर,

Page No.24

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सब जिलों के अन्दर एक न एक एक्सटेन्शन ब्लाक है जो पहले नहीं थे। हम लोगों के कार्य भार संभालने के बाद निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जो लोकल डेवलपमेन्टस वर्क्स के लिये रुपया मिलता रहा है, जो करीब २१ लाख के आस पास है जो आबादी के आधार पर जिलों के अन्दर वितरित किये गये हैं किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया और उन रुपयों का उपयोग वहां की डेवलपमेन्ट कमेटिज के द्वारा किया गया है। इसके अलावा और भी अन्दाज हो जाय माननीय सदस्यों को, इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रथमपंचवर्षीय योजना के अन्दर डेवलपमेन्ट पर भी अलग अलग खर्चा हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं शिक्षा के बारे में जिलेवार आंकड़े आपके सामने उपस्थित करता हूं।

जयपुर जिले में	२७,७८,०००)
झुंझुनूं	करीब ७ लाख
सीकर	६,२८,०००)
अलवर	१२ लाख
भरतपुर	१३ लाख
सवाई माधोपुर	७,२२,०००)
टौंक	५,६५,०००)
कोटा	१४,४३,०००)
बूंदी	३,७५,०००)
झालावाड़	५,०४,०००)
उदयपुर	२४,७२,०००)
बांसवाडा	६,६४,०००)
डूंगरपुर	४,२२,०००)
चित्तौड़	७,०२,०००)
भीलवड़ा	८,८६,०००)
जोधपुर	४८,७०,०००)
नागौर	११,६६,०००)
पाली	७,७६,०००)
जालौर	६,४८,०००)
बीकानेर	१५,३८,०००)
बाड़मेर	४,७६,०००)

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सिरोही	३,६८,०००)
चुरू	७,५१,०००)
गंगानगर	६,५३,०००)

यह कुल योग मैंने बताया । यह २ करोड़ ८३ लाख में से खर्च किया गया है । इसके आंकड़े प्रथम पंचवर्षीय योजना के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई पर भी निवेदन कर देना चाहता हूं :

जयपुर जिले में	२४,३२,०००)
अलवर	१४,८८,०००)
भरतपुर	६४,७४,०००)
सवाई माधोपुर	६१,४८,०००)
कोटा	३२,६०,०००)
बूंदी	६८,१४,०००)
झालावाड़	१३,१०,०००)
उदयपुर	६१,५४,०००)
भीलवाड़ा	१५,८६,०००)
डूंगरपुर	२१ लाख ।
चित्तौड	४७ लाख ।
बांसवाड़ा	१०,३३,०००)
जोधपुर	४,२५,०००)
नागौर	१ लाख ।
पाली	१,६६,०८८)
जालौर	३५ लाख ।
सिरोही	१६,०६,००७)

इसके अलावा भाखरा और चम्बल पर जो खर्चा हो रहा है वह इसमें नहीं दिया गया है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसमें बीकानेर का नाम नहीं आया है ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बीकानेर के लिए कोशिश की जा रही है।

अब मैं सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। डिविजनवाइज कह देता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका तो एक बुलेटिन निकाल दो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बुलेटिन तो निकलेगा ही। वैसे मैं आपको कह देता हूं :

जयपुर डिविजन २२,५०,०००)
जोधपुर डिविजन १२,८०,०००)
बीकानेर १०,४०,०००)
उदयपुर १३,३०,०००)
कोटा ५,७६,७०,०००)

ये मैंने कुछ आंकडे आपके सामने निवेदन किये। उनके अन्दर जैसा मैंने कहा भाखरा और चम्बल की योजनाओं के फिगर्स नहीं हैं। पर उनको देखने से यह अन्दाज हो सकता है कि किस प्रकार से खर्च करने के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना में काम किया गया। वह बहुत कुछ निश्चित था। जहां अन्त में कुछ गुंजाइश थ. जैसे नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक आदि में उनके बारे में मैंने निवेदन किया कि किस प्रकार से उस खर्चे में कमी की गई।

मैं आगे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं जिससे अलग अलग डिस्ट्रिक्टवाइज प्लान मालूम हो सके।

तो ये चीजें मैंने आपको इसलिये निवेदन की कि जो हम यहां पर चर्चा करते हैं उन पर तथ्य पर जा सकें, बजाय इसके कि हम केवल भावनाओं के आधार पर उन चर्चाओं में पड़ें क्योंकि जो फाइव ईयर प्लान के फिगर्स होते हैं वे छपे हुए होते हैं। उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इस आधार पर इन सारी चीजों पर हम विचार भी कर सकते हैं।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, एक जो बीच में और बहस खडी हो गई उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब कभी ख्याल आता है कि एक तरफ हम चर्चा कर रहे थे कि डाकुओं के सम्बन्ध में क्या नीति हो, उसके बारे में यह ख्याल था कि उनसे सरेन्डर करवाया जावे तो बहुत अच्छा। दूसरी तरफ से उसी बात को लेकर एक इस प्रकार की बात बनाई गई कि एक काम एक करता है वह तो बहुत वाजिब, पर अगर उसी काम को उसी तरह से दूसरी सरकार करे तो गैरवाजिब। मैं समझता हूं कि इस पर भी हम ज्यादा गम्भीरता से सोचें तो मापदण्ड दो न होकर एक हो सकता है कि जिस आधार पर ही विचार करके हमें चलना चाहिये।

मैंने पहली बार कल कोटा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य को जो ज्यादातर हमको जनतन्त्र के बारे में अच्छी सलाह दिया करते हैं, हमारा मार्ग दर्शन करते हैं, उनके द्वारा यह सुनने का अवसर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मिला कि उन्होंने आदरणीय व्यासजी को मुबारकबादी दी। मुझे खुशी है इस बात की कि यह अवसर तो प्राप्त हुआ कि वे बधाई देने लगे और जिस वक्त जनतन्त्र उनके हाथ में था और ऐसे शैशवकाल में था जब कि उसकी देख भाल की कहीं अधिक जरूरत थी, उन्हीं को कटघरे के पीछे खड़ा किया था।

("हियर हियर")

और आज जनतन्त्र के बारे में हमें सलाह देने की बात कहकर जैसे हम कहीं उससे बहुत दूर भटक गये हों, भूल गये हों जनतन्त्र को बिलकुल, कहीं हमने जनतन्त्र की हत्या कर दी हो या सारी बातें हो गई हों, वे जो हमें कहना चाहते हैं तो इसका हमारे दिमाग पर असर कम पड़ता है इस वजह से कि हमने कुछ किया है और उन्होंने क्या कर दिया है, इस पर विचार करते हैं तो दूसरी और तरह की ही बात नजर में आती है लेकिन खैर आखिर उन्होंने उन्हें बधाई तो दी है इसकी हमें खुशी है।

उन्होंने बाद में यह कहा कि नागौर में जाटों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मैं इस पर निवेदन कर दूं कि जिस ने हमला किया है, शायद उनको मालूम होगा। उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। कोई किसी जाति का है, कोई किसी वर्ग का है, अगर कानून को तोड़ता है तो कानून के अनुसार उनके साथ कार्यवाही की जावेगी और वह कार्यवाही की गई है, मुझे जहां तक मालूम है। कोई अन्तर नहीं हुआ इसमें जिसमें कार्यवाही के अन्दर एक साथ एक तरह की कार्यवाही होती हो और दूसरे के साथ दूसरी तरह की।

पर इसको इतना महत्व देकर जब यहां कहा जाता है तो इतना कहने का मौका इसलिये आता है और कुछ इसलिये भी आता है कि कुछ व्यक्ति इस बात की कोशिश में बराबर लग रहे हैं कि जाटों का प्रभुत्व इस सरकार पर बहुत ज्यादा है और इससे दूसरे व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान के हित में इस प्रकार की चर्चा करना और इस प्रकार का वातावरण बनाये रखना, मैं समझता हूं, अच्छा नहीं है।

हो सकता है कि एक वक्त में जब कि जागीरी प्रथा यहां थी एक वर्ग संघर्ष हुआ हो और जाटों ने इस वर्ग संघर्ष में ज्यादा आगे बढ़कर काम किया हो और इस बीच के संघर्ष काल में जितने किसानों के कत्ल हुए हों उनमें अधिकांश कत्ल होने वाले जाट लोग रहे हों। और वही आज के इस चर्चा होने का कारण हो। तो आज जो बात हम कहते हैं उसके कहने की गम्भीरता को हमें समझना चाहिये। किसानों के कत्ल हुए हैं तो इस बात में सबसे ज्यादा असर जाटों पर पड़ा है और उसके बाद में हम सदन में यहां इकठ्ठे होकर रोज गालियां देने की बात किया करें, तो मैं एक बात समझ सकता हूँ कि जगीरदारों के दिल में वह रोष हो सकता है। उनके और उनके बीच के संबन्ध एक और प्रकार के रहे हैं आम तौर से। लेकिन दूसरे व्यक्ति यह कहते हैं तो स्पष्ट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है कि उनके कहने के पीछे केवल राजनैतिक भावना के अलावा और कोई भावना नहीं । हमें यहां प्रयत्न करना है कि जो कटुता है उसको दूर करने की बात करें, न कि कटुता को बढ़ायें । जातिवाद नहीं होना चाहिये और चर्चायें खुद जातिवाद की किया करें तो मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त नहीं होता है। एक तरफ जातिवाद की चर्चायें बराबर चलाते हैं, दूसरी तरफ हमारे विरोधी दल के नेता ने अब की बार जो भाषण दिया है वह विरोधी दल के नेता का नहीं, किसी कन्स्टीटुएन्सी के प्रतिनिधि का नहीं, बल्कि राजपूतों के प्रतिनिधि का है। (हंसी) सारे भाषण में राजपूतोंके सिवाय....

श्री जसवंतसिंह— I am to a cartain extent.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह एक नई बात मालूम हुई है। अच्छा हुआ है किआपने स्पष्ट कर दिया कि आप राजपूतों के प्रतिनिधि है। हम आपको जो मानकर चलते थे वह इससे ऊपर ज्यादा मान कर चलते थे। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह बात चलाई गई, हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात कही कि आज सरकार जो कुछ कर रही है और जो पालिसी उन्होंने फोलो की है उसकी वजह से राजपूत जाति के अन्दर जागृति आ गई है और वह बहुत अच्छा कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस प्रकार की बात सोच कर चलना कि अमुक व्यक्तियों में जागृति आ गई या अमुक जाति में जागृति आ गई तो मैं समझता हूँ कि वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जागृति आये सब में, यह बहुत अच्छा है लेकिन वह जागृति देश के हित में आये तो ज्यादा अच्छा है। इनमें इसकी वजह से जागृति आ गई तो दूसरे भी समझते हैं कि यह जो आन्दोलन हुआ है उससे जागृति हुई है, फिर से जागीरी आंदोलन होने लगा, सतर्क हो जायं। तो दोनों तरफ की जागृति का परिणाम क्या होगा ? इस जागृति के अन्दर कम उतरें तो ज्यादा अच्छा है। (हंसी)

अभी अध्यक्ष महोदय, मैने जो बातें थीं छोटी-मोटी बीच के अन्दर उनके ऊपर जिक्र किया। इसमें, एक बात यह भी साफ और कहदूं, एस० आर० सी० का जिक्र आया और एस० आर० सी० के जिक्र में यह कहा गया कि मैं अमृतसर गया और अमृतसर से लौट कर आया और यहां पर कुछ नेता आये और अन्दर ही अन्दर कुछ फैसला हो गया है और अक्टूबर में चुप चाप दस्तखत करके दोनों स्टेटों को इधर उधर कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वह मेरे प्रति तो ज्यादती है ही, इसमें कोई शंका नहीं लेकिन जो बिल हमारे सामने आने वाला है, और उस पर जो यह सदन निर्णय करने जा रहा है उस निर्णय के विपरीत मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है यह सोचना ही बहुत गलत है। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, अध्यक्ष महोदय, कि न अमृतसर में और न अमृतसर से आने के बाद में यहां पर मेरी किसी के साथ में मर्जर के विषय में बातचीत हुई । इस सम्बन्ध में चर्चा ही नहीं चली। कहीं प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। यह और वह मिल जायं इस तरह की बात नहीं आ रही है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वह शब्द अभिभाषण के अन्दर आये कि इस पर हम गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो शायद प्रश्न खुला हुआ है, शायद और कुछ होने वाला दीखता है इसके अन्दर इस लिए यह बात कही हो। तो यह ठीक है, अध्यक्ष महोदय, कि उस शब्द से यह भावना निकलती है और वह भावना निकलना भी वाजब है, इस

Page No.29

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

वजह से कि बीच में चर्चायें चलीं थीं कि राजस्थान के लोग शायद किसी न किसी युनिट में मिलना पसन्द करें तो सदन को अधिकार है कि सोचे इसके ऊपर और करे। यह सदन सोच कर फैसला करे कि हमें अमुक स्टेट के साथ मिलना है, तो मिलने की बात कर सकते हैं। यह उस अभिभाषण में बुनियादी चीज है, और मैं समझता हूँ कि वाजिब बुनियाद है। कोई मिलना चाहते हैं तो सदन के सदस्यों के ऊपर कोई बन्दिश नहीं है। विचार करने की स्वतन्त्रता है, वे विचार कर सकते हैं। जो निर्णय करना चाहें और जिस प्रकार वे सोचना चाहें वे सोचसकते हैं इतना रास्ता खुला हुआ है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बातचीत का सवाल है मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि मेरी किसीके साथ चर्चा नहीं हुई। किसी की तरफ से यह बात चल नहीं रही है। इसलिए यह भ्रांति नहीं होनी चाहिये। रहा, मेरे जो विचार हैं वे सदन के सदस्य गण जानते हैं। किसी ने यह कहा कि हम हिंदी भाषा—भाषी हैं, इस लिए हम को किसी और से मिलना चाहिए। आप मिलें या न मिलें........

श्री रामकरण जोशी—मैंने यह नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हम दूसरों से मिलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हम हिंदी भाषाभाषी हैं इसलिए दूसरोंसे मिलना चाहिये।

श्री रामकरण जोशी—मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि हम हिंदी भाषा-भाषी हैं और दूसरों से मिलें तो नुकसान नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने इस प्रश्न को खुला रखा है और मेरे सामने भी यह प्रश्न खुल चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कहा था कि मिलेंगे तो हालत बुरी नहीं रहेगी, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं।

श्री रामकरण जोशी—मैं बहस में नहीं पडता हूं, लेकिन आप सही बात कहें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी विरोध करने की बात नहीं थी। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक भाषा का कोई प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। यू० पी० और मध्यप्रदेश किसी न किसी भाषा वाले में मिलेंगे, ऐसी उसूलन बात हो, ऐसी बात मानने का प्रश्न नहीं आता है। हमारा मिलना जरूरी अगर है तो किसी के साथ मिलने का विचार करना खुला हुआ है। मैं इन्कारी की बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं।

अब एक बात पॉवर हाउसेज के संबंध में कही गई है कि पॉवर हाउसेज की स्थिति कोटा और जोधपुर में काफी खराब है। इसमें शक नहीं, अध्यक्ष महोदय कि दोनों जगहें पावर हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। दुर्भाग्य से जो पावर हाउस की लाइन थी और जो वहां की मशीनरी को

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

स्थिति है उसको देखते हुए बहुत समय पहले अगर ऑर्डर्स प्लेस कर दिये जाते तो ज्यादा सुविधा होती लेकिन अब तक आर्डर प्लेस नहीं हो पाया है। पानीपत से जोधपुर के लिये जो पॉवर युनिट आ रही है उसका कुछ सामान पहूंचना शुरू हुआ है। कुछ समय और लगेगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका विश्वास दिलाता हूँ कि उसके इधर उधर शिफ्ट करने की बात नहीं है। पानिपत से जो पॉवर हाउस शिफ्ट किया जा रहा है वह जोधपुर के लिए किया जा रहा है। वहां पर ही काम में आयेगा और वहीं के लिए वह लिया गया है।

कोटे के अन्दर जो दिक्कत है उस दिक्कत के संबंध में अभी टेन्डर्स इनवाइट किये गये हैं और भारतवर्ष में ही डिलीवरी मिल जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है बल्कि १५ मार्च तक उसके लिये टेन्डर्स आ जायं।...........

एक माननीय मंत्री—१२ मार्च तक।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१२ मर्च तक उसके टेन्डर्स आ जायें, ऐसी व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूं कि वहां की व्यवस्था जल्दी से जल्दी पूरी हो। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसमें दो रायें नहीं हैं, और शायद वह जरूर पूरी हो जायगी ऐसी आशा करके चलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा था.............

श्री दलीपसिंह—क्या उससे पानी की हालत बहतर हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—स्वाभाविक है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि दूसरी जगह जयपुर और जोधपुर में पावर हाउसेज जो लगा रहे हैं वह लग्जरी है और बीकानेर के इलाके में वह नेसेसिटी है। मैं समझता हूँ कि पावर आज सब जगह नेसेसिटी है। इन दोनों के बीच लड़ने झगड़ने और दो राय का प्रश्न नहीं है। सब जगह जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो इसका प्रयत्न कर रहे हैं। बीकानेर डिवीज़न में देर से हो, इसकी बात नहीं है। अभी भाकरा कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अन्दर मैंने इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी तरह प्रयत्न करके अगर हम सन् १९५६ के आखिर तक कुछ इलाके के अन्दर भाकरा नागल की जो विद्युत है उसका उपयोग कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो।

आशा यह है कि शायद हमें गंगानगर के आस-पास इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सके और इस बीच में भाखरा नहर से प्राप्त हो सके और वहां प्राप्त होने से आज जो इतना स्ट्रेन है पॉवर पर उस में फर्क पड़ेगा।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते है उन्होंने अपनी तकरीर में मेवों के सम्बन्ध में कुछ फरमाया। मैं समझता हूं, उनकी तर्ज बहुत गलत थी और जो वाकयात हैं उनसे बहुत दूर है।

श्री मोहम्मद इब्राहिम—मैं इसको चैलेन्च करता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—मैं एक्सेप्ट करता हूं आपका चेलेन्ज

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(जारी) मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। अलवर और भरतपुर जिलों में इस वक्त मेव फेमिलीज़ को सैटल किया गया ओरिजनल होल्डिंग्ज़ पर। अलवर जिले में ५६०३ फेमिलीज़ को सैटल किया गया, आल्टरनेट होल्डिंग्ज पर ८३३ और पार्टली ओरिजिनल और पार्टली ऑल्टर्नेट होल्डिंग्ज पर ६५६ फेमिलीज को सैटल किया गया। इस प्रकार कुल कुटम्ब हुए ७३६६, केवल अलवर जिले में और भरतपुर में ६५४८ ओरिजिनल पर और ऑल्टर्नेट होल्डिंग्ज पर १४५२ फेमिलीज को बसाया गया और पार्टली ओरिजिनल और पार्टली ऑल्टर्नेट होल्डिंग्ज पर १८६२ फेमिलीज को बसाया गया। इस प्रकार १२,५४६ फेमिलीज होती हैं और टोटल फेमिलीज़ को मिलाकर अलवर और भरतपुर दोनों जिलों में २०,३२८ होती हैं। अब जो एरियाज़ का सवाल है वह अलवर में १८,६८६ बीघा है और भरतपुर में २,३१,५६२ बीघा है। इस प्रकार कुल एरिया होता है ३४,२२६ बीघा। इससे यह स्पष्ट है कि कुल कितनी फेमिलीज को यहां पर सैटल किया गया है। यह मैंने बताया कि जो मेव्ज वहां से लौटकर आये उनके यहां पहुँचने पर यह मालूम किया गया? तो करीब ७८,००० मेव्ज़ वापिस लौटकर अपनी जमीन पर बसने के लिए आये। उनमें से ७२,००० को सैटल किया गया अब रात-दिन जो सवाल खड़े होते हैं वे पेचीदे सवाल हैं। वह यह है कि तीन-चार बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। मेव लोग वहां से लौट कर आये। लौटकर आने पर उनको बसाया जाय यह बात राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वीकार की और भारत सरकार ने भी स्वीकार की और इसको स्वीकार करने के बीच में राजस्थान में कई रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान से अलवर और भरतपुर जिलों में आये और जो यहां पर आये उन लोगों को इस इलाके में कुछ जमीन-जगह दी गई और और वह जमीन दी गई भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की पोलिसी के अनुसार और उसी के अनुसार उनको जमीन पर बसाया गया। उनको बसाने के साथ साथ इनको बसाने का भी सवाल आया। जहां ओरिजनल होल्डिंग्ज़ अवेलेबल थीं वहां इनको रखा गया और ज्यादातर ओरिजिनल होल्डिंग्ज पर ही मेव्ज बसे हुए हैं। लेकिन जहां पर ओरिजनल जमीन उपलब्ध नहीं थी वहां उनको दूसरी जमीन पर बसाया गया। ओरिजिनल का मतलब है मूल जमीन। जहां इस प्रकार की जमीन उपलब्ध नहीं थी वहां उनको दूसरी ऑल्टरनेट जमीन दी गई और उनको सैटल किया गया। एक बात और थी। वह यह कि राजस्थान में प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स का कानून था और इसके लिए हमने टिनेन्सी बिल पास किया। इसके अनुसार एक अड़चन यह आती है कि जो मेव के स्थान पर सब टिनेन्ट के तौर से खेती कर सकता था वह बेदखल नहीं हो सकता। अब वहां पर बेदखली नहीं हो सकती। उस जगह पर वहां के लोकल आदमी सब-टिनेन्ट्स के राइट मे काबिज हैं। वे तो आज यदि मेव्ज नहीं गये होते तो भी बेदखल नहीं हो सकते थे और वही स्थिति अब भी सामने आती है। वहां पंतजी को यह कह दिया गया कि लोकल को जमीन देदी गई तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मेव्ज़ लौटकर आये, जो पहले दो लाख थे उनमें से एक लाख यहां पर हैं और एक लाख पाकिस्तान चले गये थे। अब जो एक लाख लौट कर आये हैं यदि उनके ओरिजिनल होल्डिंग्ज पर कोई लोकल हरिजन या और कोई काबिज हो तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम मेव्ज को उनके स्थान पर सैटल

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करेंगे, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि रिफ्यूजीज़ की प्रोपर्टी है और मेव्ज की नहीं हैं। इसे दूसरों को दिया गया और उनको भी दिया गया। कई बार यह सवाल पैदा होता है कि दफा १६ के अन्डर में मेव्ज को सार्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाता है? मैं भी इस प्रश्न में ज्यादा उलझा हुआ हूँ क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है। मैं रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गया था और वहां भी यह प्रश्न उठा था। एक लीगल डिफीकल्टी यह आती है कि दफा १६ में सार्टिफिकेट दिया जाता है। तो परिणाम यह होता है कि उस जमीन पर आज एक रिफ्यूजी बसा हुआ है तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि दफा १६ यह राइट देती है कि जिसकी जमीन है यह उसको लौटाई जाय क्योंकि गवर्नमेंट ओफ इण्डिया के हुक्म से रिफ्यूजी वहां बसे हुए हैं, उनको हटा कर जमीन मेव्ज को दें तो यह होगा कि एक को जमीन पर बसावें और दूसरे को वहां से हटावें। तो हमने कहा कि वे मेव्ज भी आये हैं और वे रिफ्यूजीज़ भी आये हैं, इनको भी जमीन पर प्रोप्राइटरी राइट देने चाहियें। हमने उनसे कहा कि आप कानून में कुछ परिवर्तन कीजिये और उनको भी कुछ राइट्स दीजिये। जिनके पास कच्चे मकान थे उनको पक्का बनाने के लिए सबसिडी का प्रोविज़न हुआ है, तो इसमें मत भेद की अधिक बात नहीं है। यदि कोई बात करने वाली बाकी रह जाती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। भारत सरकार के साथ बातचीत करके यह फैसला करना है कि जो जमीन उनके पास है उस पर उनको प्रोप्राइटरी राइट्स मिलने चाहिये। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है हमने कोई मत भेद नहीं पाया। इस पर वे यह कहें कि मिनिस्टर को हटाया जाय यह बात ठीक नहीं है। वाकयात पर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में क्या परिणाम होगा यह भी देखना पड़ेगा। आज वहां पर १०,००० लोग बसते हैं। ऐसी बातों से कम्युनल टेन्शन फैलता है; इसके बजाय जिस तरह से संभव हो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाय तो वह हल ज्यादा उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से हम आगे और बातचीत करना चाहते हैं।

फिर एक बात कही गई कि ३०,००० बीघा जमीन पर से बेदखल किया गया, जब पहले यह बात कही गई थी तब मैं भरतपुर के पहाडी गांव में गया, नाम मुझे याद नहीं पड रहा है। चोसंगा गांव में गया। वहां भी उन्होंने कहा कि साहब, बेदखल किया जा रहा है। लोग बाग इकट्ठे हुए। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है? ज्यादातर जो बात सामने आई वह इस प्रकार थी कि जिस जमीन पर वे कास्त करते हैं उससे बेदखल नहीं किया गया या आल्टरनेट होल्डिंग्ज जो उनके पास थी उससे भी बेदखल नहीं किया गया था, लेकिन जो जमीन पिछले टिनेन्ट के पास थी उसमें इनको काश्त नहीं करने दी। हमने कहा कि यहां के लोकल ओफिसर्स पर यह बात छोड दी जाय कि वे इन्क्वायरी करके सारी बातें बतावें। उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाय। मैं समझता हूं मौलाना साहब इन चीजों पर इस पहलू से ख्याल करेंगे कि जो पाकिस्तान से भाग कर यहां आये आज उन लोगों की कन्डीशन देखते हुए जो लोग वहां बस गए हैं वे काबिज रहते हैं तो कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा हो तो ज्यादा हित होगा। बजाय इस तरह की उलझनें पैदा करने वाली बातें करें।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह एक प्रश्न उठा तो उसके सम्बन्ध में मैंने जिक्र कर दिया।

इसके बाद एग्रीकल्चर रूरल कॉलेज जो ऐसा विषय बन गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई यह चीज कई आदमियों के लिए एक अहम प्रश्न बन गया हो और अहम प्रश्न होकर जो प्रेरणा भी बोलने के लिये उनको मिली। तो में यह निवेदन कर रहा था कि जोबनेर कालेज के सम्बन्ध में जो बातें कही जा रही हैं उसके लिये पहले यह समझने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट ने जो कालेज जिस स्टेज पर चल रही थी उसको चेन्जिग पाइन्ट ऑफ व्यू होने से लिया। हम उसको जो कुछ ऐड दे रहे थे बराबर देते रहे थे और उसको बराबर एड देते रहने के बावजूद भी एक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि उसको ठाकुर साहब के लिए चलाना मुश्किल हो गया और गवर्नमेंट को उसे लेना चाहिए था, उसको लिया। उसको लेने के बाद एग्रीकल्चर कालेज उदयपुर में शुरू किया गया। उदयपुर में इसको शुरू करते समय कोई ऐसी भावना नहीं थी कि जोबनेर कालेज नहीं चले। उदयपुर में एक ही क्लास शुरू हुई। लोगों ने यह कहा कि दूसरी कोई क्लास शुरू नहीं होगी। वहां पर तीन साल का कोर्स है और जोबनेर में चार साल का का कोर्स है। उदयपुर में क्लास शुरू करने के बाद प्रिन्सिपल वहां से उदयपुर आये। चूंकि वहां जोबनेर में प्रिन्सिपल व उसके स्टाफ के रिलेशन्स ठाकुर साहब से काफी बिगड चुके थे, इसलिए व्यवस्था पर कोई असर पडता उनको ट्रान्सफर करने की बात की गई थी और जोबनेर पर अलग व्यवस्था की गई।

एक माननीय सदस्य—जब सरकार ने कालेज ले लिया तो फिर ठाकुरसाहब का उससे क्या ताल्लुक था?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जहां पर आपसी सम्बन्ध इतने बिटर (Bitter) हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर उनका ट्रान्सफर करना जरूरी था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ट्रान्सफर करें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन उसकी जगह पर सब-स्टीट्यूट भेज दिया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके लिए कार्यवाही की गई।

फिर उसके बाद में अचानक जयपुर से उदयपुर गया तो मालूम हुआ कि जोबनेर कालेज के लड़के जो वहां पहुँच चुके हैं वे मेरे पास आये। जो वास्तविता है उसके आधर पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बजाय इसके कि इसको ग्रुप पेटर्न कहा जा रहा है....

श्री कंवरलाल जेलिया—उदयपुर ही इस कालेज के लिए स्थान क्यों कायम गिया गया; बूंदी, कोटा क्यों नहीं कायम किये गये?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके लिए में निवेदन कर रहा हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया—सिंचाई के साधन भी कोटा में काफी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जब मैं उदयपुर पहुँचा तो विद्यार्थी सब के सब वहां थे। वे मेरे पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम जोबनेर नहीं जाना चाहते। मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि वहां पर इन्टर साइन्स की जितनी आवश्यकता होनी चाहिये नहीं होती, इरिगेशन लैंड नहीं है, ऐसी मुश्किल है वहां पर हम नहीं जा सकते, हमारे पढने की यहां पर ही व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने कहा, इस बात को बहुत से लोग जानते हैं। मैंने साफ कहा कि मैंने इस वक्त दूसरी क्लास खोलने की व्यवस्था की है। मैं निवेदन करूंगा कि वे लोग, जब मैंने उनसे यह कहा तो वे उदयपुर के स्टूडेंट्स के पास गये और उनसे मिल कर एक जुलूस निकाला और उनसे कहा कि आप लोग इस जुलूस में हमारा साथ दें। सरकार हमको वापिस जोबनेर भेज रही है और हम यहीं पर रहना चाहते हैं, यहां पर हमारे सामने ज्यादा फेसिलिटीज हैं। लडके मेरे पास आये। मैंने कहा, यहां पर हम नहीं खोलने वाले हैं, अगर यहां पर रहेंगे तो उनका साल बरबाद हो जावेगा। इसके बाद लडके जोबनेर गये। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार ने खर्चा दिया। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से एक पैसा भी उनको नहीं दिया गया और न इसके लिए कोई प्रयत्न किया गया और न उनको प्रोत्साहन दिया गया। अगर कोई कार्यवाही की गई तो उनको वापिस जोबनेर जाने के लिए की गई, उसमें मेरा जरूर हाथ रहा है।

("हियर हियर" की आवाज)

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे एक माननीय मित्र खड़े हुए और कहा कि उदयपुर में क्यों खोला गया और कोटा में क्यों नहीं खोला गया। मैं यह कहूँगा कि कहीं पर हो जावे, उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज हो जावे इससे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो और कोटा में होगा तो उदयपुर से कोई बहुत बड़ी चीज चली जावेगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जावेगा या क्या हो जावेगा ऐसी कोई बात नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें फैसला कर लेना चाहिये कि उदयपुर में मैं चाहता हूं इस लिये खोले जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज जयपुर में है, इंजिनियरिंग कॉलेज जोधपुर में और वेटरनरी कालेज बीकानेर में, इसके बाद पोलिटेक्निक जयपुर में कायम होगा। तो सोचने का आधार कभी कभी बराबर........

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा में क्यों नहीं खोला गया?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आप मुझे बोलने दीजिये। मैं बता रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि एक चीज को हम एक ही आधार पर सोचना चाहते हैं, यदि व्यवहारिक दृष्टि से सोचें तो ठीक होगा।

मैं जोबनेर के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं। पहले जोबनेर से कॉलेज को हटाने की बात थी, उस समय जोबनेर से जयपुर लाने की बात थी। लेकिन आज जोबनेर से इस कालेज

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

को हटाने की बात मुझ पर आती है । मगर पहले जब एक व्यक्ति जो एक हिन्दुस्तान के ऐसे एक्सपर्ट, जो अपने यहां पर डाइरेक्टर रहे और जिन्होंने फोरिन में भी ख्याति प्राप्त को वहां पर गये, मगर आज उस सब का राजनैतिक पहलू लिया जाता है । डा० विश्वनाथन वहां पर गये मगर वहां पर ठाकुर सहाब को रिप्रेज़ेन्टेशन करने का मौका नहीं मिला । उनके सामने बात चीत होनी चाहिये । यह ठाकुर सहाब की मांग थी और हमने उस मांग को ठीक और वाजिब मान कर बहुत सी जानकारी जो नहीं दे पाये थे दुबारा भेज कर दुबारा उनके सामने जानकारी करवाई । उसके बाद रिपोर्ट शाया होने की बात है । रिपोर्ट आगई है, मुझमें तो क्षेत्रिय भवन नहीं है लेकिन कुछ लोगों की क्षेत्रीय भावना बहुत ज्यादा है ।

("हियर हियर")

मैं आगे कहना चाहता हूं कि एक हमारे माननीय मित्र जो जमुआ रामगढ से आते है उन्होंने सर्विसेज के बारे में कहा....कि एक जाति के साथ यह हो रहा है और जात की बात करते हुए जो दलील उन्होंने दी वह ठीक नहीं बैठी। अमुक व्यक्ति हैं जो राजपूत जाति के तो हैं लेकिन उदयपुर के हैं इसलिए नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि यह सर्टिफिकेट मुझे देना चाहिए क्योंकि मैं राजपूतों का विरोधी नहीं हूं ।

(हंसी)

कोई दलील कहीं बैठ जाय । बिटाने की बात हमारे दिमाग में आती है । यह यहां बैठ जाय, वह वहां बैठ जाय । अमुक व्यक्ति नहीं भेजा गया । आप आर० ए० एस० की लिस्ट को उठा कर देख लीजिये कि एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो उनसे ऊपर हैं वे नहीं लगे हैं । यह मान कर चलना कि किसी व्यक्ति का पोस्टिंग नहीं किया गया है उसके पीछे यह भावना है । कुछ नहीं है । मैं उदाहरणों के साथ साबित करना चाहता था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब उनमें नहीं जाना चाहूंगा ।

मैं ऐसा समझता हूं कि अफसरों के, अधिकारियों के उन आधारों पर चर्चा करने लगे कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह का रहने वाला है, अमुक जाति का है, उसका पोस्टिंग कहीं हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं आज कहता हूं कि हमारी सर्विसेज़ का, चाहे कितने ही झगड़े हों, एक जो ट्रेडिशन है, अपने सिद्धान्तों को बनाये हुए वफादारी से काम कर रहे हैं, आज हम उनको झगड़े में डाल रहे हैं । आज यहां बोलते हैं वे ऐसा बोलना चाहते हैं कि वे किसी की हमदर्दी आकर्षित करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के हित की चीज होने वाली नहीं है । चाहे भूस्वामियों का आन्दोलन चलता हो, एक जाति का आन्दोलन हो, राजपूत ओफिसर्स बिना भेदभाव के उचित तरीके से काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं । एक क्षण के लिए भी कहीं शंका की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

बात पैदा नहीं हुई, तो फिर क्यों जबरदस्ती इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। उनको कम्पार्टमेन्ट्स में डिवाइड मत कीजिए। कल जाकर ये बातें होंगी कि अफसर अफसर के बीच में मतभेद होगा, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में मतभेद होगा। विरोध करना चाहते हैं तो पच्चीसों और चीजें हैं। लेकिन कम से कम सर्विसेज़ को तो निरर्थक घसीटने की कोशिश न कीजिए जिससे कि कई प्रकार की उलझनें पैदा हो जायेंगी, जो ठीक नहीं होंगी। वह आपका एक पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर है। एक गवर्नमेन्ट आयेगी, दूसरी आयेगी लेकिन उनको उनके साथ न घसीटिये। अगर इस तरह करते हैं, कोशिश करते हैं वह नहीं हुआ, पोस्टिंग नहीं हुआ इस वजह से, आज हम इन चीजों पर ख्याल करते हैं तो इन चीजों को लाना नहीं चाहिए। अगर जाति को छोड़ कर किसी चीज को सुपरसीड किया गया है, किसी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के साथ ज्यादती हुई हो तो कहें कि अमुक अमुक जगह पर ज्यादती हो रही है।

इस प्रकार की चर्चाएं सदन में की गई हैं और जब जोरों से आई हैं तो स्वाभाविक था अध्यक्ष महोदय कि मैं इस मामले में आपके सामने कुछ स्पष्टीकरण करता।

अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है रिवीजन ओफ सेलेरीज़ का। मैं समझता हूं कि मैं रिवीजन ओफ सेलेरीज़ के सम्बन्ध में कहूं उसके पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा हमारे यहां पर चली है वह भूस्वामी संघ के सम्बन्ध में चली है। मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा और उसके निवेदन के बारे में सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जितनी बातचीत हमने की पहले क्षत्रिय महासभा के साथ उस बातचीत की शुरूआत इस आधार पर की गई कि राजस्थान के अन्दर हम सब मिल कर इस समस्या का फैसला कर लें और पंडितजी के पास एक बार क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि और हम में से कुछ लोग गये और जाकर यह कहा कि जो भी निर्णय पंडितजी देंगे वे हमको मान्य होंगे और उसी आधार पर आगे कार्यवाही शुरू की। जो पंडितजी को पहला पत्र लिखा गया था और जो पंत रिपोर्ट के अन्दर था, मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्यों के पास वह रिपोर्ट पहुँच चुकी है और उसको देखा भी होगा कि क्या क्या इन चीजों के बारे में जिक्र आया है, तो उसमें इस बात को पायेंगे कि यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि राजस्थान के अन्दर भी बातचीत करनी चाहिए और उसके आधार में यह माना गया कि जागीर एबोलीशन के सिद्धान्त को हम मन्जूर करते हैं।

"The Rajasthan Kshatriya Maha Sabha with which is incorporated the Rajasthan Jagirdars Association is the sole representative......" इत्यादि

फिर आगे आता है:—

"Its working committee met on the 16th February, 1951 and in the light of informal discussions that had been going on with the Rajasthan

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

Government, resolved that in the interests of the country we should accept the principle of the abolition of Jagirdari and zamindari systems in Rajasthan."

यह पंडित जी को लिखा हुआ लेटर है जिसके ऊपर बात-चीत शुरू होती है। यह उसका हवाला दे रहा हूँ। उसके बाद उन सारी चीजों को आगे कह दिया है। इस लेटर में यह जिक्र किया गया है, " The problem of Jagirdari in Rajasthan is one of its own kind in India. Of the total area of the state, 70% is held by Jagirdars, while there are landholders whose annual income exceeds Rs. 10 lacs. There are also many with an income of less than Rs. 25/- per annum."

तो पहली बात लिखी है क्षत्रिय महासभा की तरफ से। उस वक्त २५ रुपयों से लेकर १० लाख रुपयों की जागीरों के बारे में कल्पना हमारे सामने थी और उस कल्पना के अनुसार उनका एबोलिशन करना था। माननीय विरोधी दल के नेता ने यह कहा था कि हमने माना नहीं, स्कवीजिंग से यह फैसला कराया गया। जो शुरू से बातचीत हुई है........

कु' श्री जसवन्तसिंह—एक स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे बोल लेने के बाद।

कु' श्री जसवन्तसिंह—आपको स्पष्टी करण करने में सुविधा रहेगी।

अगर यह बात थी तो पांच हजार के जागीरदारों को उससे क्यों महरूम किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं उसी पर आता हूँ। सारा कहूंगा।

कु' श्री जसवन्तसिंह—यह मेटिरियल पोइन्ट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तो इस पर हमने बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान में यह फेक्ट है कि पहला फैसला करके लौटे। अपनी तरफ से थ्रो आउट यह सोच कर लौटे कि सारी जागीरों के एबोलिशन का निर्णय हो गया। क्योंकि उसके लिए कारण था। खुदकाश्त के लिए हमने फैसला किया, छोटे जागीरदारों की रेन्टल डिमान्ड बने उस पर कितना कन्सेशन दिया जाय उस पर फैसला किया। नेचुरल था कि खुदकाश्त का निर्णय करते, रेन्टल डिमान्ड में कितना देना है यह फैसला करते और यही इम्प्रेशन लेकर लौटे थे कि सारी जागीरों के एबोलिशन के लिए फैसला हो गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं मानता हूं कि जो बातचीत करके लौटे वे भी ईमानदारी से यही इम्प्रेशन लेकर लौटे कि फैसला वही किया गया है। दो रोज के बाद जब गवर्नमेन्ट की ओर से इम्प्लीमेन्टेशन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक पहलू पर चर्चा की और इस पर दुबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इसमें न पड़ें तो अच्छा है। हमने यह बात रखी कि सारे देश में जमींदारियां नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रही हैं, कोई भेद नहीं रहा है, जागीर एबोलिशन हो रहा है तो फिर यह कैसे हो सकता है। दुबारा बातचीत रिज्यूम हुई। कोई सहयोग नहीं था। परिस्थितियों की एक स्थिति थी, इच्छा से नहीं कहता, देश की परिस्थितियों के कारण, वास्तविक कारणों से, सिद्धान्तों के कारण दुबारा बातचीत की। चेन्जेज हुए, दूसरे परिवर्तन हुए और हमने वह फैसला किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूँ कि कोई यह समझे कि जिन लोगों ने चर्चा की पांच हजार से भी छोटे जागीरदारों के बारे में तो कोई उन्होंने सरसरी तौर से की होगी, पंत रिपोर्ट को पढ़ें तो मालूम होगा आज चाहे भूस्वामी संघ की कहे, कि मदभेद रहा। जो भी समस्यायें छोटे जागीरदारों की थीं, जिन प्रतिनिधियों में क्षत्रिय महासभा से बातचीत की, छोटे जागीरदारों के विषय में जो भी छोटे २ पहलू थे उन सब को डिस्कस किया।

उन्होंने डिसकस नहीं किया हो, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से जितना करना था भरसक प्रयत्न किया जो सम्भव था उसे करने का किया। उसके अन्दर आपने जबरदस्ती की हो यह मैं नहीं कहता। छोटे जागीरदारों को खत्म करने का कोई बेरुखापन अख्तयार किया हो, यह मैं नहीं कहता। जो कुछ भी बातें की गई सारे पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद हम लोग एक निर्णय पर पहुँचे थे। उस पर पहुंचने के बाद एक फेज़ पूरा हुआ। बाद में जब जागीर रिजम्पशन बिल पास हो जाता है उसके बाद भूस्वामी संघ ज्यादा सर्तक हो जाता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। भूस्वामी संघ के लिये मैं आपसे निवेदन करूं भूस्वामी संघ के नेताओं ने दर असल उतना नहीं किया जितना क्षत्रिय नवयुक संघ का इसमें हाथ रहा। जिसका ओरगेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरह का है, जिसके कैम्प्स लगते हैं और उन्हीं लाइन्स पर इसका संचालन किया जाता है। जिसके कर्ता धर्ता एक हमारे माननीय सदस्य हैं जो पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक्टिव वर्कर रह चुके हैं उससे निकल कर उन्होंने उसी लाइन्स पर इस संस्था को ओरगेनाइज करने का प्रयत्न किया। इसकी रिपोर्ट आती रही है। जो पहले आन्दोलन हुआ उसमें किस तरफ से जोर लगाया गया। उस सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश गृह मंत्री डाल चुके हैं, मुझे उन सारे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल उस स्टेज पर जाना चाहता हूं जिस स्टेज के बारे में बहुत सी बातें कही गईं और ऐसा समझा गया कि जैसे कोई बड़ा भारी फैसला हो गया हो जिसको कि मैं इन्कार कर रहा हूँ। वह कागज लाया गया इसमें कोई न कोई ऐसी बात रही है जिसको मैं टलता रहा हूं। मैं निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने परसों कहा था कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में, बीच में बातचीत करने आये उनके जरिये कुछ इनफोरमल बातचीत होती रही जिसमें टाकुर दांता थे शिवदानसिंहजी और तीसरे व्यक्ति मेरे ख्याल से खुमीरसिंहजी जावली थे। इन लोगों के बीच बातचीत चलती रही। जिन मुद्दों का जिक्र किया जाता है जब वह सवाल आया तो मैंने जो बीच में बात करने वाले थे उनसे यह कहा मुझे यह भरोसा नहीं कि जो आप बातचीत कर रहे हैं वह पार पड़ने वाली हो। जब दूसरे लोग बाहर आ जायेंगे तो ये बातें कभी पार नहीं लगेंगी। इसलिये जो बातचीत अभी हुई उसी हदतक बात रखिये। जब दूसरे लोग बाहर आजाय उसके बाद में जो होता है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। २१ या २३ जुलाई को बात है जब इस तरह की चर्चा हुई उसके बाद जो लोग जेल से छूटकर आये और पहली मीटिंग जो भूस्वामी संघ की हुई उसकी कार्यकारिणी ने जो प्रस्ताव पास

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किये उन प्रस्तावों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जो कोई समझौता होता है या जो समझौते की जो कुछ बातें होती है उसके सम्बन्ध में पहला प्रस्ताव यह होता है कि जो कुछ भी बातें आप तय करते हैं उन बातों के समर्थन में प्रस्ताव पास करें। जो हमने निर्णय किये या जो कुछ भी समझौता होता है उसको वर्किंग कमेटी एन्डोर्स करती है। आपने कल छः बातों को सुना, शायद वह पढ़कर सुनाया गया होगा।

श्री जसवन्तसिंह—मैंने पढ़कर सुनाई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे बातें शायद २१ जुलाई की लिखी हुई हैं। उसपर शायद २१ जुलाई की तारीख है और २७ जुलाई का भूस्वामी संघ का प्रस्ताव है वह प्रस्ताव जो लिखकर भेजा गया वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। पहले प्रस्ताव में उन्होंने लिखा है जागीरों "पुनर्ग्रहण से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार कर उसका हल निकालने के लिये जागीर समिति की नियुक्ति की जाय जिसमें ५० प्रतिशत भूस्वामी संघ के सदस्य, ५० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हों और एक निर्दलीय व्यक्त हो जिस पर दोनों पक्षों का समान विश्वास हो और जिसे केवल मध्यस्थता करने का अधिकार हो।"

और जो फैसला हुआ था उसमें बात यह थी कि छोटे जागीरदारों के पुनर्संस्थापन के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी स्थापित की जाय जिसमें भूस्वामी संघ के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य जागीरदार जो इस समस्या से परिचित हों और संबन्धित जागीरदार भी हों। यह निर्णय था कि छोटे जागीरदारों के रिहैबीलिटेशन के लिये कमेटी की स्थापना की जाय लेकिन प्रस्ताव में डिमान्ड की जाती, जागीरदारों की बात रखी जाती है। हमने उनसे कहा आज आप भूस्वामी संघ के प्रतिनिधियों को लेने पर जोर दे रहे हैं जब कि एक बार क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधियों को माना, कल ऐसा भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं, दूसरी संस्था को अपना प्रतिनिधि मान सकते हैं इस तरह से आज एक हैं, कल दूसरी आयगा, परसों तीसरी आयगी। जब कि एक के साथ बातचीत किसी एक स्टेज पर आ चुकी फिर दूसरे से करना कहां तक ठीक कहा जा सकता है। इस फैसले में न केवल सरकारी प्रश्न है बल्कि मूलरूप में वे आपस में एक दूसरे जागीरदार को नहीं चाहते, न उनके सामने पुनर्संस्थापन का प्रश्न हैं। वह प्रश्न आपस में जागीरदार-जागीरदार के बीच का है, एक दूसरे के नेतृत्व का प्रश्न है। वे एक दूसरे को लेकर चलना चाहते हैं ५० प्रतिशत भूस्वामी संघ का प्रतिनिधित्व और ५० प्रतिशत दूसरे कर्मचारी, यह हमने रखा था। उसमें इससे परिचित जागीरदार भी हो सकते हैं। इस सेन्टेन्स को उसमें से डिलीट कर दिया गया। उसमें पुनर्संस्थापन का प्रश्न, था लेकिन प्रस्ताव में पुनर्संस्थापन की मांग नहीं। कहा जाता है कि जागीर पुनर्ग्रहण से उत्पन्न सारी परिस्थिति पर विचार कर हल निकालने के लिये जागीर समिति नियुक्त की जाय। इसका मतलब यह हुआ कि सारे जागीर रिजम्पशन के सवाल को फिर से रिओपिन किया जाय। इस प्रकार की डिमान्ड्स आती हैं और इस प्रकार के रिजल्यूशन पास किये जाते हैं कि ५० प्रतिशत भूस्वामी हों और ५० प्रतिशत दूसरे कर्मचारी और एक निर्दलीय व्यक्ति हो जो फैसला देने वाला हो जैसे कोई अवार्ड देने की कमेटी बिठा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता था उनके प्रस्ताव से।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दूसरी मांग उन्होंने रखी वह थी जागीर कमेटी में भूस्वामी संघ को प्रतिनिधित्व दिया जाय, उस बात को उन्होंने नहीं माना। इसकी वजह आसानी से समझ में आ सकती है जागीर एडवाइजरी कमेटी जागीर रिजम्पशन एक्ट के मुताबिक इम्पलीमेन्टेशन जो होगा उसमें सलाह देने के लिये थी, वे उसमें रहना नहीं चाहते थे। इसके बाद दूसरी मांग उनकी यह जागीरी एबोलिशन के बाद जो मुआवजे की दर होगी चालू फसल में से पांच हजार से नीचे की आयवालों से बिना किसी कटोती चुकारा मुआवजा दूसरी किश्त में से काट लिया जाय।

उक्त समिति द्वारा निर्णय की कार्यवाही करने तक जागीरदारों पर जो कुछ कर्जा है या अन्य बकाया है वह वसूल न किया जाय। इसको हमने छोटे जागीरदारों के लिये माना है।

जागीरों के खालसा होजाने के बाद जो कर्मचारी बेकार हो गये उनके लिये उपरोक्त समिति द्वारा पुनर्वास की योजना तैयार होने तक तात्कालिक सहायता के रूप में ३६० रूपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से भूस्वामी संघ की सिफारिश से दिया जाय। हमारी गणना के अनुसार इस प्रकार के दस हजार व्यक्ति होंगे। ये प्रस्ताव उनकी तरफ से आये। यानी दस हजार आदमियों को जिसे भूस्वामी संघ सिफारिश करे उनको ३६० रूपया सालाना दिया जाय इसका मतलब यह हुआ कि ३६ लाख रूपया सालाना इनको दिया जाय।

आखिरी प्रस्ताव यह था, उक्त समिति के निर्णय के समय तक जागीर समाप्ति संबन्धी सब कार्यवाही स्थगित रखी जाय।

अब आप ही अन्दाज लगाइये जिसे आप समझौता कहते हैं उस समझौते के बजाय मैंने उस वक्त ये शब्द कहे थे कि बातचीत हो रही है और बातचीत का होना उन्होंने भी स्वीकार किया।

इसके कहने का मूल कारण यह था कि जो बीच वाले थे वे इसे एन्डोर्स करते तब तो समझौते की कोई बात भी थी। पर यह सब कुछ नहीं किया गया। यह समझौता तो इकतरफा होता है। इसलिए इस प्रश्न के विस्तार में गये बिना ही मैं निवेदन किया करता था कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो इतना कह चुकने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यह तो उनके प्रस्ताव की बात हुई।

हमारी तरफ से जो बात हुई वह मैं और कहता हूँ आपको। मैंने जोर दिया आप इस चीज में न पड़िये। कानूनी नुक्ताचीनी करते रहने से तो मामला आपका झगड़े ही में पड़ा रहेगा। इसके बजाय एक रिहैबिलिटेशन बोर्ड कायम कर लिया जाय और उसमें बैठकर इस मामले पर विचार कर लें। इसमें हो सकता है कि रिहैबिलिटेशन केवल जमीन देकर ही नहीं किया जाय और भी कितने ही आसपेक्ट हो सकते हैं, उन आसपेक्ट्स पर भी हम विचार कर सकते हैं। सैकंड फाइव ईयर प्लान की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा भी राहत पहुंचाई

Page No.41

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जा सकती है, कई रास्ते निकाल सकते हैं। इस पर एक कमेटी बनाई, जिसमें पांच व्यक्ति भूस्वामी संघ के थे, पांच सरकारी अफसर थे और दो क्षत्रिय महासभा के सदस्य थे और दो मिनिस्टर्स थे। मैंने बहुत मना किया कि हमें मिनिस्टरों को इसमें शामिल होने को मत कहिये। आप अपनी और अफसरों की कमेटी बना लीजिये। पर उन्होंने नहीं माना बल्कि यह जोर दिया कि मैं इसका चैयरमैन रहूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस गुड स्पिरिट में मैंने भी सोचा कि चलो अगर इससे कोई रास्ता निकल सकता है तो मुझे इसमें शामिल हो जाना चाहिए। मैंने स्वीकार किया कि मैं चैयरमैन रह जाता हूँ गो इसमें कॉम्प्लीकेशन्स होते हैं क्योंकि कमेटी गवर्नमेंट के पास रिकमन्डेशन के तौर पर अपनी रिपोर्ट भेजेगी और उसमें मैं स्वयं ही हूँ तो रिकमन्डेशन का क्या सवाल रहेगा। पर फिर भी यह सोचकर कि अगर इसी तरह से भी यह समस्या सुलझती है तो इसमें भी कोई एतराज नहीं है। मैंने इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर को भी सदस्य बनाया। अफसरों में फाइनेन्स सेक्रेटरी और दूसरे जितने टाप ऑफीसर्स हैं उनको शरीक किया इसलिए कि आखिर जिनको आगे जाकर इस मामले को हल करना है वे अभी एक जगह बैठकर इसे हल करने की कोशिश करें। पर इसके बाद क्या होता है। एक मीटिंग हमने अरलियर काल की थी। उसका नोटिस समय पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि बहुत कम समय रह गया था इसलिये दूसरी मीटिंग हमने १२ तारीख के लिए तय की। इसके लिए दो तीन तारीख को नोटिस निकाला गया, इसके बाद १२ तारीख को असेम्बली का खास काम था इस वजह से १३ तारीख का नोटिस हमने आठ रोज पहले भेज दिया। अब १३ को जो मीटिंग रखी जाती है उसमे वे लोग शरीक नहीं हुए। कहा यह गया कि नोटिस नहीं पहुंचे उनके पास।

कुं श्री जसवन्तसिंह—१२ को पहुंचे थे सैक्रेटरियट वे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं कह दूं कि मुझे पता नहीं कि उनके पास १३ तारीख का निमंत्रण क्यों कर नहीं पहुँचा। फिर यह भी बता दूं कि उन दिनों अधिवेशन चल रहा था। मैं यहां उपस्थित था और तनसिंहजी मेरे सामने बैठे थे। एक दूसरे से साक्षात्कार करना मुश्किल नहीं था। १३ की मीटिंग में सब अफसर आगए, क्षत्रिय महासभा के जिन दो प्रतिनिधियों को रखा था वे भी आगये और उनको निमन्त्रण न पहुंचा तो यह भी हो सकता है कि किसी एक के पास न पहुँच सका हो, दो के पास नहीं पहुँच सका हो पर पांचों के ही पास नहीं पहुंचा, यह सम्भव नहीं है जब कि दूसरे सब के पास पहुंच गया। मेरे दिमाग पर यह असर है कि हमारी ये कोशिशें बेकार थीं उनका दिल नहीं था हमारे साथ बैठकर इस मामले को सुलझाने का, उनका तो कार्यक्रम कुछ और ही था जैसा गृहमंत्री ने आपको बताया और अलग अलग कैम्पों मे भी यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि उनका दिमाग तो यह था कि उनको तो संघर्ष करना है, समझौते से इस प्रश्न का हल करने का उनका कोई इरादा नहीं था। साथ बैठकर टेबल पर प्रश्न का निपटारा करने का उनका इरादा नहीं था। उनकी दिलचस्पी इसमें है कि संघर्ष की स्थिति बने। दूसरे रोज की मीटिंग में भी वे सम्मिलित नहीं हुए। और १५ या १६ तारीख को दूसरा एजी-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

टेशन शुरू हो जाता है। इस संबंध में मैं यह भी कह दूं कि उन्होंने कोई हमें यह लिख कर भी नहीं दिया कि इस प्रश्न का हल आप लोग नहीं कर पाये इसलिए यह आंदोलन करना चाहते हैं या हमारे और आपके बीच में अमुक मतभेद है इसके लिए हम ऐसा करना चाहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं लिखी गई और न ऐसी कोई सूचना हमें मिली। इकायक आंदोलन शुरू हो जाता है। मैं बताऊं जिस स्पिरिट में मैं बात करता था उस स्पिरिट में वे सोचने को भी तैयार नहीं थे। २५ नवम्बर को मैंने लिखा कि आपके पत्र को पढ़कर मुझे ऐसा मालुम पड़ता है कि इन कागजातों का सहारा लेकर मुख्य प्रश्न को आप नजरअन्दाज करते हैं, "मोटी मोटी बातों का बार बार स्पष्टीकरण तो अनावश्यक ही है। यह तो केवल सहयोग की भावना के अभाव का परिचायक है। मैं तो यह समझता था कि बोर्ड के निर्माण से आपको विशेष संतोष प्राप्त होगा और हम सब को अवसर मिलेगा कि आपके एतराजों को सही रूप में जांच सके। पर मालूम ऐसा होता है कि समझौते की कोशिश न कर असली समस्या को केवल राजनीति का खिलौना बनाया जा रहा है।

मैं तो बोर्ड के निर्माण को उपयोगी समझता हूं और पुन: आपसे तथा आपके साथियों से सहयोग के लिए निवेदन करता हूं।"

यह मैंने २५ नवम्बर को पत्र लिखकर भेजा। इसके बाद भी इसे दुर्भाग्य समझिये या जो भी स्थिति मानिये कि जब कभी भी मौका आया उन्होंने बातचीत करना भी पसन्द नहीं किया। आन्दोलन जारी हो गया तो हमारे सामने जो स्थिति आई वह तो आपके समक्ष कल माननीय गृह-मन्त्रीजी ने रखी है। लेकिन इसके बीच में कुछ बातें और मैं आपको बता दूं। जैसा मेरा ख्याल है और जैसा आप लोग भी देखते होंगे कि सारे आन्दोलन के पीछे आम तौर से कहा यह जाता है कि आन्दोलन का कारण आर्थिक समस्या है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह आन्दोलन के नेता क्या भूखे हैं, क्या रोटी है और न जाने क्या क्या है; some thing like that। इस तरह की बातें कही गई। मैं कहूं कि मैं इस पर बहुत बार गम्भीरता से विचार करता हूँ और सोचता हूँ तो यह पाता हूं कि इसके पीछे आर्थिक कारण भी कुछ नहीं है। पिछली बार आन्दोलन में जो लोग गये उनकी जांच की गई कि किसके पास कितनी जमीन है, तो इससे यह कतई साबित नहीं हो सका कि इस आन्दोलन का कोई कारण आर्थिक समस्या है। इस बार आन्दोलन शुरु हुआ शेरगढ, फलोदी, पोकरण, बाडमेर, जालोर में। लोग कहते हैं कि वे अपने रिहैबिलिटेशन के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, पर मैं नहीं समझता कि शेरगढ़, फलोदी, पोकरण, बाडमेर व जालोर में किसी जमीन किस किसान ने ले ली। कैसे यहां पुनर्वास की समस्या बन गई? जहां जमीन का अभाव नहीं, जहां जमीन काश्त करने वाले जितने बसना चाहें बस सकते हैं; वहां के लोग पुनर्वास की समस्या की बात कह कर क्या हासिल करना चाहते हैं? जब ये लोग पुनर्वास की बात कहते हैं तो बात दिमाग पर जमती नहीं। पर जब मैं यह कहता हूं तो यह भी नहीं कहता कि किसी की ऐसी समस्या नहीं है। है, कुछ की है और जिनकी है उनके लिए हमने जागीर रिजम्प्शन का काम शुरु होते ही कहा कि जिनको खुदकाश्त के लिए जमीन न हो वे इनके लिए दरख्वास्तें दें। उसका समय भी हमने निश्चित किया। वह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

निश्चित समय भी निकल गया। फिर भी वह समय हम बढ़ाते रहे समय समय पर। इसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करूं कि आज दिन तक सारे राजस्थान के अन्दर कुल आवेदनपत्र खुदकाश्त के लिए ७२७३ हमारे पास आये।

अगर जमीन की समस्या है तो इसके लिए एक रास्ता अपनाया गया एक जरिया दिया गया। इस जरिये से आप काम करिये, आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा और जो इस तरह से ७२७३ दरख्वास्तें आई उनमें से ४०, ४२६ बीघा जमीन २७५६ व्यक्तियों को दे दी गई और १५५७ व्यक्ति अभी तक बाकी हैं जिनमें ऐसे भी मालूम हुए कि जो जागीरदार ही नहीं थे और उन्होंने दरख्वास्तें दे दीं। वे खारिज हुईं और कुछ ऐसी हैं जिनके पास जमीन है या नहीं, इसकी जांच की जा रही हैं उनके रिश्तेदारों के नाम से तो नहीं है यह भी जांच की जा रही है। इस प्रकार इस प्रश्न को जितना हम गम्भीर कहते हैं और जितना बढ़ा चढ़ाकर हम बताना चाहते हैं, उतना गम्भीर और बढ़ा चढ़ा हुआ नहीं है कि जिससे लाखों व्यक्तियों के कमाने खाने की समस्या यह बन गई हो। इन फिगर्स को देखते हुए इन सब बातों का कोई खास असर नहीं होता।

अब मैं निवेदन करूं कि कोई यह कहता है कि इन्टेरिम कम्पेन्सेशन समय पर नहीं मिलता सो इसलिए यह झगड़ा है। इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कुल जागीरें करीब जिसमें आंकड़ों का कुछ सामान्य सा फर्क हो सकता है पांच हजार के आसपास २ करोड़ की आमदनी की रिज्यूम की गई उनमें से जिन्होंने कि इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के लिए प्रार्थनापत्र दिये उनकी तादाद जनवरी के आखिर तक १९७७ थी। ५ हजार रिज़ूम हुई उनमें से प्रार्थनापत्र देने वालों की तादाद १९७७ है और १९७७ में से १२८८ जागीरदारों को तब तक इन्टेरिम मुआवज़ा मन्जूर किया जा चुका था। इसमें, अध्यक्ष महोदय, एक बात और याद रखनी है कि यह नहीं समझा जाय कि इन्टेरिम कम्पेन्सेशन एप्लीकेशन्स आते ही ड्यू हो जाता है। एप्लीकेशन आने के ६ महीने बाद इन्टेरिम कम्पेन्सेशन की पहली किश्त ड्यू होती है। उस वजह से कुछ तादाद इस प्रकार की निकल गई जो टाइम के अन्दर आई हुई नहीं हैं और उसके ड्यू होने में समय बाकी है। केवल एप्लीकेशन्स आई हैं और उन एप्लीकेशन्स के बारे में अन्दाज़ बताया हैं कि कितनी आई हैं, और इन्टेरिम कम्पेन्सेशन जिनको कि ६ महीने के करीब पीरियड हुआ है और कुछ दूसरी हैं उन्हें ४२,५१,००० रू० इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के एवज़ुअली पे किया जा चुका है। अब यह समझने की बात है कि जो इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के बाद में प्रार्थनापत्र आये हैं उनका मैं समझता हूं, नहीं हुआ हो वह उससे जाहिर नहीं होता है। लेकिन एक बात है। ऐसा मुझे लगता है कि जो यह भूस्वामी संघ की तरफ से आन्दोलन चल रहा है उसमें यह बात कही जाती है, और वह बहुत स्पष्ट है, कल ही आपके सामने जो बातें हुई हैं उनमें बताया गया है। उन बातों से जाहिर है कि आन्दोलन का आधार चाहे हम स्वीकार करें या न करें, उसका मूल आधार तो यह कि जागीरें कायम रहेंगी और अपने इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के लिए दरख्वास्ते मत दो। अगर देदेते हो तो कमजोर हो। नहीं देने की जरूरत है। फार्म न भरो।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह कहकर इस आन्दोलन को चलाया जा रहा है। एक तरफ तो आन्दोलन करते जाओ, फार्म भरना नहीं चाहो और इन्टेरिम कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है तो हमें दोष देना चाहते हो तो यह सारी चीज़ मिल कैसे सकती है। अध्यक्ष मोहदय, दर असल हम लिबरल बताये गये है। इन्टेरिम कम्पेन्सेशन का नियम है कि अमुक टाइम तक फार्म आ जाने चाहिए, लेकिन हम लिबरल हुए कि इसके बाद भी कोई आये तो ले लो। शायद हम लिबरल होते गये कि अब भी प्रार्थनापत्र कोई आये तो उनको जितने रोज आन्दोलन करना है करलो। फिर भी फार्म ले लिये जायेंगे। तो यह बात दोनों तरफ की चल नहीं सकती है कि आन्दोलन भी करना चाहते हैं। इन्कार करलो, उसको देखते हुए उन्होंने यह तय किया कि प्रार्थना पत्र तो स्वीकार होने वाले ही हैं। और दरख्वास्त भी नहीं देते है और इन्टेरिम कम्पेन्सेशन नहीं मिलता हैं तो कहा जाता है कि इन्टेरिम कम्पेन्सेशन नहीं मिल रहा है. १६०० की दरख्वास्तें आई हैं। ५ हजार के अन्दर ३१०० ने दरख्वास्तें नहीं दीं और उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला तो उसका दोष हमारे पर है। उन्हें कानूनी तरीके से दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त देने में सुविधा हो उस बारे हम बराबर खयाल रखकर चले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि भूस्वामी संघ से बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि पहली किश्त में सिर्फ उसके अन्दर रेख चाकरी काटकर दे दी जाय। वह सहूलियत के तौर पर हम कर रहे हैं। दो किश्तों के बजाय एक किश्त में पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करने के अन्दर जिनके ऊपर बकाया है आम तौर से जिनका कम्पेन्सेशन टोटल होने वाला है उस टोटल कम्पेन्सेशन से जो ब्याज हैं व एक चौथाई से ज्यादा न हो उससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर रहे हैं रावराजा साहब उनियारा तो १-४ से भी निकाले जा रहे हैं, ऐसा मालूम हुआ है। कमसे कम कागजों में।

(हंसी)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—यह बातें मत छेड़िये आप।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कागज़ों में।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—एक पैसा नहीं है इनके खिलाफ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कागज़ों में है। नहीं है तो बता देगें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसमें इतनी सहूलियत है। इस प्रकार उन बातों को ईज़ी कर दिया गया है जिसके अन्दर उन लोगों को इन्स्टालमेंट मिल सके और कोई दिक्कत सामने नहीं आये।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मेरा तो डिडक्ट हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किस का ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—आपके मित्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेन्ड हैं, दामोदरजी।

Page No.45

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक बात और कहूंगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि कानून में रखा है कि एरियर्स वसूल किये जायेंगे, लेकिन एरियर्स बिल्कुल वसूल नहीं हुते हैं, यह हमारे माननीय विरोधी दल नेता ने बहुत जोर से कहा है। आपने अपनी बात कही है, मैं दूसरों की बात आपको कह रहा हूँ। मैं डिविजनवार पोजीशन निवेदन करूं।

जागीरदारों के एरियर्स का जो स्टेटमेंट दिया गया है अभी तक का, उसके अनुसार जयपुर डिविजन में ४,१८,८४१ रु० के एरियर्स हैं उनमें से १,८६,८६३ रु० तो वसूल हो चुके हैं। जोधपुर डिविजन में जो इसमें फीगर्स दिये गये हैं उसके मुताबिक ३३५०) रु० जिसमें से ३६२) रु० वसूल हुए हैं। उदयपुर डिविजन में २,०१,०३२) रु० हैं जिसमें से ५६,६३६) रु० वसूल हो गये। बीकानेर डिविजन में ३,६६,६१६) रु० हैं जिसमें से १,६१, ७००) रु० वसूल हो गये हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मिले नहीं होंगे। (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोटा डिविजन में ४२,५००) रु० हैं तो उसमें से ५,५४६) रु० वसूल हुए हैं। यह फीगर्स दिसम्बर तक के हैं लेकिन वसूली जनवरी, फर्वरी और मार्च में ज्यादा होता है। टोटल फीगर्स १०,६२,०००) रु० हैं जिसमें से ५,११,४६८) रु० अब तक वसूल किये जा चुके हैं। यह कहा गया था कि हम वसूली करते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इन आंकडों के बाद उस बारे में संतोष हो जाना चाहिए। वसूली हो चुकी है वह आपको मिल जायगी।

श्री भैंरूसिंह (वि० स० १६)—यह वसूली छोटे जागीरदारों के एरियर्स की नहीं है बल्कि सीकर, खेतडी, और उनियारा जैसे बड़े ठिकानों की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं। इसमें सब आगये। मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें सारे शरीक हो गये। हम जो यह वसूली कर रहे हैं वह बिना कानून के ही मदद देकर कर रहे हैं। कानून में हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—सदन में ४० जागीरदार हैं उनसे पूछ लिया जाय कि किन किन को मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी बहस के अन्दर यह बात थी कि तीन साल का पीरियड एक्सपायर हो जायगा। यह सारी पोलिसी इसके अन्दर चल रही है। मैं आपको बताता हूं कि वसूली होकर गवर्नमेंट के पास आजाती है तो यह खतरा होने की बात नहीं रहती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो देखेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—विरोधी दल के नेता कहें 'तो देखेंगे' यह वाजिब बात नहीं है। जब फेक्ट्स रखे जाते हैं तो उनको गम्भीरता से लेना चाहिये और मानना चाहिए कि आपने गल्ती कहा। (हंसी)

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अब मैं आपसे एक बात और निवेदन करूंगा।

श्री भोपालसिंह—जोधपुर डिवीजन का बकाया कितना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुल बकाया ३००० रु० का है। (हंसी)

श्री भोपालसिंह--यह गलत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि यह गलत है तो अलग से बतायेंगे तो बात करेंगे।

अब मैं दूसरी बात जो निवेदन कर रहा था वह निवेदन करने की बात यह है कि खुदकाश्त के बारे में लोन दिया जाता है। तकावी के तौर पर जिनको जमीन दी जाती है उनको बसाने के बारे में, किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करूं कि ३,४८,५०० रु० लोन के तौर पर तकावी के खुद काश्त पर जो रिहेबिलिटेट होने वाले हैं उनको दिए जा चुके हैं।

इस प्रकार जो मैंने आप के सामने सारे तथ्य रखे उनसे मेरा जहां तक अन्दाज है जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित है वे भली प्रकार समझ गये होंगे कि दरअसल जिन फेक्टस और फिगर्स को लेकर हम चलते है या जिनको आन्दोलन का कारण बताया जाता है वह वास्तविकता नहीं है और वास्तविकता कोई और है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्य यहां बोले और बोलने में जिस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को रखा उसे मैं समझता हूँ समस्या सुलझाने में मदद नहीं कर पायेंगे। हमने पूरा प्रयत्न किया कि पूरी सद्भावना से आपस में बैठ कर इस प्रश्न को हल किया जा सके। जागीर रिजम्पशन जैसे बड़े प्रश्न को हल करने में मैं बहुत हद तक जिम्मेदार था और हम उसमें कामयाब हुए, तो क्या इस छोटे प्रश्न को हम हल नहीं कर पाते, यह बात नहीं थी। बल्कि मेरा वह विश्वास हो गया है कि हल करने की उनकी इच्छा ही नहीं है। उनकी इच्छा यह है कि आगे आने वाले चुनावों को कैसे जीता जावे (करतल ध्वनि)। चुनाव एक वर्ष बाद ही आने वाले हैं। उनके दृष्टिकोण से यह समझ सकते हैं कि जागीरों का फेज (phase) तो खत्म हो गया। पिछली बार हम लोगों को जो एक वर्ग का सहारा मिलता था वह टूट न जाय, इसलिये अब उसको मजबूत करना चाहिये। इसी वजह से यह आन्दोलन खड़ा किया गया है। यदि यह आर्थिक प्रश्न के कारण है तो मैंने कहा था कि साथ बैटकर इसको हल कीजिये। इसको हल करने में क्या दिक्कत थी। ऐसा न करके आन्दोलन करना चाहते हैं तो इस समस्या का हल नहीं हो सकता। यदि कोई समस्या है तो बैठकर तय किया जाय और अच्छा वातावरण तैयार किया जाय, इस बात से नहीं कि नारे लगाये जांय। मैंने कई पेम्फलेट्स देखे हैं जिन में कहा गया है कि जागीरें जब्त हो रही हैं, सीलिंग्ज कायम किये जा रहे हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि यह छोटे राजपूतों का प्रश्न है तो फिर सीलिंग्ज, छोटों पर क्या चोट लगेगा ? एस्टेट ड्यूटी लगाने का पेम्फलेट निकाला जाता है और कहते हैं कि जागीरों का प्रश्न नहीं है ? क्या जागीरों का प्रश्न नहीं है जब कि आप पेम्फलेट्स में

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कहते हैं "सहेंगे भाले, गोले, तीर, देंगे नहीं हर्गिज जागीर"। यह प्रश्न छोटे जागीरदारों का है। सीलिंग और एस्टेट ड्यूटी का असर भी छोटे जागीरदारों पर ही पड़ेगा। कुछ लोगों को यह कहा जाता है कि यह भूख का प्रश्न है लेकिन मूल के अन्दर यह जागीरें कायम रखने का प्रश्न है। यदि आप यह जानते हैं कि जागीरें समाप्त न हों तो क्षमा करें कि जागीरें आज की स्थिति में कायम रह नहीं सकती। आज भूस्वामियों की तरफ से यह कहा गया है और अन्य लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि जागीरें समाप्त होनी चाहियें, यदि ये खत्म हों तो हमें ऐतराज नहीं है। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। जो लोग आन्दोलन में भाग लेने नहीं आते हैं उनको यह कहा जाता है कि तुम जाति का नाम डुबावोगे और किसी को कहते हैं कि आन्दोलन में नहीं जावोगे तो जागीरें समाप्त हो जायेंगी।

जब यहां पर ढेबर भाई आये थे तब इस संबंध से उनमे बातचीत हुई थी। ये लोग भी वहां पहुंचे तो हमने कहा कि साथ बैठकर बातचीत करलो। तो उन्होंने कहा कि हम अन्य व्यक्तियों के साथ बैठकर बात-चीत नहीं कर सकते। हमारा उनसे मेल नहीं खाता। दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि हम छुटभाइयों के साथ ज्यादती की गई है, इसलिये हम उनका साथ नहीं दे सकते। जब एक आता है तो दूसरा नहीं आता और दूसरा आता है तो तीसरा नहीं आता। इसलिये कोई पोलिसी स्टेटमेन्ट नहीं दिया जा सकता कई लोग यह चाहते हैं कि इस तरह का एटमोस्फियर बना रहे। कोई लोग धर्म की जय का नारा लगाते हैं तो कोई धर्म सापेक्ष राज्य का नारा लगाते हैं। एक दूसरे का उद्देश्य मेल नहीं खाता। एक कहता है भूख मिटाने के लिये आन्दोलन है तो दूसरा कहता है कि धर्म सापेक्ष राज्य के लिये आन्दोलन है और तीसरा कहता है कि सरकार बदलने का आन्दोलन है। ऐसी हालत में यह समझ नहीं पाते हैं कि यह आन्दोलन है किस लिये। जो लोग आन्दोलन चलाने वाले हैं वे तो यह समझते हैं कि ये लोग अगले चुनाव में हमारा साथ देंगे। जो लोग लड़नेवाले हैं वे समझते हैं कि इससे हमारी जागीरें रह जायगी। तो करना कुछ, कहना कुछ और आन्दोलन और ही तरह से चलाना। हमें क्लियर प्रोस्पेक्टिव को देखना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि मूल बात क्या है। समस्याओं का हल कहीं मुश्किल नहीं होता। यह प्रश्न स्पष्ट है, लेकिन जहां मांग स्पष्ट नहीं हो वहां क्या किया जा सकता है। जिनके पास जमीन है और १००, २०० बीघा इरिगेटेड जमीन है वे लोग भी आन्दोलन में आगे भाग ले रहे हैं। वे इसलिए आगे बढ़े हैं कि वे पोलिटिक्स में इन्ट्रेस्टेड हैं वे इसलिये इन्ट्रेस्टेड हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो कुछ हमारे भाई जैसे कांग्रेस में चले गये वैसे ही दूसरे लोग भी हमारे हाथ से निकल जायेंगे और हमारी कामयाबी नहीं हो सकेगी। पिछली बार उन्होंने आपस में आन्दोलन इतने जोर से किया कि आप मानें या न मानें आपस में एक जागीरदार का दूसरे जागीरदार से झगड़ा होने लगा। एक बार आप टेम्पो बना दीजिये तो उसका परिणाम अवश्य ही बिगड़ जायगा। पिछली बार ढेबर भाई आये थे तब यहां तक कहा कि आपको हम लोगों का भरोसा नहीं हो और आप हमारे सामने अपनी मांग नहीं रखना चाहते हों तो अपनी मांगे पंतजी या ढेबर भाई के सामने रख दीजिये वे जो फैसला कर दें वह हमें मंजूर है। लेकिन वे कहते रहे जागीर हमें मिलनी चाहिये। जो टिनेन्सी एक्ट हमने पास किया, जिस आर० पी०

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

टी॰ ओ॰ के द्वारा हक दिये उनके अनुसार जो लोग जमीनों के मालिक बने उन किसानों से जमीन छीन ली जाय, यह हरगिज सरकार नहीं करने वाली है (हीयर हीयर)। आज हम लाखों किसानों को बेदखल करके आपको जमीन दे दें, यह नहीं हो सकता। जो लोग वहां पर खेती करते हैं उनको बेदखल करके हम उनसे जमीन कैसे छीन लें। मैं इन बातों को इसलिये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप सही तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। यदि आप अच्छी तरह से इस पर गौर करेंगे तो आपके सामने इसका नक्शा साफ आ जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको बहस की दृष्टि से कम देखें। सदन में बहस कर सकते हैं लेकिन इस बहस से लाभ किसी को नहीं होगा बल्कि परिस्थिति और उलझ सकती है। यदि हम कॉन्स्टीट्युशनल वे से एप्रोच करें तो इसका हल आसानी से निकल सकता है। जो बातें मैंने कहीं उनके बारे में यदि आपका और ख्याल हो तो हम आपस में बैठकर उन पर विचार कर सकते हैं। ऐसी परस्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे कुछ फायदा हो सके। चाहे उधर के बैठने वाले हों चाहे इधर के यदि हमें हमदर्दी पैदा करनी है तो उसके अनुरूप कार्य करें। जैसा गृह मंत्रीजी ने कहा था इसके साथ में तर्ज मिलाते हैं। इससे राजस्थान का भला नहीं होगा।

अब मैं काफी बोल चुका हूँ लेकिन पे स्केल्स के बारे में सदन में काफी बहस हुई और सोश्यलिस्टिक पैटर्न और जनता के प्रतिनिधि; ये दो बातें ऐसी हो गई कि जो भी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं वे जनता के प्रतिनिधि और जनता के रिप्रजेन्टेटिव के नाम पर बात करते हैं। बहस का मौका आता है तब कहा जाता है कि जनता में घोर असन्तोष है और उप चुनाव बराबर जीतते जाते है। जब टेक्स का मौका आता है तो भी कहा जाता है कि जनता में घोर असंतोष है। सदन में घोर असन्तोष ज्यों का त्यों मौजूद मिलता है। आप इस घोर असन्तोष को छोड़ दें। पे स्केल्स के संबन्ध में जो दृष्टिकोण है, उस पर प्रकाश डालूंगा। बजट के मौके पर और कहा जायगा। लेकिन हमारे सामने जो लक्ष्य रहा है वह यह रहा है कि हिन्दुस्तान में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें जो चीजें प्रिवेलेन्ट हैं और हमारे यहां जो चीजें प्रिवेलेन्ट हैं और हमारे यहां फाइनेन्स की जो पोज़िशन है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कितना रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और किस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं उतना किया जाय। आइ॰ ए॰ एस॰, आइ॰ पी॰ एस॰, सेशन जजेज और हाईकोर्ट जजेज इन सर्विसेज के पे स्केल्स का रिविजन कुछ पिछले वर्षों में हुआ। हमारे यहां के जो लोग इन सर्विसेज में आये उनको इस प्रकार के ग्रेड्स मिले। उसके बाद दूसरे ऑफिसर्स में कुछ असंतोष स्वाभाविक तौर से फैल रहा था।

चाहे वे आर॰ ए॰ एस॰ हों या आर॰ पी॰ एस॰ हों या आर॰ ए॰ सी॰ के हों। जब एक पेटर्न ऑल इन्डिया स्टेट्स बेसिस पर हो तो दूसरी स्टेटों की ओर हमें बढना चाहिये। जब हम अलग अलग स्टेटों के अलग अलग फिगर्स को देखते हैं तो उनको देखने के बाद और हमारी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखने के बाद यह ख्याल किया कि जितना इन्क्रीज किया जा सकता है उसको पहले किया जावे और इसके अलावा जो लोग ग्रेड में ब्लोक्ड हो गये हैं

Page No.49

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

उनका भी ख्याल किया जावे। इसके अलावा आगे आने वाले लोग हैं, जो कम्पीटिशन, एग्जामिनेशन से आवेंगे वे भी कम से कम यह मान लें कि आर० ए० एस० का ग्रेड दूसरी जगहों के मुकाबले में अच्छा है। दूसरी स्टेटों में भिन्न भिन्न ग्रेड हैं। अब उसका ग्रेड २५०) से ८५०) का है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका ग्रेड २५०) से लेकर ८५०) तक इन्क्रीज किया है। इसके साथ साथ कुछ चीजें इन्ट्रीग्रेशन की वजह से, पुराने हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट या सीनियर ऑफिसर थे जो पहले से बड़ी बड़ी पोस्ट पर चले आरहे हैं और कुछ पोस्टों को आइ० ए० एस० की जगहों पर (अश्रव्य) आज हम मान लें कि ८००) से १५००) में उनको फिक्स किया। अगर आर० ए० एस० नहीं रहेंगे तो १८००) में जावेंगे। कमिश्नर होंगे तो वे और ज्यादा आगे जावेंगे। इन जगहों के लिए सिनियर ऑफिसर। दूसरी तरफ टेक्निकल स्टाफ जैसे इन्जिनियर, मेडिकल मेन, वेटरनरी सरजन आदि में हायर ग्रेड रखे हैं। टेक्नीशियनों की कमी है। उनको अल्टीमेट गेन हो क्योंकि बड़े बड़े वर्क किये जाते हैं। इसलिए आपको इन साइड्स में इन्क्रीज मिलेगा।

अब आप नीचे के कर्मचारियों की तरफ विचार करें तो आपको मालूम होगा कि लोअर डिविजन क्लर्क, यू० डी० सी० और उधर चपरासी और दूसरे फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स को ले लीजिए। आपको मालूम होगा, मेरे पास दूसरे स्टेटों में उनको क्या मिलता है, उसका चार्ट है, लेकिन बजट स्पीच के बाद में हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ही इस पर कहेंगे, मैं आपको अलग अलग स्टेटों में क्या मिल रहा है उसकी बात को न बताते हुए यही कहूँगा, कि हमारे यहां की वेतन दरें उनसे अच्छी हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन यह जरूर कहूँगा कि मध्यप्रदेश, यू० पी० और मद्रास के वेतनों से ज्यादा हैं,

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तक आप भूतपूर्व जोधपुर स्टेट में उन लोगों को मिलते थे, उस लेवल पर आए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसलिए मुकाबला कर रहा हूँ कि दूसरी हिन्दुस्तान की स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में कितना अधिक मिल रहा है। आप मानें या न मानें। क्योंकि कौन कितनी राय रखता है।

दूसरी बात मैंने आपसे कही वह है यू० डी० सी० के ग्रेड की। इस सिलसिले में हमारे ग्रेड मध्य प्रान्त, वेस्ट बंगाल, यू० पी० और मद्रास से वेटर हैं।

एल० डी० सी० के ग्रेड्स लीजिये। वे भी मध्य प्रदेश, यू० पी०, वेस्ट बंगाल और मद्रास से ज्यादा अच्छे हैं।

दूसरी बहुत सी स्टेट्स हैं, मगर मैं उन्हीं स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ जिनसे हमारे ग्रेड बेटर हैं। दूसरी स्टेटों में बहुत कम ग्रेड हैं।

श्री द्वारकादास पुरोहित—वहां पर डियरनेस एलाउन्स उनको क्या मिलते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डियरनेस एलाउन्स पहले से हैं, वही होता है ।

श्री द्वारकादास पुरोहित—आपने यह नहीं बताया कि दूसरी जगह कितना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डियरनेस का ग्रेड से कोई ताल्लुक नहीं होता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ग्रेडों में चेन्ज किया गया है, वह दूसरी जगहों के ग्रेड्स से बहुत बेटर पड़ते है । इसनें मंहगाई में कोई चेन्ज नहीं हुआ है और न इस पर कोई असर पड़ता है । आज हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जो ग्रेड हुए हैं उनसे इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है कि जहां के जहां खड़े हैं । हम यह कह कर चल रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि कुछ बढ़ाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब हमने आई० ए० एस के ग्रेडों को स्वीकार करने में........

श्री चन्दनमल वैद—वे तो पहले ही हो गये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप भी थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिन जिन ने दस्तखत किये उन सब की गलती है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे कभी कभी यह ख्याल होता है कि आई. ए, एस. या आई, पी. एस. के ग्रेड हो गये सो हो गये, सेशन जजों के ग्रेड हो गये सो हो गये, लेकिन क्योंकि आज हमने सबके ग्रेड एक साथ निकाले हैं इसकी यह प्रतिक्रिया हो रही है यह एक साइकोलोजिकल बात है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इसको टुकड़ों टुकड़ों में करते तो हो जाता । लेकिन हमने एक साथ कर दिया है तो इस प्रश्न पर विचार करना नहीं चाहते । हमने इम्पलीमेशन किया है । हमने आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न किया है । कल आपने फाइनेन्स मन्त्री की स्पीच में सुना होगा कि रिअली स्पीकिंग हम लाइफ को ऊंचा उठाने के लिए नीचे के लोगों के ग्रेडों को बढ़ावें और सही माने में वे लोग सोशियल पेटर्न की बात को वहां लाकर रखते हैं । आज मैं कहता हूं कि क्या २५) से ३०) रुपये हो जावें तो सोशियल पेटर्न हो जावेगा । आज हमारे यहां सोशियल पेटर्न की चर्चा बहुत होने लगी है, जब कि चाइना के लिए प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि सोशियल पेटर्न २५ साल में होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रिविजन ऑफ स्केल्स टीचर्स के लिए किया गया है उसके लिए कहा जाता है कि कुछ नहीं किया गया । मैं यह कहूंगा कि केबिनेट, गवर्नमेंट ओफ इन्डिया ने यह पास किया है कि जो ४० रुपये टीचर्स को देंगे उनको इन्डिया गवर्नमेन्ट सबसिडी देगी । उन्होंने एक टार्गेट ४० रुपयों का किया, उसको हम करते हैं तो कहते हैं कि कुछ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

नहीं किया। अगर एल. डी. सी. की मेक्सिमम ग्रेड को रिवाइज़ करके चेन्ज करते है तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अगर कुछ नहीं होता तो यहां पर चर्चा ही नहीं होती।

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

कुछ किया है इसलिए ही तो चर्चा हो रही है। इन सब बातों पर पूरा विचार करना चाहिये, तेजी में नहीं आना चाहिए।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको आप एक मत से स्वीकार करेंगे।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री गुलाबचन्दजी कासलीवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

एक माननीय सदस्य—Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Division wanted ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Certainly. why not ?

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री गुलाबचन्दजी कासलीवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

Page No.52

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Only the Congress party is passing it; loyal Congress party !

श्री अध्यक्ष—अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं० ७६-शिक्षा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ७६-मेजर हेड ३७- शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये २०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस मांग में जो मंजूरी मांगी गई है, उसमें एक हजार रुपयों की कटौती कर दी जाय।

श्री गोपीलाल यादव—क्या फायदा कर दिया आपको ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे एक माननीय मित्र अभी पूछ बैठे कि क्या फायदा कर दिया आपको ? मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर राज्य के कामों में सुधार हुआ तो मेरा और उनका और राजस्थान की १॥ करोड़ जनता को थोड़ा-थोड़ा फायदा हो जायगा, यह मैं मानता हूं और थोड़ा बहुत माननीय मित्र को फायदे के इरादे से और १॥ करोड़ जनता के फायदे के इरादे से यह १ हजार की कटौती का प्रस्ताव रखा है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं सोचता था, माननीय उपाध्यक्ष, चूंकि मांग का प्रस्ताव करने वाले तो मौजूद नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—मैं मौजूद हूं।

एक माननीय सदस्य—The Finance Minister is here.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He will reply without hearing, what is being said here.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I will reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If that is the condition, why do you want people to shout here.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ज्यादा सुविधा की बात तो यह हो, उपाध्यक्ष महोदय, कि मांग प्रस्तुत करने वाले मांग का विरोध तो सुनें।

(घंटी)

आप आज्ञा प्रदान करेंगे तो अभी आ जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आपको उत्तर मिल जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि १ हजार की कटौती का प्रस्ताव जो मैंने रखा है उसके कारण भी मैंने अपने प्रस्ताव में प्रस्तुत किये हैं और मुख्य कारण यह है कि यह खर्चा पक्षपात पूर्ण है। अभी राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का जवाब देते समय मुख्य मंत्री महोदय बड़े जोरों से कह रहे थे कि किसी भी बात में हमें एक माप दंड रखना चाहिए, डबल स्टेन्डर्ड नहीं रखना चाहिए और यदि डबल स्टेन्डर्ड का प्रयोग किया जाय तो अन्याय की स्थिति पैदा हो जायगी। दूसरी ओर जो मांग उन्होंने प्रस्तुत की है वह डबल स्टेन्डर्ड की मेरे ख्याल से बहुत आला दर्जे की और ऊंचे दर्जे की मिसाल है। कुछ ऐसी इन्स्टीट्यूशन हैं राजस्थान में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उनमें से कुछ इन्स्टीट्यूशन का सम्बन्ध वर्तमान अथवा भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों से रहा और ऐसा भी कुछ उनका आज की स्थिति में हाल है, और यह भी ऐसी संस्थायें हैं जिनके संचालक महोदय आला हों, नामी हों, बहुत ही जिम्मेदार हों, असेम्बली में रहे हों अथवा उनका सम्बन्ध हो और यदि उन्हें विशेष रियायतें मिलती जांय तो मेरा ख्याल है कि वह डबल स्टेन्डर्ड की नहीं तो यह एक पक्षपात की बात तो होगी।

जैसा कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में उल्लेख है, भारत सरकार द्वारा कुछ रुपया दिया गया और वह रुपया इस बिनाह पर दिया गया है तथा बिजली के काम हैं और भी नये डेवलपमेंट के काम हैं उनमें कुछ प्रतिशत अपना और बाकी का रुपया भारत सरकार ग्रान्ट के रूप में देती है। इसी प्रकार इन संस्थाओं पर यह था, ३४ प्रतिशत तो आपके जिम्मे है। जब भारत सरकार ने मन्जूरी दी थी भारत सरकार एक निश्चित नीति को मानकर चलती है। जो संस्था सहायता लेने का दावा करती है वह खुद तो ऐसी स्थिति में हो कि अपने विकास के लिये कुछ न कुछ अपने साधनों में योग दान दे और इसीलिये भारत सरकार का नियम है कि ३४फीसदी के लगभग या ३३ फीसदी के लगभग संस्था न दे पाये तो वह किसी भी हालत में अपनी स्कीम्स के अनुसार सहायता देने को राजी नहीं होती और ऐसी पचासों स्कीम्स हैं वाटर बोर्ड, वाटर स्कीम, लोकल डेवलपमेन्ट स्कीम, हरेक पर कुछ न कुछ बन्धन हैं और जो संस्था सहायता मांग रही है वह कुछ न कुछ करे अगर वह अपने हिस्से को पूरा नहीं करती है तो यह बहुत बड़ी डिसक्वालिफिकेशन गिनी जानी चाहिये। भारत सरकार द्वारा सहायता की मांग तभी सही हो सकती है जब कि आप उनके साथ जो शर्त है उसको पालन करने को तैयार हो। लेकिन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बाद में जब कि साल खत्म होने आया राजस्थान सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आपने भारत सरकार से जो शर्तें की थीं उनको तोड़ने में हम मदद करने को तैयार हैं इस तरह से १७ या १७॥ फीसदी रकम राजस्थान सरकार अपनी तरफ देना चाहती है । मैं यह किसी विशेष संस्था का प्रश्न बनाकर कहना नहीं चाहता लेकिन मेरा यह सब संस्थाओं के लिये है, किसी भी संस्था को मदद न दी जाय या मदद पाने के हकदार वे नहीं है जब तक कि उनके साथ जो शर्त हो वह पूरी न हो । लेकिन मेरा यह कहना है कि राजस्थान की बाकी की दूसरी शिक्षण संस्थाओं को अगर यह मालूम होता कि केवल उनको १७ फी सदी रकम का इन्तजाम करना है, यह स्थिति अगर उनके सामने साफ होती तो वे भी भारत सरकार से सहायता लेने में कामयाब हो सकते थे । जहां पहली शर्त के मुताबिक उनको ३४ फी सदी का इन्तजाम करना है वहां १७ फी सदी के करने से ही काम चल जाता है तो संभव है कि और कई संस्थायें आगे आती । इस तरह से कई दूसरी संस्थायें भी इसके लिये उपस्थित हो जाती, आज वे संस्थायें वंचित रह गई । राजस्थान सरकार ने यह तय कर लिया जिस समय भारत सरकार और उन संस्थाओं के बीच में बातचीत चल रही थी उस समय राजस्थान सरकार ने यह कह दिया हो, अभी तुम मन्जूर करलो बाद में मार्च आयगा उस समय सप्लीमेन्टरी डिमान्ड द्वारा और मिल जायगा । ऐसी स्थिति जो पैदा की जाती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ विशेष संस्थाओं को इन स्कीम्स का फायदा उठाने का मौका होता है और उस फायदे से बाकी की संस्थायें वंचित रह जाती हैं । मेरा इस कटौती प्रस्ताव के उपस्थित करने का मकसद यह है कि उन संस्थाओं को यह कहने का मौका नहीं मिले कि रूल को तोड़कर दूसरी संस्थाओं को सहायता दी जा रही है । इस मांग को रखकर मैं एक सिद्धान्त को प्रस्थापित करना चाहता हूं और इसी लिये एक हजार रुपये की कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है । वह कटौती का प्रस्ताव कम से कम इस इरादे से स्वीकार कर लिया जायगा कि भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करने में राजस्थान सरकार वाकई में हिस्सा ले रही है । यह गलती आयन्दा के लिये नहीं होगी । इसी बात को ध्यान में रख कर मैं आशा करता हूँ कि मेरा कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायगा । और वैसे भी एक हजार रुपये कम करने से कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है । इसीलिये भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, शिक्षा संबन्धी अनुपुरक मांग के संबन्ध में मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है कि इस मांग में एक रूपये मात्र की कटौती की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस तरह से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस बात की मांग की कि हम निजी रुप से चलाई जाने वाली इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को जो सरकार द्वारा सहायता मिले उसमें हम किसी प्रकार का डिसक्रिमीनेशन न रखें और सब के साथ समान व्यवहार करें । मैं इसी बात को सम्मुख रखते हुए इस विषय पर जो दूसरा पहलू है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, अगर निजी संस्थाओं को किसी प्रकार सहायता देते हैं तो यह अनुचित नहीं बल्कि किसी हद तक उचित ही है । हम ऐसे व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन दें जो सरकार की सहायता के आधार पर और अपनी निजी सहायता

Page No.55

[श्री भैरूसिंह]

से इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हैं। लेकिन हमें उस समय यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो इस प्रकार की सहायता हम देते हैं उस सहायता का सदुपयोग होता है या नहीं।

अगर राजस्थान की सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के बारे में सारे आंकड़े तैयार किये जांय तो आपको पता लगेगा कि उन सब शिक्षण संस्थाओं में छोटे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें, अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों की तनख्वाहों में और सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तनख्वाओं से विशेष प्रकार का अन्तर है। अगर सरकार किसी संस्था को ५० फी सदी ग्रान्ट देती है या ८० फी सदी ग्रान्ट देती है, फिर भी उनकी तनख्वाओं में और राज्य शिक्षण संस्थाओं की तनख्वाह में एक विशेष प्रकार का अन्तर पाया जाता है। जब उनको सरकार की तरफ से एड मिलती है तो फिर तनख्वाहों में यह विशेष प्रकार का अन्तर क्यों रखा जाता है ? हम रूपया दें तो उसके साथ हमें उन शिक्षण संस्थाओं के लिये कुछ ऐसे नियम भी बनाने चाहियें कि जिन नियमों के आधार पर वहां के कर्मचारियों, अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों और प्रधानों को वही वेतन मिले, इसमें विशेष प्रकार का अन्तर नहीं रहे। ऐसे नियम होने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय, उन संस्थाओं की तनख्वाओं में काफी अन्तर है। जितने भी कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलता। जब कि राजस्थान के राज्य कर्मचारी जिनको प्रोविडेन्ट फंड की सुविधा है छोटे छोटे कर्मचारी उनके लिये भी इनश्योरेन्स का सुविधा है, लेकिन ऐड प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं को न तो प्रोवीडेन्ट फंड की सुविधा है और न पेन्शन की सुविधा है और न कोई इनश्योरेन्स की स्कीम ही होती है जिससे कि वहां के कर्मचारियों को फायदा हो सके। लेकिन प्राइवेट संस्था को जिनको गवर्नमेंट से सहायता मिलती है प्रोवीडेन्ट फंड, पेन्शन आदि के लिये कोई नियम सरकार द्वारा नहीं किये गये हैं। इससे होता यह है कि उन व्यक्तियों की दस-दस, बारह-बारह साल की सर्विस हो जाने पर भी अगर संचालक से किसी प्रकार का मनमुटाव हो जाता है या किसी निजी कारण से किसी से संघर्ष हो जाय तो संचालक द्वारा नोटिस मिलता है और वह सर्विस से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार दस-दस और बारह-बारह साल की सर्विस पर भी निकाल दिया जाता है। उनके लिये सुविधा न होनेसे उनको नुकसान होता है। जिस प्रकार एक राज्य कर्मचारी १० साल की सर्विस के बाद जाता है तो उसको नियमानुसार कुछ न कुछ फायदा मिलता है उसी प्रकार एडेड संस्थाओं में इस प्रकार कोई नियम नहीं होने से वे इस प्रकार के फायदे से वंचित रह जाते है राज्य कर्मचारियों को जो विशेष प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं वे सुविधाएं उनको नहीं दी जाय तो यह न्यायोचित नहीं होगा। जिस प्रकार लेबरर्स के लिये कानून बनता है उसी प्रकार मेरा सुझाव यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिये भी कुछ नियम अवश्य बनने चाहियें। तो यह भी आवश्यकता है कि ऐसी साधारण संस्थाओं में काम करने वालों को भी संरक्षण देने के लिए सरकार रुल्स बनाए और जब तक ऐसे रुल्स लागू न हों तब तक उन संस्थाओं के संचालकों को आज्ञा दे दी जावे कि किन्हीं राजनैतिक हथकंडों के कारण अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो वे हथकंडे बन्द किये जाए, इस बीच जल्दी से जल्दी कानून लागू किया

[श्री भैरूसिंह]

जावे ताकि लोग इनकी सेवाओं के बिना वंचित न रहें। मैं इस बारे में एक उदाहरण दे दूं और आपको उदयपुर का ही उदाहरण दे दूं। उदयपुर में वहां की महिला विद्यालय की अध्यपिकाओं के साथ ज्यादती है उसके संचालक बोर्ड की। इस सम्बन्धी मेरे पास ही नहीं सदन के सभी सदस्यों के सामने पेम्फलेट भी आये होंगे और उन्हें मिले होंगे। मैंने प्रत्यक्ष भी बात की, उन महिला अध्यापिकाओं से। जिस तरह का ढंग अपनाया जा रहा है उससे उन लोगों के लिये भी इन संस्थाओं में सर्विस करना असम्भव हो गया है। उनकी सर्विसेज दस दस साल की हो गई हैं। तो किस्सा मैं आपको बताता हूं। संचालक मंडल में से कहा गया कि तुम्हें जयपुर जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी, वरना इस्तीफा देना होगा। उस अध्यापिका ने कहा कि इस साल तो जाने में मैं असमर्थ हूँ मेरा बच्चा इस वर्ष छोटा है अगली साल जाने को तैयार हूँ। पहला नोटिस यह आया और इसका इस तरह से उसने जवाब दिया। लेकिन बदकिस्मती से उसको फिर नोटिस दिया गया कि बच्चा तुम्हारा छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे जाने से उनकी लिखाई-पढाई में रुकावट आती है या नहीं, इसकी हमें चिन्ता नहीं, पर हमारा हुक्म है उसकी तामील करनी पड़ेगी, नहीं तो इस स्कूल से जाना पड़ेगा। अन्ततः इसकी तामील में उस अध्यापिका को अपनी दस साल की सर्विस से त्यागपत्र देना पड़ा।

इसी प्रकार का दूसरा नोटिस एक दूसरी महिला अध्यापिका को मिला। कहा गया इस साल तुम्हें मैट्रिक का इम्तिहान देना होगा, अगर पास हुई तो रक्खी जाओगी, फेल होगई तो निकाल दी जाओगी। उसने जवाब दिया, मुझे करीब दस साल काम करते करते यहां होगये, अब मेट्रिक का इम्तिहान पास करूं या नहीं कोई अहमियत की बात नहीं होनी चाहिए। कोशिश करूंगी, पास हो सकती हूं पर फेल होने पर निकाल दी जाऊं, यह शर्त मानने को तैयार नहीं। पर वे संचालक महोदय कहां मानने वाले। उन्होंने जवाब दिया फेल होगई तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसे भी मजबूर किया गया और अन्त में मजबूर होकर उसे भी इस्तीफा देना पड़ा और उस संस्था से निकल कर जाना पड़ा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—कौनसी संस्था है यह ?

श्री भैरूंसिंह:—बिल्कुल सही नाम तो देखकर बता सकूंगा, पर मेरा जहां तक ख्याल है महिला विद्यापीठ है उदयपुर का। फिर यह तो किस्सा आपके कानों तक भी आया होगा, छिपी-छिपाई बात नहीं है। काफी पब्लिसिटी हुई है इस मामले की तो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उदपुरवाटी वाली ?

श्री भैरूं सिंह—नहीं आप वाली। नाम भी बता दूं मैं इन महिलाओं का। एक का नाम है सुशीला और दूसरी का शान्ता। उनके हाथ के लिखे हुए पत्र मेरे पास पड़े हैं। मैं सदन के समक्ष पेश कर सकता हूं।

[श्री भैरूसिंह]

उन्होंने यह भी कहा कि हमारा प्रोविडेन्ट फण्ड आपके यहां पड़ा है, वह तो दे दो। उत्तर मिला तुमने हमारा हुक्म का उलंघन किया, पालन नहीं किया और इस तरह से नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए प्रोविडेंट फण्ड नहीं देंगे। उनकी कुछ महीनों की तनख्वाह भी बाकी थी, वह भी उनको नहीं दी गई। सरकार से एड मिलती है इस आधार पर कि वह अपनी पूरी संस्था का कुल खर्चा चलावें। एड लेते समय साल भर का पूरा खर्चा और तखमीना सब सरकार को बताना पड़ता है फिर उस पर पर्सेन्टेज निकाल कर सरकार उसका कुछ हिस्सा एड के रूप में देती है उस विद्यापीठ को भी इसी तरह से एड मिली होगी और इन दोनों महिलाओं के साल भर के खर्चे के तखमीने के हिसाब से भी उन्होंने सरकार से पैसा ले लिया। पर तनख्वाह का पैसा भी उनको नहीं दिया, खुद ही डकार गये, प्रोविडेण्ट फण्ड का नहीं दिया सो तो नहीं दिया, तनख्वाह का पैसा भी हजम कर गये। तो अगर यह पैसा उनको नहीं दिया गया तो सरकार की ओर से उनके नाम लिया गया पैसा किस तरह से एडजस्ट किया गया, यह सवाल पैदा होता है, सरकार को भी उन्होंने वापिस नहीं लौटाया, किया क्या गया तरकीब निकाली गई इसके लिए। जितना रुपया होता था विद्यालय के चन्दे के खाते में दिखलाया जाकर फिर उसको खर्च कर दिया गया। दूसरे प्रकार की स्टैटमेंट बनाकर सारा हिसाब एडजस्ट कर लिया गया।

तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इन शिक्षण संस्थाओं को आप मदद जरूर दें, नहीं दें इसके लिए मैं नहीं कहता पर इससे पहले इन संस्थाओं की सर्विसेज को भी प्रोटेक्शन दें, नियम बनावे ताकि वे भी उसी तरह का संरक्षण पा सकें, जिस प्रकार से सरकारी संस्थाएं पाती हैं। इसके साथ साथ राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी उनको दिलवाए। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करते हुए सदन अपनी राय इस पर देगा।

श्री शम्भूसिंह—मेरा भी इसमें एक कटौती प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं दो शब्द इस पर कहना चाहता हूं। ज्यादा तो बहस इन मामलों पर बजट की स्पीचों के अवसर पर होगी। लेकिन मैं यह कहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत अपने मुख्य मंत्री महोदय से कि इन दूसरी जिन संस्थाओं को साढे सत्रह पर्सेन्ट दिये जाने की बात रक्खी है उसके लिए ऐसी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहिए कि जिनकी वजह से दूसरों को भी यह मिल गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किन्तु दो को ही मिल रहा है यह, कुंवर साहब।

Page No.58

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी इसमें बता दूं। एक बात मेरी भी है। दो मिनिट ही बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्षजी, जो भैरूंसिंहजी ने कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मांग रक्खी है वह मांग तो ठीक है परन्तु उस मांग को रखने के बाद उसमें जो सर्विसेज को, मास्टरों को, अध्यापकों को दुख होते हैं, जिस तरह से संचालकों द्वारा वे सताये जाते हैं उसके लिए नियम भी अवश्य होने चाहिए।

इसके अलावा ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनका अकाउन्ट भी बराबर चैक किया जाना चाहिये, ऑडिट भी कराये जाने चाहिये, जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी आदि संस्थाओं के अकाउन्ट्स वगैरह चैक करने के लिए बोर्ड बनाया गया है यह भी जांच करें कि जिस मास्टर को जितनी तनखवाह लिखाई या हिसाब में बताई गई है उतनी उसको मिलती है या नहीं या जितने मास्टर बताये गये हैं उतने हैं या नहीं। और फिर जब साढे सत्रह पर्सेन्ट सरकार देती है तो फिर ये सारी संस्थाएँ सरकार खुद ही क्यों नहीं चलाती है। सरकार का पैसा देने से चन्दा लेने वाले बनते हैं और दूसरे लोग भी बनते हैं। कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले होते हैं और वे सरकार से पैसा लेकर झूठा हिसाब बनाकर सरकार के सामने पेश कर देते हैं और इस तरह से सरकार को भी धोखा देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इन संस्थाओं को अपने संचालन में ले लेना चाहिये इससे प्रेसीडेन्ट, सेक्रेटरियों, मालिकों आदि की खुशामद से भी मास्टर लोग बचेंगे और उस हैरानी से भी बचेंगे जो उनके कारण उनको उठानी पड़ती है। इसके बजाय सरकार अगर ले लेगी तो वे अपना अधिक समय बचा सकेंगे जो लडकों के लिए खर्च होगा। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से उम्मीद करता हूं कि इस तरह का एक कानून वे बनाकर इन संस्थाओं को भी अपने हाथ में ले लेंगे। इससे पहले से तो खुशामद कम होगा, तब इन्सपेक्टरों, मिनिस्टरों आदि की ही खुशामद करनी पडेगी पर जिनकी आदत ही खुशामद करने की होगी वे ही करेंगे जिनकी नहीं होगी वे नियम के हिसाब से चलेंगे। पर प्राइवेट स्कूलों में तो सिफारिशों के सिवाय इनके लिए कोई चारा ही नहीं है। मैं भी ऐसी ही एक संस्था का प्रेसिडेन्ट बना बैठा हूँ। (हँसी) मैं जानता हूँ, सारे झूठे कर्म होते हैं। पर करें क्या ? इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार सारी संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले और उनको भी जैसी सरकारी संस्थाएं चलती हैं वैसे ही चलावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले विरोधी दल के माननीय नेता को उनकी सद्‌भावना के लिए धन्यवाद देकर मैं भी समाप्त कर देता हूँ। वे राजस्थान के सब संस्थानों को इसी दिल से देखते रहेंगे। इसी में सब स्थानों का कल्याण है, ऐसा मैं समझता हूँ।

आगे जो बात यह कही गई है कि हम यह जो मदद दे रहे हैं १७ परसेन्ट, यह प्रश्न इस प्रकार का है कि दरअसल भारत सरकार स्वयं उन संस्थाओं के सम्बन्ध में जो आवश्यक उनकी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जानकारी है वह करके और उसके बाद में मदद देती है। आज कोई संस्था वहां जाय तो हरेक को वहां से मदद मिल जाय इस प्रकार की स्थिति नहीं रही है और उनको मदद मिलने में संस्था के लिए ३४ परसेन्ट खर्च करना अपने पास से मुश्किल है जब कि इस वर्ष में कुछ संस्थाओं को काफी धनराशि प्राप्त हुई है। उसी दृष्टि से १७ परसेन्ट का प्रोवीजन करने की बात तय की, जिसमें वह रुपया उपयोग में आये वरना परिस्थति यह थी कि लाखों रुपया वह जो मिलने वाला है वे वह रुपया नहीं ले सकते थे, क्योंकि ३४ परसेन्ट वे इकट्ठा नहीं कर पायेंगे तो उसका रास्ता यही होगा कि वह रुपया फोरगो (forgo) करना पड़ेगा, और उससे राजस्थान की हानि होगी। इसी दृष्टि से उसकी पूर्ति की जायगी। मैं समझता हूँ कि १७ परसेन्ट गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है और ८३ परसेन्ट और तरफ से शिक्षा के विकास के अन्दर हमें मिलता है, तो उसको प्रोत्साहन देना वाजिब है। जैसा मेरा खयाल है और शायद माननीय सदस्य भी मानेंगे।

अब जो एक प्रश्न उठाया गया है एक संस्था के बारे में कि उनके जो शिक्षक हैं उनको हटा दिया गया है। वह मेरी जानकारी में नहीं है। शिक्षक जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के हों उनके लिए कोई नियम हों, उनके बारे में विचार कर रहे हैं, और मैं दांता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे मैं बहुत हद तक सहानुभूति रखता हूँ। कोई न कोई उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वे लोग जब चाहे तब तक काम करायें और जब चाहें तब निकाल दें यह नहीं होना चाहिए और वेतन के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उसके ऊपर कोई न कोई नियम बने इसकी आवश्यकता है यह सब चीजें एजुकेशन कोड जैसी चीज़ राजस्थान के अन्दर आज तक नहीं है, वह बना ली गई है और जल्दी लागू हो जायगी दूर हो जायगी। ग्रान्ट इन एड के रूल्स भी रिवाइज़ हो रहे हैं तो रूल्स के रिवीज़न और कोड के बनने के बाद इस प्रकार के नियम-उपनियम संस्थाओं के लिए बना दिये जायेंगे।

जहां तक हिसाब का सवाल है संस्थाओं को एड तभी दी जायगी जब तक कि किसी आडीटर से हिसाब चैक करवा कर पेश न करें। ऐसी संस्थाओं में गड़बड़ होती है, ऐसे समाचार मेरे पास भी आते रहते हैं। नये ग्रान्ट इन एड के जो रूल्स बनने वाले हैं उसमें एक ऐसी कमेटी ग्रान्ट इन एड के संबंध में बनेगी जो यह देखेगी संस्थाओं के संबंध में कि वे कैसी चल रही हैं, उनमें क्या होता है तथा वे किस प्रकार की संस्थाएं हैं। वह उसकी भी जानकारी करेगी। बहुत सी संस्थाएं कुछ नहीं हैं, लेकिन उपाध्यायजी, बहुत से समझते हैं कि वह बहुत उपयोगी हैं। कई संस्थाएं अच्छी होते हुए भी उनके लिए कई समझते हैं कि वे फिजूल हैं! उसके बारे में कि कोई संस्था क्या है और क्या नहीं, उन सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है। कुछ ही दिनो में मैं समझता हूं वे पूरी हो जायंगी। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं कोई खास विरोध जैसी बात उसके बारे मे नहीं थी। यह बात ठीक है कि अगर पहले मालुम होता तो शायद कुछ और संस्थाएं एप्लाई करती। तो एप्लाई करके यहां से मदद मिलने का प्रश्न नहीं है। वह तो भारत सरकार से है। १७ पर्सेन्ट का नियम लागू करने से और भी एप्लीकेशन्स आ सकती थीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और हो भी सकता है कि उन्हें मिल सकता हो। दिक्कतें जो हुई हैं वे हुई हैं, इनमें शंका नहीं लेकिन अब जो किया जा रहा है उससे आगे के लिए रास्ता साफ होता है। यह आवश्यक भी है। अगर यह नहीं करते हैं तो वह सारा रुपया प्रयोग में नहीं आता है। केवल इस भावना से कि १५-१६ लाख रुपया पढ़ने वालों के लिए राजस्थान की संस्थाओं को इस जरिये से मिलेगा। इसी खयाल से यह डिमान्ड पेश की गई। इसे माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि·······

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट का समय तो मुझे दीजिये। मैं उत्तर दे रहा हूं। यह कहने की इच्छा नहीं थी मेरी, प्रस्ताव करते समय भी और अभी भी कि किसी भी रूप में इन संस्थाओं का कोई नुकसान हो। उनको जो पैसा मिल रहा है उस पैसे के मिलने में कुछ रोकथाम हो, यह अच्छी बात है कि कम से कम इस बात को स्वीकार किया गया कि इस बात से शायद कुछ संस्थाओं के लिए अड़चन पैदा हो सकती है ऐसे प्रोसीजर के जरिये। लेकिन वह बात मानने की नहीं है। मैं तो खास तौर से यह चीज ध्यान में लाना चाहता था कि संस्थाओं की प्रगति के लिए इतना कमजोर होना सरकार के लिए अच्छी बात है, लेकिन वह युनीफार्म होना चाहिए। वह नहीं है। इस बात पर कम से कम अभी भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दिमाग खुद का साफ नहीं है, ऐसा दिखता है।

(घंटी)

इसमें क्या गलत हुआ ? दिमाग की सफाई की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—वही दलील है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वही दलील नहीं है। नई दलील पेश हो रही है।

राजप्रमुख के अभिभाषण का जवाब देते समय जोधनेर का जिक्र किया था तो कुछ जोश और आवेश की स्थिति पैदा हो गई थी·······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बिल्कुल नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम एक जोश की स्थिति बन आई थी। यह भी कहा कि जहां तक मैंने समझा उससे समय समय पर प्रेरणा पैदा होगी। ऐसी स्थिति पैदा की जाती है है और राजनैतिक दबाव का गला घोंटा जाता है। विश्वनाथन् को जांच करने को रोका जा रहा है। लेकिन एक बात को वे चबा गये कि २,३७,२२२ रू. के लगभग जो नॉन रेकरिंग ग्रान्ट इन्स्टीट्यूशन के लिए हुई है उसमें से कितनी खर्च हुई है इस साल में, इस बात को मुख्य मंत्री महोदय चबा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गये । अगर इरादा इतना ही माकूल है और ठीकथा और यह हो सकता है कि जहां तक खुद का ख्याल है विद्यार्थियों से कहा हो कि आप लोग वापिस चले जांय, आपका यहां पर कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार में वह केवल अकेले ही नहीं हैं और उदयपुर कॉलेज के प्रिन्सिपल

(घंटी)

महोदय जो हैं वह भी सरकार के भाग हैं । और मैं यह आपको बता दूं कि उस कॉलेज में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी हैं, उस विद्यार्थी की जानकारी के आधार पर कि उनको ले जाने वाले प्रिन्सिपल महोदय जी उनके साथ थे

(घंटी)

उनके द्वारा यूनियन फन्ड से पैसा सेन्क्शन करके लिया गया । युनियन फन्ड का पैसा प्रिन्सिपल के पास रहता है और प्रिन्सिपल दस्तखत करके एक बस किराये करके विद्यार्थियों को ले गये ।

सरकार कम से कम इस बात का तो जवाब दे कि २ लाख ३७ हजार रुपया या २ लाख २२ हजार की नॉन रेकरिंग ग्रान्ट थी वे रुपये क्यों नहीं खर्च किये गये ? भारत सरकार से पैसा नहीं आया, उसके न आने के कारण खर्च नहीं किया लेकिन मन्जूर की गई रकम खर्च नहीं की जाय, इसके क्या अर्थ हैं ? क्योंकि यह कहा जाता है कि विश्वनाथन् साहब को बुलाने के लिए ऐतराज किया है । ऐतराज क्यों न हो ? किसके लिए उनको बुलाया जाता है ? सूटेबिलिटी तय करने के लिए न ? एक दफा जयपुर लाने का निर्णय लिया गया था ऐसा भी सुना गया है । आप पूरा जवाब तो देते ।........

(घंटी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जवाब की दृष्टि से तो कोई सवाल ही नहीं उठा था, फिर रिप्लाई कैसे दिया जाता ? पहले कोई सवाल उठता तो फिर रिप्लाई देने की बात सामने आती ।

श्री उपाध्यक्ष—रिप्लाई में नया जवाब आप चाहते थे क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—नया नहीं था । यह तो प्रमाण के रूप में प्रमाणित है, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जाता है । स्टेन्डर्ड गवर्नमेन्ट नहीं बरतती है इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है । अब भी इस बात पर ध्यान दिया जाय तो अच्छी बात है । यह संस्थाओं की बात है । यदि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मुझे इस बात का विश्वास दिलाया जाय तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हूँ, लेकिन वे अपनी स्थिति ठीक करें।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके दो भाग हैं। एक के विषय में मैंने जो मांग की थी, मैं समझता हूँ माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उसे उचित समझते हुए जल्दी ही लागू करने का आश्वासन किया है और इस पर मुझे विश्वास करना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू था जिसे भरतपुर से आने वाले सदस्य ने प्रस्तुत किया उसके विषयमें मुझे कुछ अर्ज करना है। माननीय मुख्य मन्त्रीजीने बताया कि जिनको इस प्रकार की ग्रान्ट इन एड मिलती है वह उस समय मिलती है जिस समय किसी ऑडिटर से अपने अकाउन्ट को ऑडिट करवा कर इस प्रकार की रकम का स्टेटमेन्ट दें; तो मैं समझता हूं कि जितने भी प्राइवेट ऑडिटर्स हैं उनके द्वारा ऑडिट किये हुए हिसाब पर यदि ग्रान्ट इन एड देने का हिसाब लगायेंगे तो उनमें बहुत सी गड़बड़ियें होंगी और वह न्यायपूर्वक होगा, ऐसा मैं समझता नहीं। हमारे यहां जितने भी निजी या प्राइवेट ऑडिटर्स हैं उनमें से कइयों ने इन्कम टैक्स के बारे में जहां ऑडिटर्स के दस्तखत की जरूरत थी वहां पर बिना हिसाब की जानकारी किये उन्होंने दस्तखत कर दिये हैं और उनमें कइयों पर मुकद्में चल रहे हैं। इस प्रकार के प्राइवेट ऑडिटर्स के आधार पर ग्रान्ट इन एड देते हैं तो सरकार को नुकसान होगा। राजस्थान में एक विभाग खोला गया है, लोकल ऑडिट एग्जामिनर्स के नाम से और वे लोग म्युनिसिपेलिटीज़, पंचायतस और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हिसाब की जांच करेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसी माफिक शिक्षण संस्थाओं के भी हिसाब ऑडिट कराये जायें और उनकी रिपोर्ट के माफिक ग्रान्ट इन एड दी जाय तो अच्छा होगा। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। जो आश्वासन दिया गया है उसके आधार पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने पेश किया है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूसिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं क्या सदन की अनुमति है कि उनको प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय?

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री भैरूंसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ७६, ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २०००) रुपये की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६७—ता-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ६७, शीर्षक ता--राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३०००) रुपय तक को राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रस्ताव के समर्थन में क्या मन्त्री महोदय को बोलना कुछ नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस पर क्या बोलना है ? एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में सब कुछ बता दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि किशनगढ़ मिल को इतने रुपये दिये जाने की सिफारिश जो की गई है वह क्यों की गई, किस कारण से की गई है ? आपको क्या इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एक्सप्लेनेशन नोट में दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सिलेसिले में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है इसको प्रस्तुत करता हूँ। वह यह है कि इस मांग में १०० रु० की कटौती करदी जाय क्योंकि सरकार ने किशनगढ़ मिल के मामले में ढिलाई बरती है।

सबसे पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम की बारबार दुहाई दी जाती है उसके पेज १६ पर मांग संख्या ६७ में राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम

Page No.64

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

धन के नीचे 'किशनगढ़ मिल के चेयरमैन....' टैक्निकली इस शब्द का गलत प्रयोग किया गया है। किशनगढ़ मिल का कोई चेयरमैन नहीं है। उसके बजाय किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स का चेयरमैन हो सकता है। महाराजा श्री किशनगढ़ मिल्स के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के चेयरमैन और डाइरेक्टर्स को उस मिल के मजदूरों को रुपये चुकाने के लिये ७५,००० रुपये दिये जा रहे हैं। ये रुपये किन कंडीशन्स में दिये जा रहे हैं, उनसे क्या ब्याज लिया जायगा, उनकी कौनसी चीज मोर्टगेज रखी गई है साहब, मोर्टगेज डीड साइन हो गया है या नहीं। रुपये दिये हैं तो मिल की चालू होने की क्या स्थिति है, आदि सभी बातों का जवाब देने का क्या फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का कर्तव्य नहीं है? लेकिन आदत है लुक छिप कर काम करने की। पहले कर डालो और फिर दो चार महीनों की ढील छोड़ दो, फिर भूल जायेंगे लोग इन बातों को। उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो मुझे उन्हें योग देना पड़ेगा।

जहां तक मेरी जानकारी है गवर्नमेन्ट किशनगढ़ मिल के डाइरेक्टर महोदय, श्री हीरालाल पाटनी के नाम से परिचित है। उन्हें ७५ हजार रुपये दिये जा रहे हैं, कुछ दिन बाद और कुछ देकर २ लाख रुपये पूरे किये जावेंगे। उन पर २ लाख या २। लाख रुपयों की डिग्रियां हुई हैं। वे इन रुपयों से चूक जायंगी और मजदूरों को बकाया पैसा नहीं दिया जायगा। इस बीच में उन्होंने सरकार से लिखा पढ़ी की है। यह सुनते हैं कि उन्होंने कहा कि आप एक पेड मेनेजर (Paid manager) रखकर मिल चलाओ मुझे डायरेक्टर रख देना। इस तरह की बातचीत चल रही है। और ऐसा मालूम हुआ है कि गवर्नमेन्ट ने भी इस सम्बन्ध में कुछ प्राइवेट पार्टीज से बातचीत की है जिसमें सहारनपुर की एक पार्टी है जिसमें गवर्नमेन्ट एक प्रतिशत ब्याज पर रकम देगी और मिल को चलावेगी। यह एक भानुमति का पिटारा है। इसके बाद में क्या होगा? होगा यह कि जिस समय पाटनी साहब २। लाख रुपया चुकाने की स्थिति में होंगे उस रोज रुपया चुका देंगे और कानूनन ऐसी स्थिति आ जावेगी कि गवर्नमेन्ट को धोखा देकर वह उसे कानूनन वापिस ले लेंगे और उस मिल के मालिक बन जावेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह इतना रुपया खर्च किया जा रहा है आखिर किस लिये खर्च किया जा रहा है। क्या वह इसीलिये खर्च किया जा रहा है कि जब पाटनी साहब २। लाख रुपया देने की स्थिति में हो जावें तो रकम देकर अपनी मिल के मालिक बन जावें। अगर यह नीति है तो मैं यह कहूंगा कि यह इस उद्योग को चालू रखने की नीति नहीं है बल्कि यह तो वह नीति है कि जहां तक हो सके किसी को नुकसान भी न हो और उनका काम भी बन जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि मिल के लोगों ने सरकार को कुछ समय पहले रजिस्टर्ड लेटर्स द्वारा लिख कर दिया था कि मिल में घाटा नहीं है, नफा है और जो घाटा बताया जा रहा है वह सरासर झूठ और जाल-साजी से हिसाब तैयार किये गये हैं; जिसमें घाटा दिखाया गया है। वास्तव में १॥ लाख का फायदा हुआ है। क्या सरकार ने उनके उस पत्र की जांच की। नहीं की। इसके अलावा पहले दत्ता साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इन्होंने इन्श्योरेन्स कम्पनी का रुपया हड़प कर लिया। क्या उसके लिये कोई जांच की और अगर जांच नहीं करनी थी तो क्या भारत सरकार के सेन्ट्रल एन्ड रेगुलेटिंग एक्ट की तहत नोटिस भी दिया। आप मिसमेनेजमेंट के आधार पर भी उसको टेक ओवर कर सकते

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थे और उस मिल को चालू कर सकते थे। कानून के मुताबिक आप उसको टेक ओवर करते और मजदूरों को काम देते। मगर ऐसा नहीं किया गया और एक डेढ़ साल से उस मिल के मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। सरकार उसको लेने के लिये तैयार नहीं हैं। आज उसको कर्जा दे रही है, एक प्रतिशत ब्याज पर उसको चालू करने के लिये। जिस दिन वह २१ लाख रुपया वापिस दे देगा तो कहेगा मिल मेरी हैं, मिल मुझे वापिस दे दीजिये। मैं आज भी यह कहने की स्थिति में हूं कि कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है और न कोई डीड तकमील हुआ है और रुपया दे दिया गया है। सरकार की तरफ से जब इस पर कोई जवाब दिया जावेगा उसके पहले मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूँगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह जो नीति है वह बिल्कुल गलत नीति है जिसे सरकार को छोड़ देनी चाहिये। इसी उद्देश्य से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। देखते हैं सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है उस पर, फिर मैं बताऊंगा।

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग के संबंध में मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव द्वारा यह मांग की है कि इसमें जो अव्यवस्था फैली है उस पर प्रकाश डाला जावे। माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में यदि मजदूरों और पूंजीपतियों के आपसी संबंधों के बारे में कोई एक स्पष्ट चीज कहीं देखने को मिलती है या देखना है तो वह हमें किशनगढ़ मिल में देखने को मिलती है। इस सम्बन्ध में एक बार नहीं,अनेकों बार इस सदन में इस संबंध में चर्चाएं हुई कि किशनगढ़ मिल के संचालक मजदूरों के हित की परवाह नहीं करके, गलत हिसाब करके गलत आंकड़े सरकार के सामने पेश करके मजदूरों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं मगर सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि किशनगढ़ मिल के संचालक बिल्कुल ईमानदार हैं और मजदूरों के हितों की सुरक्षा करते हैं और उनसे किसी प्रकार भी इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे मजदूरों के हितों पर आक्षेप पहुँचा सकेंगे। मगर ऐसी बातों पर न केवल मजदूरों ने ही, बल्कि सरकारी आधार पर जो पहले दत्ता साहब ने जांच की थी उसमें प्रकाश डाला कि सेठ साहब ने कितनी ज्यादती की है। इसके बाद मजदूरों के प्रतिनिधियों ने समय २ पर सरकार को सचेत किया कि सेठ साहब गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और मिल को बन्द करने की योजना बनाई जा रही है। और मिल घाटे में चल रही है, उसके लिये झूठी कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को सचेत किया कि कहीं हजारों मजदूर बेकार न हो जाएं, इसके लिये प्रयत्न किया जावे। इन्श्योरेन्स के रुपये हजम न हो जावें और हजारों मजदूरों को वेतन न मिलने से क्लेश न हो जावे और उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार उस पर कब्जा कर ले, मगर अधिकारियों ने कहा कि सरकार के सामने सेठ साहब का पक्ष नहीं है और मजदूरों का हित है। मगर समय आया, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली इन्श्योरेंस का रुपया खत्म हो गया और मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली। मजदूरों ने उन पर डिग्री कराई और मिल की प्रोपर्टी को जब्त कराने की कार्यवाही की, तब सेठ साहब घबराये और उन्होंने कुछ कोशिश की। उनको सरकार ने मजदूरों को रुपया देने के लिये सहायता दी और मजदूरों को चुकाने के लिये कर्जा दिया। कर्ज उन्हें दिया गया जो इन्श्योरेन्स व मजदूरों के रुपये खा गये। मजदूरों को रुपया देने के लिये जो कर्जा दिया गया था वह सेठ साहब को न देकर सीधा मजदूरों को दिया जा सकता था लेकिन फिर भी सेठ साहब के हाथ में ही रुपया दिया गया जिससे कि वे जिस

[श्री भैरूसिंह]

ढंग से चाहें मजदूरों को तंग करे। मैं निवेदन करूंगा कि उनको ज्यादा पैसा देना है। जिस फर्म से एक प्रतिशत से रूपया लिया गया है वहां सरकार अपनी ओर से एक मेनेजर रखेगी और ज्योंही मिल की हालत ठीक हो जावेगी सेठ साहब इन्साफ से मांग करेंगे कि इस पर मेरा अधिकार करा दिया जावे और सरकार ने जो उनका पक्ष लिया है आज्ञा दे देगी कि अगर उनकी पोजिशन रूपया देने की है तो दे दे। लेकिन आज सरकार यह कह रही है कि वह मजदूरों के हितों की रक्षा कर रही है तो वह मजदूरों की रक्षा कर सकती है, मजदूरों के रूपयों को खाने की जिम्मेदारी सेठ साहब की है, सरकार उनको पूरी तरह नियन्त्रण में लेकर उनको तनख्वाह दे और मिल को चालू करें ताकि पब्लिक के रूपयों का दुरुपयोग न हो। इसलिये मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ मिल के मामले में कोई ढिल-मिल की नीति न अपनावे और इस बात को घोषित कर दें कि इस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। इस दृष्टिकोण को लेकर मैंने यह अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जहां तक किशनगढ़ मिल का प्रश्न हैं, कई दफा इस सदन में बहस की जा चुकी है और यह बात स्वयं सिद्ध है कि यह मिल कई दिनों से बन्द पड़ी है। अभी यह कहा गया कि सरकार इसको ले सकती है और लेकर चला सकती है और इसका जो कुछ भी मुआवजा है वह सरकार भुगते और यह कहा जाता है कि सरकार ने इस मिल को इसलिये नहीं लिया कि वह उसके मालिक को प्रोत्साहन देना चाहती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री भैरूसिंह—यह बात बिल्कुल सही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां तक इसके मैनेजिंग का ताल्लुक हैं उन्होंने सरकार को लिख कर दे दिया है कि आप इस मिल को ले लें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहली वाली रिपोर्ट में दत्ता साहब लिख कर देते हैं कि मत दो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—मैं इस बात पर पूरी तरह से अपने आपको यकीन नहीं कर सका। दत्ता साहब ने या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के किसी ऑफीसर ने यह नहीं कहा कि मिल को ले लेना चाहिए। ऑफिशियल कमेटी भी भेजी, उसने भी यह कहा कि मिल की हालत ऐसी है कि काफी रुपया इसमें लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही यह मिल चल सकता है और उसकी हालत ठीक होगी। सरकार ऐसी सूरत में किसी डाइरेक्टर को अपाइन्ट नहीं कर सकती थी और मैं अपने आप भी इस विचार का हूँ कि सरकार इसको लेकर चलाना नहीं चाहती क्योंकि वह ऐसे खराब कंसर्न में झमेले में क्यों पड़े और लेने की कोशिश क्यों करे? हमने काफी बातों की कोशिश की। किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा इसको चलाने के लिए आपस में कोई तरीका बैठ जाय लेकिन वह नहीं हुआ। मजदूरों का जहां तक ताल्लुक था उनकी तनख्वाहें बाकी थी। आर्थिक कारणों के कारण ही

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

बन्द हुई थी मिल। मजदूरों ने अदालत में दावे दायर किये, अदालत द्वारा डिग्रियां हुई, कुर्की करके वसूली हुई। हाईकोर्ट में रिटें हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके पहले ही सरकार ने नीलाम क्यों रोका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सरकार ने कहां रोका ? यह तो अदालत का मामला था। अदालत ने ही कुर्की की, गवर्नमेंट का प्रश्न नहीं आता है। अदालत के जरिये ही कुर्कियां हुई, नीलाम की कार्यवाही हुई और अदालत ने ही उसको रोका। सरकार इस बात में नहीं आती है। लेकिन काफी मजदूरों की ओर से यह कहा गया कि इस मिल को चलाना चाहिए और आप नहीं चलाना चाहिए और आप नहीं चलाना चाहते हैं तो इसका किसी तरह से इन्तजाम हो। तो इस निश्चय पर पहुँचे कि मजदूरों को किसी तरह से पेमेन्ट हो जाय और कोई ऐसा फाइनेन्शियर मिल जाय जो मिल को चलाने की गारन्टी दे तो यह बात तय पायी कि फाइनेन्स उस हालत में देंगे कि जब सरकारी कर्जा और दूसरे कर्जों से भुगतान के लिए और फाइनेन्शियर यह गारन्टी दे दे कि पचास हजार उस रूप में रख देगा अगर वह मिल नहीं चली तो। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने काफी रुपया उसके बाद भी मांगा। सात लाख रुपया मांगा था। इतना रुपया नहीं देना चाहते थे। सिर्फ सरकार इसको चलाने की पोजीशन में कर सकती है इसलिए सरकार ने मंजूर किया कि किशनगढ़ मिल की जायदाद पर इस सूरत में दिया जाता है कि जब रुपया अदा हो जायगा तो उस जायदाद को वापिस ले ले, वरना वह सरकार के कब्जे रहेगी और उस वक्त तक यह जायदाद कब्जे में में रखी जाती है जब तक कि यह रुपया नहीं चुकाया जायगा It was a sale with a condition of re-purchase.

इस पोजिशन पर लॉ डिपार्टमेन्ट की सलाह लेकर दो लाख रुपया देने का निर्णय किया गया। उसमें से ७५ हजार रुपया जल्दी दिया इसलिए कि मजदूरों की तनख्वाहें बकाया थी और जो बहुत अर्से से चली आती थी, शोर मचाते आ रहे थे कि उनका पेमेन्ट हो जाय।

आपने कहा कि मजदूरों को मिलेगा कि नहीं। यह पैसा मिला है जो एस. डी. ओ. के मार्फत....

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो मिल गया but has it been legally executed ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डीड लीगली एक्जीक्यूट होने के बाद ही यह रुपया इश्यू किया गया। इसीलिए देरी भी हुई क्योंकि कन्सल्टेशन्स वगैरह में काफी देर लगी। यह रुपया सुरक्षित रहे इसीलिए sale with a condition of re-purchase की condition रखी गई है और डीड एक्जीक्यूट कराया गया है और उसके बाद ही यह रुपया दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डीड रजिस्टर हो चुका है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो लॉ डिपार्टमेंट ने कानूनी बातें बतायी थीं वे सब पूरी हो गई हैं। सरकारी रुपया सुरक्षित है। कन्डीशन्स भी इसीलिए उसमें लगाई गई थीं। रुपया दिया गया इसलिए कि मजदूरों का पेमेंट हो जाय और सरकार को भी कोई नुकसान न हो। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह देना चाहता हूं कि मुझे पूरी तरह से इत्मिनान नहीं हुआ कि इस मिल को चला सकेंगे या नहीं। मैंने ऊपर के लोगों से भी इस मामले में सलाह ली तो सलाह दी गई कि इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, प्राइवेट मिल है, चलती है तो ठीक; नहीं तो कोशिश करें, इतना रुपया चलाने में लगे तो दूसरे कामों में खर्च करके इतने मजदूरों को तो और लगाया जा सकता है। पूरी इन्क्वायरी के बाद हमें यह तहकीक हो गया कि वास्तव में इस मिल को लेने में कोई फायदा नहीं है। तो हमने निर्णय किया कि किसी तरह से मिल चले। फाइनेन्शियर ने गारन्टी दी है कि मिल चला देता हूं, पचास हजार रुपये की गारन्टी रहेगी और किसी तरह से फाइनेन्स की वजह से मिल बन्द हो जाय तो मैं दूंगा। तो इन शर्तों के साथ मिल की सफाई वगैरह हो रही है, मजदूरों को पैसा मिल गया है। मजदूर इस उम्मीद में है कि चालू करके बता देंगे। जब इतना इन्तजाम हो गया है तो मैं नहीं समझता कि किस शंका की गुंजाइश रहती है कि रुपया डूब जायगा। जब इतने दिन नहीं चली तो दुख होता था कि मिल शुरू नहीं हुई है और जब पेमेंट हो गया है और मिल चलने वाली है तो दुख हो रहा है कि रुपया डूब जायगा। यह दुख तो उनका चलता रहेगा। इतनी समझाइश के बाद मेरे लायक दोस्त महसूस करेंगे कि उनका जो प्रस्ताव है वह दुरुस्त नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक पोइन्ट का जवाब नहीं दिया। मिल को नोटिस दिया अन्डर देट एक्ट। वहां के लोगों ने कहा कि यह तो भुलावा है, इसकी इन्क्वायरी कराओ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—वह नहीं हो सकती है। कानूनी सलाह ली गई। मैं खुद अपनी कानूनी वकफियत के आधार पर कह सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन लोगों की शिकायत आयी थी तो उस पर जांच कराई गई या नहीं? बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहूंगा। जांच करायी गई या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो रेगुलर स्यूट फाइल होकर किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वहां के स्टाफ ने लिख कर दिया कि यह सारा का सारा भुलावा है और मिल लोस में रन नहीं कर रही है। एक करोड़ का प्रोफिट हुआ है। जांच कराओ, साबित करने के लिये तैयार हैं। यह सारी जाच करायी या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सारी जांच किस बात की हुई फिर?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हो चुकी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फिर कैसे सरकार एक्शन ले सकती थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं जिस चीज का उल्लेख कर रहा हूं उसके लिए स्पष्ट हां तो उत्तर दें नहीं तो नहीं दें। पहले भी आपको बदलना पड़ा है। जांच कराई या नहीं, निश्चित उतर चाहता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जांच कराई गई। इसमें लीगल डिफिकल्टीज थीं। गवर्नमेंट इसको कैसे ले सकती थी? जो लीगल चीज हो सकती थी वही की गई। लेने न लेने का काम तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट करेगी, आप तो रिपोर्ट करेंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को। आप कैसे कब्जा कर सकते हैं।

श्री भैरूसिंह—जांच से हिसाब गलत मालूम हुए क्या?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में और कुछ कहने की नौबत आये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—खूब कहे, नौबत नहीं होगी तो भी कहेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहां उल्लेख हुआ है, दुख और दर्द के लिए, सहानुभूति देने वालों को धन्यवाद। लेकिन मुझे तो दुख नहीं होने वाला है, दुख तो उनको होगा, जो आज यहां आते हैं कल वहां जाते हैं। हम तो अपने ठिकाने लगे हुए हैं, हमें दुख क्यों होगा?

किशनगढ़ मिल के लिए यह कहना कि मिल चालू हो रहा है, इससे मजदूरों को खुशी है, राजस्थान के लोगों को खुशी है और इससे हर इन्सान को खुशी होनी चाहिए।

इन्टक का सारा डिब्बा का डिब्बा गोल हो जायगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि इतने दिन चालू क्यों नहीं किया? आज मिल चालू हुई है, यह तो खुशी है लेकिन इतने दिन चालू आप नहीं कर पाये, इसका दोषी कौन है? क्यों नहीं कर पाये, इसलिये कि आपको तो हीरालाल पाटनी का पक्ष खींचना है। अभी अभी जैसा कि वित मंत्री महोदय ने कहा ये बातें कहने में वैसे माहिर मालूम होते है। उन्होंने सोचा होगा कि सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स के समय कोई एलीगेशन्स थोड़े ही हो सकते हैं और अगर होंगे तो कह देंगे गलत है और चार दिन के बाद वापिस कबूल कर लेते लेकिन कर्टसी. के नाते उन्हें इसके लिये सदन से माफी तो मांगनी चाहिए थी। जब एक प्रश्न आया कि 'नवयुग' को रीनें दी गई या नहीं, तो झूठा उत्तर दिया गया, "नहीं दी गई", लेकिन बाद में कुछ करना पड़ा उसकी भी माफी हुई है।

कुम्भारामजी के फार्म (Farm) पर ट्रेक्टर गया या नहीं, यह जब पूछा तो कह दिया नहीं गया। बाद में कबूल कर लिया उसकी भी माफी हुई है। तीसरी माफी आज हो रही है। मैं आपको यह कह सकता हूँ आपने जांच नहीं की, अगर की है तो किस अधिकारी ने की है। आपने जो जांच की बात कही है वह बेबुनियाद बात कही। अगर जांच की है तो किसने की, कौनसी तारीख को की? इस सम्बन्धी जो पत्र व्यवहार हुआ है उसकी कॉपी मेरे पास भी है। उन पर जो एलीगेशन्स

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थे उनकी जांच जान बूझ कर नहीं की गई है । सेठ साहब ने झूठ हिसाब बता बता कर घाटा दिखाया है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो आप दावा कर दें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं शेयर होल्डर होता तो दावा करने की नौबत ही आने नहीं देता । यह तो सरकार बनाकर जो लोग बैठे हैं उनको यह सब बातें करने के लिये तैयार होना चाहिये । दावा करने वाले तो दूसरे होते हैं....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं समझता हूँ कि हमको कोई अख्त्यार नहीं दावा करने का ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दावा करने वालों का मौका आयगा तो वे करेंगे ही, वे मरे नहीं लेकिन सरकार तो जवाब दे उसने क्यों नहीं किया........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपका तो केवल बोलने का काम है कानून का काम हमारा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप कानून के माहिर हैं, इसका तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में माहिरपना बतलाइये । लेकिन यह दावा सरकार की कमजोरी के कारण नहीं हो रहा है इसके लिए हम जवाब चाहते हैं । जहां तक कानून की जानकारी का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, अन्डर इन्डस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट के मातहत दो महीने का नोटिस देकर नोटिफिकेशन शाया किया जा सकता था और चार्जटेक ओवर किया जा सकता था । मैं आपको एक मजमून बनाकर देता हूं, आप उसको भारत सरकार से मन्जूर करवा कर लाइये । उसके बाद आप उस पर दावा कर दीजिये । अगर आप उसमें हार जायें तो आप मुझसे खर्चा वसूल कर लीजिए । आपको मालूम होना चाहिये कि जब शोलापुर मिल ली गई थी तो कानून के अन्दर अड़चनें थीं, उसके लिए संविधान बदला गया । प्रश्न तो यह है कि हिसाब में जो गोटाला किया गया उसकी जांच तो करते । मिल फिर शुरू हो गई फाइनेन्शियर बीच में आते तो जरूर कुछ बात ठीक थी । एक फाइनेन्शियर को तो जरूर तैयार किया गया और वह भी सरकार ने तैयार किया नहीं, किया हो तो वैसा कह दें । चिट्ठी मिल जायेगी । उनसे क्या बातचीत हुई वह भी मालूम हो जायगी । उनको क्या क्या संदेश भेजे, यह भी बताया जा सकता है । आपको जनता के सामने इन्कार नहीं करना चाहिये । यह किशनगढ़ का मामला नया नहीं, लगातार कई अरसे से चलता चला आया है । पहले आपने देखा होगा कि मजदूरों का जो बकाया था वह नहीं मिला । उसके बाद डेढ़ साल तक लोक आउट रहा । पहले कहा गया कि यह कचरा पट्टी मिल है, हम लेकर क्या करें ? कचरा पट्टी की चीज हम नहीं लेना चाहते । मुझे आज बहुत खुशी है कि ये ही वित्त मन्त्री महोदय आज उस बात का जवाब दें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि इसी कचरा पट्टी मिल के लिए उनके फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने भारत सरकार से यह कैसे सिफारिश कर दी कि इस मिल को १५ लाख रुपया कर्ज दे दिया जाय........

कु० श्री जसवन्तसिंह—उस वक्त तो पोजीशन ही और थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रेजेन्ट केबीनेट के प्रेजेन्ट फाइनेन्स मिनिस्टर ही तो उस समय थे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—उस समय पाटनी साहब की स्थिति और थी........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रिकमन्ड करना तो हमारा फर्ज था, वे दें या नहीं दें। जो कायदा उनका बना हुआ है उसके अनुसार हम सिफारिश कर देते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिकमन्डेशन करने का भी तो कोई सुलूक होना चाहिए। एक दिन कुछ बात कहते, दूसरे दिन कुछ, जो गलत चीज हो वह आप मन्जूर करना नहीं चाहते। आपने रिकमन्डेशन क्यों की? इसलिए की कि आपको हीरालाल पाटनी की लल्लो चप्पो करने के लिए आपको १५ लाख रुपये का रिकमन्डेशन करनी पड़ी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हम अब भी करते हैं रिकमन्डेशन्स।........

श्री उपाध्यक्ष—डिबेट इस शक्ल में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की आपसी बातचीत नहीं होनी चाहिए........

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इन्टेलीजेन्ट इन्टरप्शन्स हों तो मैं उनका जवाब भी दूं, खाली टासा जमा कर दबाने की कोशिश करें तो और कई कलियां खुलेंगी। इस सम्बन्ध में सारा का सारा जो मसला है, इसमें जो महत्व की बात था वह तो वे चबा गये। मैं जो कह रहा हूं उसका आधार है इस राजस्थान विधान सभा द्वारा मुकर्रर की हुई पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर सिफारिश है, जो छप चुकी है। किशनगढ़ मिल को जो कर्जा देने की सिफारिश की गई वह इर्रेगुलर बात थी, गलत बात थी। जिसने ये बातें कीं उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, यह उस कमेटी की सिफारिश है। उस कमेटी के कुछ महीनों तक मौजूदा वित मन्त्री भी सदस्य रह चुके हैं। उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और यह उस कमेटी की यूनेनीमस सिफारिश है। ऐसी स्थिति में आप यह कह सकते हैं कि कोई भी आकर मिल चालू कर सकता है। पचासों तरीके हैं जो इस्तेमाल किये जा सकते हैं—मजदूरों का हित आप समझते तो उस समय चालू करवाते जब कि डेढ़ साल से मिल बन्द पड़ा हुआ था। आज हीरालाल पाटनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती। मुझे जहां तक पता है उनके ऊपर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार का भी बकाया काफी है, सुपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ के भी कई लाख रुपये उनमें बाकी हैं। जैसा कि बारबार लॉ डिपार्टमेंट का उल्लेख होता है कि हमें लॉ डिपार्टमेंट से ऐसी राय मिल गई, उस लॉ डिपार्टमेंट का भी मैं कुछ उल्लेख कर दूं। सुपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज के इस किशनगढ मिल के हीरालाल पाटनी में लेने के करीब साढे तीन लाख रुपये बाकी हैं। उसके लिये येही पाटनी साहब लॉ डिपार्टमेंट से लिखवाकर ले आये कि ये रुपये तो इनसे वसूल नहीं किये जा सकते।

और फिर जरा शोरगुल हुआ इधर उधर से तो लॉ डिपार्टमेंट ने लास्ट इयर लिख दिया और लॉ डिपार्टमेंट की राय आने के बाद आखें मूंदकर फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने और इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने केस रिकमन्ड कर दिया। पर वसूली वह आज तक नहीं हुई। यह भी कह दीजिये कि यह भी रियायत का या पक्षपात का नमूना नहीं है। आप निलाम बोलते। भले ही फिर २५ रुपये में यह आपको मिलती। बड़ा अच्छा होता। मुबारकवाद की चीज होती।

श्री हरिराम मिनामा—इन बातों में कोई मजा नहीं आता। गैर जिम्मेदारी की बातें हैं?

(कुछ क्षणों तक अट्टहास)

श्री हरिकृष्ण व्यास—विधान सभा भवन को सिनेमा घर समझ कर आते हैं तो कम से कम वे न आया करें। यहां उन्हें कोई मनोरंजन नहीं आवेगा। यहां तो धड़ाधड़ पड़ेंगे, बेभाव की भी पड़ेंगी। अगर पब्लिक का काम करना है तो फिर यहां भी आनन्द आवेगा और इसके अलावा और कोई आनन्द यहां आप लेना चाहें तो नहीं आवेगा।

इसलिए मैं इस प्रस्ताव के सिलसिले में आपका और सदन का और समय नहीं लेते हुए इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि यह असंतोष होने के कारण ही यह कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और प्रार्थना करता हूं कि सदन इसे मंजूर कर ले और इन गलत तरीके से काम करने वालों को थोड़ी सी तो अक्ल सिखलावें। यह मेरा प्रस्ताव है। और इस पर आप मत लें, यह आप से दरख्वास्त है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष (श्री भैरूंसिंह से)—आप अपना कटौती का प्रस्ताव विथड्रा करना चाहते हैं?

श्री भैरूसिंह (१६)—जी नहीं, मैं प्रेस करूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरूसिंह जी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह डिमान्ड·······

भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहूँगा कि आगे का प्रोग्राम हमारा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—डिमान्ड को पूरी कर लेने के बाद में इस पर विचार कर लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—इस पर तो गिलोटेन लगाना है। बजट पर फिर आपको बहुत कहने का मौका मिलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिलकुल गलत बात है उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकेगा। बजट के तो बड़े मसले में सबमर्ज हो जावेंगे। वे पोइन्ट, जो हम यहां डिमान्डवाइज डिस्कस करना चाहते हैं ये परचेजेज़ के मामले हैं। यह अधिकार हमारा नहीं छीना जाना चाहिए। हम एक एक पोइन्ट पर इस समय बहस करना चाहते हैं। बड़े अहम परचेजेज़ के ये मसले हैं। आप फिर समय नहीं हो तो शाम को बैठें, कल बैठें, शनिवार को बैठें, इतवार को बैठें, हमें ऐतराज नहीं। पर मेम्बरों का गला मत घोटें।

श्री मथुरादास माथुर—हम तो मेम्बरों की गले की सुविधा के लिये ही कह रहे थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुविधा करो, पर वह सुविधा गले को घोटकर नहीं।

श्री मथुरादास माथुर—हाउस की सैंस पहले ले लीजिये साहब, फिर आप चाहें तो कल बैठिये, परसों बैठिये, कभी भी बैठिये, शाम को बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष क्या सदन की अनुमति है कि आज शाम को बैठा जावे।

("नो नो" की आवाज)

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—यों नहीं साहब। आप यह पूछिये कि बोलने वालों की दिलचस्पी किन किन की है, उनकी राय लीजिये।

Page No.74

श्री हरिकृष्ण व्यास—सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के लिये दो दिन रख दीजिये । मैं यह मानने को तैयार नहीं कि इन पर विचार न किया जाय । एक दिन में काम करते करते आधा दिन कर दिया और अब एक घंटे में ही निपटाना चाहते हैं । प्रजातन्त्र का नाम फिर क्यों लेते हैं ? टाइम रोलर चला रहे हैं मेजोरिटी के बल पर ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सदस्य बोलना चाहें तो शाम को रख दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—४ बजे का टाइम ? आज शाम को रखें या कल छुट्टी के रोज ?

श्री मथुरादास माथुर—शाम को मुश्किल है साहब । लोग कल शिवरात्रि के कारण अपने अपने घरों को जाने की कोशिश करेंगे । उनको दिक्कतें होंगी ।

श्री रामकिशोर व्यास—कल सुबह रख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने वालों की अगर इच्छा है; शाम की या सुबह की या दोनों टाइम की तो कोई भी समय रखा जा सकता है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—शाम को रख लीजिये साहब ।

श्री उपाध्यक्ष—कितने लोग बोलना चाहते हैं ?

(विराम)

कटौती के प्रस्तावों पर कितने लोग बोलना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर—कोई अधिक नहीं होंगे साहब । इससे तो फिर यही ठीक रहेगा कि जो बहस करनी है अभी कर ली जावे । अभी एक घंटा और जारी रख लिया जावे । अगर आपकी इच्छा है तो हम एक घटे भर और बैठने को तैयार हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सब जो दो सदस्य बार बार कहे जाते हैं कि इच्छुक है यह बड़े डेरोगेटरी तौर से सदस्यों की तरफ देखते हैं । यह करोड़ों रुपयों पर बोलने और सोचने के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत बुरी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—कल सुबह के लिए टाइम रख दिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर—कल छुट्टी है, सैटरडे है; तय कर लिया है, यह नहीं होना चाहिए । सैटरडे को ऐसा रखते हैं तो दिक्कत हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी टाइम और बढ़ा दें । शाम को रखने से रिपोर्टर्स और आफिस को दिक्कत रहती है । कल सुबह या अभी कुछ और टाइम बढ़ा दिया जाय ।

अनुपूरक अनुदान के लिये ६७ मांग संख्या ६७-ता-राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम धन (पूर्व क्रम से)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि जो अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ६७ ता- राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन, के संबंध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७२-अन्य कर और महसूल

श्री अमृतलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १००० तक की धनराशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, मांग संख्या ७२ के संबंध में मैं अपना यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ; इसलिए कि कस्टम विभाग के कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने या राज्य सेवा से मुक्त करने में अनुचित मार्ग का अनुसरण किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष इस सदन के पिछले सत्र में प्रश्नोत्तर काल के अलावा ३ बार माननीय सदस्यों ने अपनी बहस में इस बात का उल्लेख किया था कि राजस्थान में कस्टम्स डिपार्टमेंट के कम होने के बाद उस विभाग के जितने कर्मचारी थे उनको जल्दी से जल्दी धन्धे पर लगाया जाकर उनकी जितनी तनख्वाह है वह उनको तुरन्त दे दी जाय, तो पृथक राजस्व मंत्री की ओर से उस समय उत्तर भी मिला था और बहुत गर्व के साथ कि इसके जितने भी इस प्रकार के सरप्लस कर्मचारी थे उन सब लोगों को धन्धा दिया है, उन सब लोगों को काम पर लगाया गया है, उन सब लोगों को तनख्वाहें दी गई हैं और आज जब उन्होंने मांग की और उस मांग में एक बात का और उल्लेख किया है कि उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को राज्य सेवा से मुक्त भी किया है और उनको मुक्त करने के कारण सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ा है उस बोझ को पूरा करने के लिए यह मांग की गई है; उसको स्वीकार किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के इन कर्मचारियों को मुक्त करने के सरकार ने जो नियम अपनाये हैं वे नियम यदि आवश्यक रूप से सारी राजकीय सेवाओं पर लागू किये जाते तो मैं समझता हूँ कि वे नियम किसी प्रकार से उचित होते, लेकिन एक डिपार्टमेंट कम हुआ और उस डिपार्टमेंट के सारे के सारे कर्मचारी स्थायी हैं; उन स्थायी कर्मचारियों को अन्य राज्य सेवाओं में नही

Page No.76

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

लिया गया, वे सरप्लस हैं। उनके लिए सरकार के पास कोई धन्धा नहीं है इसलिए मुक्त किया जाय और मुक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के नियम बनाये। उन नियमों के अनुसार उनको नोकरी से निकाला जाता है तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए शोभाजनक बात नहीं हैं। हमारी राज्य सरकार ने कुछ लोगों को पटवारी बना दिया, कुछ को शिक्षा विभाग के अन्दर नौकर रख लिया, किसी को फोरेस्ट में धन्धा दे दिया, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिनकी सर्विसेज़ काफी हो गई थीं और जिनमें शारीरिक परिश्रम करने की इस प्रकार की शक्ति नहीं रह गई थी, उन लोगों को मजबूर कर दिया कि वे पटवारी भी नहीं रह सकते, शिक्षक भी नहीं रह सकते, और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में फारेस्ट गार्ड और रेन्जर के पद पर भी नहीं हो सकते क्योंकि उनमें शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है और वे शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते हैं, इसलिए घर चले जाओ सरकार को रोते हुए और घर वालों से कह दो कि मेरे पास कोई धन्धा नहीं है, सरकार ने निकाल दिया, तुम भूखों मरो।

एक ही अन्याय नहीं हुआ है उनके साथ। राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी थे उन सारे कर्मचारियों को राजस्थान बनने के बाद जब फिक्सेशन हुआ, सर्विसेज़ का इंटेग्रेशन हुआ; इस सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान की जनता जानती है कि इंटिग्रेशन में सारे कर्मचारियों को फायदा हुआ है। किसी की तनख्वाह जोधपुर में बढ़ी हुई थी। राजस्थान बनने के पहले किसी की बीकानेर में बढ़ी हुई तनख्वाह थी तो फिक्सेशन होने पर, राजस्थान में शामिल होने पर फिर इस तनख्वाह पर लाने के लिए और सारे राजस्थान के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी। पुराने राजस्थान में तनख्वाहें बढ़ी हुई थीं, उसका फायदा लेने के लिए तनख्वाहें बढ़ीं। राजस्थान के अन्दर शिक्षा विभाग और कस्टम्स विभाग के जो कर्मचारी थे उनके साथ जानबूझकर अन्याय किया गया और आज भी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि कस्टम विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका फिक्सेशन होने के बाद जो इन्क्रीमेंट होने वाले हैं वे इन्क्रीमेंट दिये जायेंगे, जल्दी ही फिक्सेशन होने वाला है, ६ महिने के बाद फिक्सेशन होने वाला है। फिक्सेशन के लिए इन्टीग्रेशन डिपार्टमेंट को लिख दिया है, एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी है जो जांच करके अपना प्रतिवेदन उपस्थित करने वाली हैं। इस तरह से कस्टम विभाग के कर्मचारियों को भुलावा दिया गया और वह उस समय तक नहीं हो सका कार्य जिस समय तक कि सरकार ने कस्टम विभाग को समाप्त न कर दिया। अब कहा जाता है कि वह डिपार्टमेंट खत्म हो गया और उसके कुछ कर्मचारियों का इन्टिग्रेशन दूसरी तरफ हो गया जैसे कि कोई अहसान किया हो। धन्धा दिया है, हम चाहते तो निकाल सकते थे, यह उन लोगों पर कोई अहसान नहीं है। राजस्थान में सर्विसेज़ के नियम हैं और उन नियमों के मातहत किसी को सर्विसेज़ से निकालने के नियम हैं। उनके अनुसार आप नहीं निकाल सकते हैं।

जिस कस्टम के कर्मचारी को ४० रु० मिलते थे उसका अगर फिक्सेशन या इन्टिग्रेशन हो जाता तो उसकी तनख्वाह ८०), ७०) के करीब आ पड़ती। फिक्सेशन हो जाने के बाद में यदि कस्टम डिपार्टमेंट का रिट्रेंचमेंट होता और उसकी सर्विसेज़ रिट्रेंच होतीं और उनको दूसरी जगह

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

एब्ज़ोर्व करना पड़ता तो उनको आज ८० रु० की तनख्वाह पर लगाना पड़ता, ८०) रुपये की जो ग्रेड है उस तनख्वाह पर उनको लगाना पड़ता। लेकिन सरकार ने जानबूझ कर उनका फिक्सेशन नहीं करने के हथकन्डे अपना कर चार वर्ष तक उन्हें लटकाये रख कर कस्टम विभाग के हजारों कर्मचारियों के साथ जबरदस्त और घोर अन्याय किया है। मैं पृथक राजस्व मन्त्रीजी से पूछूंगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट का इन्टिग्रेशन होता है, गिरदावर और पटवारियों की तनख्वाहों का रिवीजन होता है तो उन कस्टम डिपार्टमेंट के बेचारे हजारों गरीबों ने क्या अन्याय किया था कि उनका इन्टीग्रेशन नहीं हुआ। पुरानी तनख्वाहों में दूसरी नौकरी दी जाती है। जिसको २० रु० मिलते थे उनको दो साल की ग्रेड की तरक्की मिल कर २२ रु० हो जाते थे और उस वक्त वह रिट्रेंच होता तो उनको २२ रु० की तनख्वाह की पोस्ट पर लगाया जाता। यह उसका वाजिब हक है। पांच वर्ष तक जो इन्क्रीमेंट होना चाहिए था, फिक्सेशन के कारण तनख्वाह बढ़नी चाहिये थी उस बढ़ी हुई तनख्वाह के हिसाब से उनको वह पोस्ट मिलती तो उनके साथ न्याय होता। मैं कहूंगा कि जान बूझकर उन गरीबों के खिलाफ एकभारी षडयन्त्र किया गया। यह षडयन्त्र ५ साल तक चलता रहा। जो २०), ३०) रु० की तनख्वाह पाने वाले थे कस्टम विभाग में उनको उसी प्रकार की पोस्टें दी गईं। किसी को पटवारी बना दिया, किसी को चपरासी बना दिया, किसी को फोरेस्ट डिपार्टमेंट में हवलदार या चपरासी बना कर भेज दिया।

हालां कि आप यह कह सकते हैं कि चपरासी का काम करने पर उनको वही तनख्वाह मिलती है जो उस समय मिलती थी। मैं मानता हूँ कि कस्टम विभाग में उनको जो तनख्वाह मिलती थी वही मिलती होगी, लेकिन उनके पास जो रेस्पोन्सिबल काम था या जिस काम को करने की उनकी जिम्मेदारी थी और जिन पदों को वे सुशोभित कर रहे थे उनको अनुकूल काम न देकर यदि हम किसी को तनख्वाह देते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उसकी रेस्पोन्सिबिलिटि क्या है और उस पदाधिकारी का कर्तव्य क्या है ? यदि उसका कर्तव्य अनुकूल नहीं है तो उसको तनख्वाह भी वैसी कैसे दे सकते हैं ? एक कर्मचारी जो हमेशा से लिखा पढी का काम करता आया है उसको हम वह काम न देकर फोरेस्ट में भेज दें और कहे कि जाओ इस बात की गिनती करो कि इस जंगल में कितने शेर हैं और कितने गीदड़ हैं, कौन कौन गीदड़ हैं और कितने शेर आते हैं। यदि आप उसको यह कहते हो कि तुमको यह काम करना पड़ेगा तो वह शेर और गीदड़ के नाम से ही डर जायगा। आप उसको कहते हो कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जाओ और यदि वह नहीं जाता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। कस्टम विभाग में ज्यादा कर्मचारी ऐसे थे जो हिसाब किताब का काम जानते थे और एकाउन्ट्स के काम को समझते थे। अकाउन्ट्स से सम्बन्धित काम को समझने वाले को गीदड़ों की गिनती करने के लिए भेजा जाय तो क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है ? यदि उनको यह कहा जाय कि मिनिस्टरों के दरवाजे पर चपरासी बन कर पहरा दो तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। यह तो उनको निकालने की विधिवत कार्यवाही होगी और ऐसा ही हुआ। उनमें से कई एक ने अपनी कठिनाइयां बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करके सरकार से मांग की कि हमारे साथ न्याय किया जाय, लेकिन उनकी सुनवाई कौन करता है ? मैं समझता हूँ कि पिछली

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

मर्तबा जिस समय यह उत्तर विधान सभा में दिया जा रहा था कि सारे कर्मचारियों को धंधे पर लगा दिया गया है उसी समय कई कर्मचारी दरवाजे के बाहर धरणा दिये बैठे थे और उन्होंने कहा कि मन्त्रीजी झूठ बोल रहे हैं। उस उत्तर के २० मिनिट बाद ही मैंने मंत्री महोदय को उन कर्मचारियों से मिलाया और उन्होंने मन्त्रीजी को बताया कि तीन महीने से न तो उनको तनख्वाह मिलती है और न काम ही मिलता है और वे भूखों मर रहे हैं। कमिश्नर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कलेक्टर के पास जाओ और कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि सीकर कलेक्टर के पास जाओ और सीकर कलेक्टर कहते हैं, जालोर कलेक्टर के पास जाओ लेकिन उनको वास्तव में काम कोई नहीं देता है। इसलिये मैं माननीय पृथक राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन्टीग्रेशन के बाद में जो उनकी तरक्की हुई है उसके अनुसार उनको इन्क्रीमेंट दिया जाय और उनको जो लाभ होना ड्यू हो वह पहुँचाया जाय और उनके साथ जबरदस्ती करके उनको सर्विसेज से निकाला न जाय या उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाय। मैंने जो प्रमुख मांग रखी है उस पर, मैं समझता हूँ पूरा ध्यान दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—सूचना यह है कि शाम को ४ बजे फिर सदन की बैठक होगी, इसलिए जो लोग बोलना चाहते हैं उनको उस समय बोलने का अवसर और मिल जायगा। अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

श्री हरिदेव जोशी—एक मांग तो पास करदी जाय ताकि एक काम तो समाप्त हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जो बोलना चाहेंगे उनको फिर मौका मिल जायगा। उसके बाद जो मांगें रह जायेंगी उनको गुलेटिन लगा कर पास कर दिया जायगा।

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही १२ बजकर ४७ मिनट पर, सायंकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-९ मार्च, १९५९

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर देखिये)

सूची सहकारी समितियां जिन्हें ता० १-१-५५ के बाद अनुदान दिया गया

क्र० सं०	नाम	यूनिट नाम समिति जिन को अनुदान दिया गया	रकम अनुदान जो दी गई
१	अलवर	दी अलवर सेन्ट्रल को० बैंक लि० अलवर	२,०००)
२	,,	अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लि० अलवर।	३००)
३	,,	मौजपुर कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी	५००)
४	भरतपुर	भरतपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० भरतपुर	२,०००)
५	,,	नागर पारा चमारान उत्पादक सहकारी समिति धोलपुर	२००)
६	,,	चमारान कोआपरेटिव सोसाइटी बयाना	२००)
७	,,	हरिजन हड्डी सहकारी समिति लि० भरतपुर	३००)
८	कोटा	सहकारी बीज गोदाम अन्ता	५००)
९	,,	दी कोटा कपोरेटिव इन्सटीट्यूट	५००)
१०	,,	सीरिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	२,०००)
११	,,	श्री बजरंग बहुधंधी सहकारी समिति लि०	५००)
१२	,,	श्री आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	५००)
१३	,,	अमर सौपरिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	५००)
१४	,,	श्री शंकर खेड़ा बहुधंधी सहकारी समिति लि०	५००)
१५	,,	श्री दीनबन्धु बहुधंधी सहकारी समिति लि०	५००)
१६	गंगानगर	दी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० गंगानगर	२,०००)
१७	,,	गंगानगर चमारान उद्योग सहकारी समिति	३००)
१८	,,	गंगानगर कर्मचारी विश्राम गृह समिति	५००)
१९	,,	हरिदास की ढाणी जीवन सुधार सहकारी समिति	२००)
२०	,,	नवयुग जीवन सुधार सहकारी समिति, गंगानगर	२००)
२१	,,	संग्री हरिजन उत्पादक सहकारी समिति	३००)
२२	,,	हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति कर्णपुर	३००)

Page No.80

क्र० सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिन को अनुदान दिया गया	रकम अनुदान जो दी गई
२३	उदयपुर	भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोप० बैंक लि० भीलवाड़ा	२,०००)
२४	,,	बांसवाड़ा सेन्ट्रल कोप० बैंक लि० बांसवाड़ा	२,०००)
२५	,,	सरवाड बहुधंधी सहकारी समिति लि०	२००)
२६	,,	धरती देवी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
२७	,,	आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
२८	,,	फल गोयरा बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
२९	,,	लसोडिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
३०.	,,	श्यरदा आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
३१.	,,	रोजिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
३२.	,,	कोटड़ा बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
३३.	जयपुर	ढाणी मीना कोआपरेटिव विलेज बैंक	१०००)
३४.	,,	रैवाल माजी टेनरय कॉप० सोसाइटी	२००)
३५.	,,	बसवा टेनर्स कोप सोसाइटी	२५०)
३६.	,,	जयपुर चर्म उद्योग सहकारी समिति	३००)
३७.	,,	बड़ा गांव रेगर सहकारी समिति	२५०)
३८.	,,	मेहवा हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति लि०	२५०)
३९.	,,	खाबदा नया मौजा बहुधंधी सहकारी समिति	३००)
४०.	,,	बस्सी टेनर्स सहकारी समिति लि०	२००)
४१.	,,	राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० जयपुर	२,०००)
४२.	,,	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि० जयपुर	२,०००)
४३.	,,	लछमन शाह कोप० फार्मिंग सोसाइटी दौलतपुर	१,०००)
४४.	,,	केलिको प्रिन्टर्स सहकारी समिति सांगानेर	४००)
४५.	,,	कोपरेटिव इन्स्टीच्यूट जयपुर	५००)
४६.	,,	महारानी गर्ल्स पब्लिक स्कूल सहकारी समिति जयपुर	२००)
४७.	,,	कुटीर उद्योग सहकारी समिति जयपुर	२५०)
४८.	,,	आदर्श उद्योग सहकारी समिति जयपुर	२५०)
४९.	,,	चित्रगुप्त कोआपरेटिव सोसाइटी लि० जयपुर	१,०००)
५०.	,,	केन्द्रीय सर्वोदय संघ लि० जयपुर	५००)

Page No.81

क्र० सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिन को अनुदान दिया गया	रकम अनुदान जो दी गई
५१.	जयपुर	सेन्ट्रल कॉप मार्केटिंग यूनियन सांगानेर	१,५००)
५२.	,,	सेन्ट्रल कॉप० मार्केटिंग यूनियन बस्सी	१,५००)
५३.	जोधपुर	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि० जोधपुर	२,०००)
५४.	,,	राजस्थान टूल मेन्यूफेक्चर्स सहकारी समिति नागौर	५००)
५५.	,,	खिवांदी कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी	५००)
५६.	,,	गंगा चर्म उत्पादक सहकारी समिति विशालपुर	३००)
५७.	,,	बरवाड़ा धोलिया रखतान बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
५८.	,,	सीरिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
५९.	,,	ग्रासिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
६०.	,,	बानेराय बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
६१.	,,	मादड़ी मीना बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)
६२.	,,	भूला बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)

परिशिष्ट २

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रक्खे गये)

२. (१८ । एफ. एम.) श्री केसरीसिंह, एम. एल.ए. (७५)–क्या वित्त मंत्री निम्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क. राजस्थान राज्य के बनने से आज तक कौन २ सी ट्रेजरियों में कितने एल. डी. सी. यू. डी.सी. रखे गये हैं ?

ख. कौन २ सी ट्रेजरियों में कितने २ क्लर्कस का फिक्सेशन हो गया और कितनों का तक नहीं हुआ है ?

ग. जिनका फिक्सेशन अब तक नहीं हुआ है उनका कबतक हो जायगा ?

Page No.83

ne of Treasury.	Number of Clerks employed in Treasuries. U.D.C.s	L.D.Cs.	Number of clerks fixed so far in Unified Pay Scale.	Number of clerks not fixed.
ipur.	17	20	34	3
awai Madhopur.	3	7	8	2
onk.	3	5	7	1
lwar.	5	5	9	1
hunjhunu.	3	4	6	1
kar.	4	3	4	3
Barmer.	3	3	5	1
Bikaner.	8	5	13	–
Bundi.	3	4	6	1
haratpur.	6	5	11	–
Nagour.	2	6	8	–
Churu.	4	3	3	4
Banswara.	2	3	5	–
Udaipur.	11	6	16	1
Kotah	11	11	22	–
Ganganagar.	5	4	9	–
Sirohi.	2	5	6	1
Chittorgarh.	3	6	7	2
Bhilwara.	5	6	11	–
halawar.	4	3	6	1
Pali.	3	6	7	2
Jalore.	3	2	3	2
Jodhpur.	11	10	21	–
Jaisalmer.	1	3	4	–
Dungarpur.	2	2	3	1
Total :	124	137	234	27 = 261.

राजस्थान विधान सभा

आठवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, सन् १९५९ ई०

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में (मध्यान्होत्तर) ४ बज कर १५ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुपरक अनुदान के लिये मांग संख्या ७२—अन्यकर और महसूल (पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह बोल चुके हैं। अब आप जवाब दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न के जवाब के दौरान में बताया कि कस्टम डिपार्टमेंट के सरप्लस कर्मचारियों को एब्जोर्ब किया गया, कहा कि ऐसा नहीं हुआ वह जवाब गलत था और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उन लोगों की मुझसे मुलाकात भी कराई जिनको सरप्लस कर्मचारी होने पर भी यह बताया गया कि जगह नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो लोग रिटायर हो गये हैं वे सख्ती के साथ रिटायर किये गये हैं। ये दो बातें खास तौर से कही और तीसरी बात यह कही कि इन्टीग्रेशन नहीं हुआ इससे जो नुकसान हो सकता है वह हुआ। ये तीनों बातें आपने कहीं।

मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे किसी से मिलाया या कोई बात हुई हो।

श्री भैरूसिंह (१९)—आप रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिये कि मैंने उनसे लोगों को मिलाया या नहीं। मैंने कहा भी यही था कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से लोगों को मिलाया, जिनको सरप्लस होते हुए भी एब्जोर्ब नहीं किया गया।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह सुना नहीं था। मैंने समझा मुझसे मिलाये।

एक माननीय सदस्य—आप सेपरेट रेवेन्यू के हैं इसलिये आपने यह सुन लिया होगा।

श्री अमृतलाल यादव—आपने उनसे मिलाया होगा। लेकिन यह बात जरूर हुई थी कि जिन लोगों को पटवारियों की ट्रेनिंग में भेजा गया था, सरकार उनको तभी से जब वे उस काम

Page No.85

[श्री अमृतलाल यादव]

से अलग हुए थे काम पर लगाने की कोशिश की और उसके लिए जो योग्य थे उनका पटवारी ट्रेनिंग के लिए भेजा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनके कौन ऐसे हितैषी थे जिन्होंने उनको सलाह दी कि आप पटवारी ट्रेनिंग ज्वाइन मत कीजिये और उनको यह कहा गया कि इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, आप ट्रेनिंग में शामिल मत होइये। उनमें से कुछ लोग ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए और यहां आकर यह बात कहने लगे कि हम ट्रेनिंग में नहीं जावेंगे, अब इस उम्र में क्या ट्रेनिंग करें। कोई और काम दीजिये, ट्रेनिंग में तो नहीं जाना चाहते।

मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष कि उस वक्त पहले भी बताया गया था कि जो विभाग समाप्त होते हैं उसके कर्मचारियों को जो नियम सरकार के बने हुए हैं उनके अनुसार उनको अलग अलग किया जाता है और उनके अनुसार वे सरकार से क्लेम नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी सरकार ने यह बात सोची कि ये जो लगभग तीन हजार से कुछ अधिक सरप्लस कर्मचारी हैं उनको लगाने के लिए कुछ न कुछ तजवीज की जानी चाहिए और वे जिस जिस काम के योग्य हों उनको उस उस काम में लगाया जाय। उन्होंने कहा कि या तो उनको सरकारी सर्विस में लगा दिया या चपरासी या पटवारी ट्रेनिंग में लगा दिया। मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जो एल. डी. सी. या यू. डी. सी. के लायक थे, और भी किसी डिपार्टमेन्ट में किसी काम में योग्य थे उनको उनकी योग्यता के अनुसार लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों को मजबूर किया गया रिटायर होने के लिए। यदि माननीय सदस्य यह संख्या दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ और याद दिलादूं कि जहां तीन हजार से ऊपर सरप्लस कर्मचारियों को लगाने का सवाल था उनमें से कुल मिलाकर केवल १७४ आदमी हैं जो पचास साल की उम्र पर रिटायर किये गये हैं और उनको जो लोभ दिया गया है वह यह है कि पचपन साल की उम्र तक पहुँचने के वक्त जो उनको इन्क्रीमेन्ट्स मिलने चाहिये थे उनका जोड़ कर पेन्शन दे दी गई। यह नहीं हुआ कि उनका कोई नुकसान किया गया। बाकी अब आप अन्दाज लगावें कि तीन हजार से ऊपर कर्मचारियों को लगाने का सवाल था उनमें से १७४ लोगों को पांच साल का इन्क्रिमेन्ट देकर रिटायर करने में कैसे अहित हुआ या जो उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर कहा कि यह अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरा उन्होंने बताया कि उन लोगों का नुकसान हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि तीन महीने का नोटिस दिया था, तीन महीनों की उनको तनख्वाह दी गई थी। उसके बाद भी जब तक दूसरे विभागों में न लगे तब तक की तनख्वाहें भी उनको दीं गई थी। जहां भी जो लोग थे, जो तनख्वाहें वे पा रहे थे, उनकी तनख्वाहों में कमी नहीं की गई। इस तरह से जहां उन लोगों को लगाया जा सकता था लगाया गया, लाभ पहुंचाया जा सकता था पहुंचाया गया। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य कहें कि उसके साथ अन्याय हुआ है, मैं समझता हूँ कि वे खुद विचार करेंगे कि यह उनके लिए वाजिब बात नही होगी इस तरह का कहना। पहले यह खयाल था कि दस लाख रुपयों में यह खर्चा पूरा हो जायगा और इससे अधिक की मांग नहीं करनी होगी उनको तनख्वाहें देनी जरूरी थी, लगाने के लिए खर्चा करना जरूरी था इसलिए

[श्री अमृतलाल यादव]

१ लाख ६६ हजार की अतिरिक्त मांग की गई है। इतना कहने के पश्चात् माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और इस मांग को सदन स्वीकार करेगा।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय पृथक राजस्व मंत्रीजी का कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया था। उस समय मुख्य तौर पर मैंने यह निवेदन किया था कि कस्टम्स के कर्मचारियों को लाजमी तौर से रिटायर किया गया। माननीय पृथक राजस्व मंत्री ने बताया कि उनका रिटायरमेंट जरूर हुआ लेकिन उनको कोई नुक्सान नहीं हुआ। मेरी यह दलील समझ में नहीं आयी कि ५५ साल की उम्र पूरी होने बाद उसको रिटायर करते हैं, लेकिन जिसकी उम्र पचास साल की होगई, जिसको पांच साल सर्विस करने का अब तक हक है उसका कम्पलसरी रिटायरमेंट करते हैं और उसके आंसू पूंछने के लिए हम उसको जो अन्तिम रूप से पे होकर उसकी पे के हिसाब से जो पेन्शन हो सकती है वह देते हैं, मुझे अफसोस हुआ यह सुनकर माननीय पृथक राजस्व मंत्री से कि उनको कोई नुकसान होता है वह उनकी समझ में नहीं आया! एक व्यक्ति जो पचपन साल की उम्र पर रिटायर होता है और ६० रुपये पर रिटायर होता है और वह व्यक्ति जिसको पचास साल पर आप कम्पलसरी रिटायर कर देते हैं, पांच साल और सर्विस करता तो साठ रुपये मिलते और रिटायर होता। तो उस हिसाब से आप उसको जबरदस्ती रिटायर करके, पांच साल पहले रिटायर करके, तीस रुपया पेन्शन देते हैं जो कि उसको पांच साल नौकरी करने के पश्चात् भी मिल सकती थी और उसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि उनको कोई नुकसान हुआ हो, यह उनकी समझ में नहीं आया। आज कोई यह देखे कि तीस रुपये महीने की पेन्शन लेने के बाद उसको कोई धन्धा मिल जायगा, गांव में जाकर वह कोई धन्धा लेकर बैठ जायगा, अथवा गांव के लोग उसको कोई धन्धा दे देंगे, तो उनकी समझ में नहीं आने की बात पर मुझे ताज्जुब होता है। कम्पलसरी रिटायर करके उसको पेन्शन दे दी, जो पांच साल में, उनको तनख्वाह मिल सकती थी वह उनसे छुडवा ली, उनको कोई धन्धा नहीं मिले, उनके बाल बच्चों का वे कैसे पेट भरें, अगर कोई उनको कोई काम धन्धा दिलाया जाता तो ठीक बात थी लेकिन उनको पांच साल पहले रिटायर करके कहा यह जाता है कि उनको पांच साल तक जो इन्क्रीमेंट होता था वह जोड़ कर पेन्शन दे दी; उनको पांच साल पहले पेन्शन पर रिटायर करके, औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं। तीस रुपये पर आप रिटायर करके कहते हैं कि उनको पेन्शन दे दी जब कि उसको अभी तक खाली पांच साल तक सर्विस करनी बाकी थी, उसका पांच साल तक सर्विस करने का हक था, पांच साल में उसको तो तीस रुपये माहवार के हिसाब से नुकसान हो गया और उसके बावजूद भी यह औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वह औचित्य और क्या है इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष।

मननीय पृथक राजस्व मंत्री ने बताया कि सब लोग धन्धे पर लगा दिये गये। वे नोट करना चाहें तो कर लें। कस्टम के जो कर्मचारी हैं, ६० के करीब को धन्धा नहीं मिला है बल्कि इसी महिने में उनको नोटिस मिला है कि वे डिपार्टमेन्ट को छोड़ कर चले जायें। नोटिस की भाषा मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूँगा। नं० Estab||3703.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, वह डिपार्टमेन्ट को वाइन्डअप (wind up) करने के लिए स्टाफ था जो कि ३१ मार्च तक के लिए ही था । अभी ३१ मार्च नहीं हुई है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि वाइन्ड अप करने के लिए जो स्टाफ रखा है वह खपा दिया गया है। उसके बाद कितने काम पर लगते है वे बताते फिर।

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, बात बिलकुल ठीक है। डिपार्टमेन्ट को वाइन्ड अप करने का प्रश्न है, सरकार उनको धन्धा देगी, मुझे इस बात का आश्वासन मिले कि चाहे सरकार बेकार बिठा कर ही तनख्वाह देगी। नोटिस की भाषा जो है वह यह है कि राज्य को १. ४. ५६ से आपकी आवश्यकता नहीं है, स्पेयर.......,,

श्री अमृतलाल यादव—कायदे से नोटिस देना था वह दिया गया। राज्य की ओर से जो कायदे से नोटिस दिया जाना चाहिए था वह दिया गया किन्तु उनको लगाने की तजवीज उसी तरह से की जायगी जिस तरह से पहले की गई।

श्री भैरूसिंह—अगर सरप्लस डिक्लेयर किये गये तो मैं समझूं कि इसमें कोई औचित्य है। नोटिस दे देते हैं कि आज तुम्हारी सर्विसेज की जरूरत नहीं, चार्ज देकर घर जाओ, तुमको निकाल दिया, रिटायर हो गये, काम धन्धा देने की जरूरत नहीं और यह लो नोटिस तुमको दे दिया, जाओ घर बैठ जाओ, यह कोई औचित्य है ? अध्यक्ष महोदय, भरतपुर सब डिविजन के जितने कस्टम्स के नाकेदार थे आज भरतपुर में जाकर देख लें, किसी को काम नहीं मिल रहा है और कई कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाहों का झमेला पड़ा हुआ है। आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि कस्टम्स के जो कर्मचारी शिकार हुए हैं, उनको अधिकारियों की ओर से राहत नहीं मिली है।

दूसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष, मैंने यह उठाया था कि इन्टीग्रेटेड सेटअप में जिन कस्टम कर्मचारियों का फिक्सेशन हुआ जैसे किसी कर्मचारी को ८० रुपये माहवार मिल रहे थे तो उसको पटवारी के अन्तिम ग्रेड में लगा दिया, इससे क्या हुआ कि उसका ग्रेड रुक गया, वह बेचारा जितने भी साल सर्विस करेगा उसी तक सीमित रहेगा। चाहिए तो यह था कि उसको ८० से ऊपर के ग्रेड में लगाते जिससे उसको हिसाब से ग्रेड इनक्रीमेन्ट मिलता रहता। ८० रुपये पाने वाले को उसमें लगा दिया है ताकि ग्रेड इन्क्रीमेन्ट का प्रश्न ही पैदा न हो। इस तरह से आपने सारे कस्टम कर्मचारियों को आर्थिक संकट में डाल दिया है और ऐसे आर्थिक संकट में डाल दिया है कि वे सर्विसेज में आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी एफीशियेन्सी शो नहीं कर सकते। इन सब बातों को कहते हुए मैं पृथक राजस्व मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे सारे कर्मचारियों को लगाने के बारे में स्पष्ट उत्तर सदन में दें। वे यह भी जानकारी प्राप्त करें कि उनको वाकई में लाभ मिल रहा है या नहीं ? मैं पचास साठ ऐसे कर्मचारियों के नाम बता सकता हूँ और अगर वे चाहें तो इस सदन के बाद मैं उन कर्मचारियों से मिला सकता हूँ जो इसके शिकार हुए हैं और आपका स्वागत करने के लिये सदन के बाहर बैठे हुए हैं। ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कम्पल्सरी रिटायर किया गया है सरप्लस कर इनको सरविसेज से निकाल दिया है, मैं उनके द्वारा स्वागत के लिये बीसों आदमियों को लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री अमृतलाल यादव से) आप जवाब देना नहीं चाहते ।

श्री अमृतलाल यादव—जवाब तो पहले दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरूसिंह ने रखा है मांग संख्या ७२ में वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७२, जो श्री अमृतलाल यादव ने रखी है, स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७२ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ८०-चिकित्सा

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ८० लेखे का शीर्षक ३८ चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ८,५३,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री हरिकृष्ण व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव मांग संख्या ८०-चिकित्सा में यह है कि जो मांग प्रस्तुत की गई है उसमें १०० रुपये की कटौती कर दी जाय । इस प्रस्ताव के सिलसिले में जो मुख्य कारण प्रस्तुत किया गया है वह यह है; आवश्यक वस्तुओं की खरीद में अनावश्यक देरी ।

अनुदानों के सिलसिले में जो विवरण पेश हुआ है उसके पेज नम्बर ७ पर इस प्रकार का उल्लेख है कि वर्ष के दौरान में राजस्थान के भिन्न-भिन्न अस्पतालों में सज्जा सामग्री और उपकरण खरीदने के सम्बन्ध में आवश्यक १०,४७,००० रुपये का अतिरिक्त व्यय । यह योजना प्रथम पंच-वर्षीय योजना के भाग के रूप में विभिन्न योजनाओं से बचे हुए रुपये से निष्पादित की जाने के लिये हाथ में ली गई है । यह जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके सम्बन्ध में सामान खरीदना है जो एक्स्प्लेनेटरी नोट के मुताबिक वह सामान खरीदा जा चुका है । जहां तक मेरी सूचना है वह खरीद अभी हो रही है और कुछ हो भी गई है । इस सिलसिले में आम तौर पर जैसी कि इस विभाग

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की हालत है और आवश्यक सामान खरीदने के सिलसिले में जो कार्यवाहियां आज की गई हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है ।

मार्च १९५६ जिस विषय में हम बहस कर रहे हैं उसकी शुरूआत दरअसल फरवरी १९५४ से होती है । लगभग जनवरी-फरवरी १९५४ में जैसा कि सालाना हर विभाग अलग अलग दवाइयां खरीदने के टेन्डर शाया करते हैं टेन्डर मांगते हैं नोटिस शाया करके या और किसी भी तरह कुछ आवश्यक वस्तुओं को सिलेक्ट करके अलग अलग अस्पतालों को सूचना कर देता है और इस तरह विभाग जिस चीज को खरीदने की आवश्यकता महसूस करता है उसको आर्डर देता है । आने वाले वित्तीय वर्ष में यानी १ अप्रैल, १९५४ के बाद में पूरे तो उस वर्ष के और दूसरे वर्ष के लगातार हर वर्ष टेन्डर आते हैं और उनके मंजूर होने के बाद महीनों तक लगभग खरीद होती रहती है । गत दो तीन वर्ष की हालत यह थी कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में विभाग द्वारा मंजूर होकर लिस्ट जाया करती है । बाद में विभागीय अधिकारियों द्वारा जब वादा किया गया कि अब जल्दी की जायगी तो जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया पिछले वर्ष फरवरी के महीने में, १९५४ के फरवरी के महीने में टेन्डर मांगकर उसकी जांच शुरू हुई । १९५४ का साल पूरा खत्म हो गया, ५५ का साल पूरा खत्म हो गया । उसके बीच में इन्टेरिम मंजूरियां चली गई अलग अलग अस्पतालों के लिये और हां माल खरीद करना था वहां खरीददारी भी हो गई । विभाग ने सामान भी भेज दिया लेकिन उन मामले का निर्णय अभी तक नहीं हुआ । इसका कारण आम तौर पर जो मालूम हुआ है, वह एक है, कि एक बेन्डेज का किस्सा बताते हैं कि कोई छोटी आ गई उसके ऊपर विभाग के डाइरेक्टर महोदय ने उसको नामंजूर करके सारा का सारा सामान लौटा दिया । इसमें कुछ उलझनें भी पैदा हुई महीनों तक सेक्रेटेरियट में यह विचार विनिमय होता रहा कि रूल्स में क्या परिवर्तन किये जायें और फिर उस कमेटी ने कुछ निर्णय किया । पिछले साल जब कि राजस्थान के कुछ एरिया में मलेरिया का भयंकर प्रकोप हुआ लोग जब कस्बों और गांवों में धड़ाधड़ मलेरिया के शिकार होने लगे उस समय माननीय अध्यक्ष, मैं आपको बताऊं पेल्युड्रिन जैसी दवाइयां भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थीं कारण इसका कि कीमतों की जांच पड़ताल पूरी नहीं हो पाई । निर्णय नहीं हो पाया था । मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी करने की कोशिश की तो यह पता चला कि टेन्डर जो मांगे गये थे उसमें दवाइयों के नाम लिख दिये थे अमुक अमुक दवाइयां अमुक अमुक कम्पनी की है, केमिकल्स उसमें लिख दिया था । अलग अलग कम्पनियां अलग अलग नाम से दवाइयां तैयार करती हैं और रेट्स देती हैं । अलग अलग कम्पनियों के अलग अलग रेट्स होने के कारण टेबुल लेकर विचार करना पड़ा सात और छः रुपये तक कीमतों में डिफरेंस था इस तरह से वैसे ही वह मामला चलता रहा । उस विभाग की जिस चीज पर मुझे विशेष जोर देना है, वह है इतनी भयंकर रूल की अनियमितता वह एक दो महीने की नहीं लगभग पूरा का पूरा वर्ष गुजर जाता है टेडन्र मांगने के बाद उस पर निर्णय नहीं हो पाता कौनसी दवाई कितनी मात्रा में खरीदना है, इसकी सूचना तक नहीं मिलती । मरीज वैसे ही अस्तालों में कम जाते हैं फिर भी उनको दवा नहीं मिलती ।

तो इस विभाग में विशेष चीज पर जोर देना है वह यह है इतनी भयंकर रूल की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अनियमितता । एक दो महीना नहीं लगभग पूरा वर्ष गुजर जाता है पर कोई निर्णय नहीं हो पाता कि कौनसी चीज खरीदनी है, कितनी मात्रा में खरीदनी है, इसकी सूचना नहीं मिलती । नतीजा यह होता है उपभोक्ता लोग जो हैं मरीज हो या सामान्य नागरिक जो इलाज कराना चाहते हैं उनको सामान समय पर नहीं मिलता, दवाई समय पर नहीं मिलती । यह स्थिति है । और चलते चलते वर्ष के अन्तिन दिन आ गये तो रुपया लैप्स न हो जावे दौड़ धूप करके अब कुछ करने की कोशिश शुरु हुई है । मेरी सूचना के अनुसार वह काम अभी भी पूरा नहीं हुआ । पर अलबत्ता इतनी देर करने के बात भी जो कुछ हुआ वह भी सारा उल्टा हुआ और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ही करना था तो डेढ साल का अरसा गुजारने की बात नहीं थी कोई । इसमें अस्पताल का साज सज्जा का सामान है, कुछ इन्स्ट्रूमेन्टस हैं, दवाइयां भी हैं, इसके अलावा कुछ मोटरें भी है, चैसिस है और निश्चित तौर पर तो मन्त्री महोदय ही बता सकेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ये चैसिस जो खरीदे जा रहे हैं विभाग की ओर से इसके बारे में डिपार्टमेन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी मौजूद नहीं है, सैक्रेटरियेट से ।

इसके बारे में डाइरेक्टर महोदय ने टेलीफोन कर करके कोटेशन्स मांगे हैं । टेन्डर नहीं मांगे । अपने दफ्तर में बैठकर टेलीफोन किये और कर करके अलग अलग कम्पनी वालों से क्वोटेशन्स मांगे हैं और इसके बाद आर्डर प्लेस कर दिये । मैंने सुना है कि वह सामान पहुंच भी गया और शायद दो चार दिनों में विभाग को डिलीवरी भी दे दी जावेगी । काफी रकम का अंश जो मन्जूर किया जा रहा है इन चैसिसो के खरीदने के काम में आने वाला है और इस बिना पर यह जल्दी की जा रही है कि साल का अन्त है, स्कीमों का यह पैसा है । दौड़ादौड़ी करके खरीद लो, नहीं तो पैसा लैप्स हो जायगा । यह स्थिति खरीदने के सिलसिले में सामने आई है । एक दफा एक कारण से यह ठीक तरह से काम न करने की वजह से हुई और अब जब खरीद की जा रही है तो कोई कानून कायदा का बगैर ख्याल रक्खे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिये बगैर टेन्डर मांगे, टेलीफोन पर क्वोटेशन्स मांगकर अपने मन से, मरजी से, मनमानी तरीके से खरीद करने की अन्धाधुन्धी हुई है । इसके बारे में रोकथाम लगाई जानी चाहिये और यह रोकथाम लगाने की बात सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव मैंने रक्खा है । मुझे आशा है इस सिलसिले में बिलकुल बेदरदी तरीके से जो काम करके स्थिति पैदा कर दी गई है उस स्थिति को माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार भी करेंगे, कुछ निर्णय भी लेंगे और इस बिना पर जो यह कटौती का मामला है उसे स्वीकार करके यह प्रदर्शित भी कर देंगे कि वे भी इतने ही उत्सुक हैं इस मामले में जितनी उत्सुकता किसी को होनी चाहिये ऐसे गम्भीर मामलों में । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ८० में मेरा कटौती का प्रस्ताव है । माननीय अध्यक्ष, आज यह बात कह देना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अस्पताल में जहां मरीजों का इलाज होता है वहां मरीजों के इलाज के साथ साथ डाक्टरों की दवाइयों की दुकानें भी चलती हैं । कोई भी मरीज हो उसे डाक्टरों को दो रूप में खुश करना पड़ता है । पहला रूप होगा

[श्री भैरूसिंह (१६)]

उस डाक्टर को कोई फीस दे । दूसरा रूप होगा डाक्टर जो कोई प्रैस्क्रिप्शन बतावे उसके अनुसार जिस दुकान से दवा डाक्टर खरीदने की बात कहे उससे वह दवाई खरीदे और जब मरीज कहता है प्रैस्क्रिप्शन चिट के अनुसार दवा उसे अस्पताल से मिलनी चाहिये तो उसे जवाब मिलता है कि जो दवाइयां यहां थीं सारी समाप्त हो गई । एक दो कोई मैडिकल डिपार्टमेन्ट का लैटर बताकर जो डिपार्टमेन्ट में किसी को एड्रेस किया हुआ होता है । एक बार नहीं अनेकों बार सरकार को लिखा है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया है वह एक लैटर बता देना उनके लिए पर्याप्त होता है । पर अगर गरीब मरीज चला गया तो डाक्टर के बताये इशारे पर दुकान से खरीद करनी पड़ती है । फिर कितने कमीशन से दवाई मिलती है और उसमें से कितना कमीशन डाक्टर की जेब में जाता है, यह खुली बात है । माननीय अध्यक्ष, यह बात बिलकुल सही है । चाहे इसे फिर कोई इन्कार करे, स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होने की वजह से । अस्पताल में दवाइयां होते हुए भी डाक्टर अपना कमीशन लेने के लिए दवाइयों के मौजूद होते हुए दूसरी दुकान से खरीदने के लिए मरीज को मजबूर करते हैं । वैसी स्थिति में जब उनको यह शिकायत है कि सरकार की ओर से दवाइयों का स्टाक नहीं मिलता और यह शिकायत चलते चलते वर्ष के अन्तिम दिनों में कुछ खरीदने का स्वांग किया जावे यह कह कर जल्दी यह अमाउन्ट लैप्स हो जावेगा इसलिए अब दवाइयां खरीदी जाने वाली हैं या मरीजों का नुकसान होगा तो इसमें भी बिना टेन्डर काल किये सरकार को नुकसान ही रहेगा । और उधर बारह महीने ढिलाई चलती हैं । मेरा यह सरकार से निवेदन है कि जिन जिन अस्पतालों में कमी होती है दवाइयों की उन उन को लिखा जावे और उनसे यह रिपोर्ट मांगी जावे कि किस किस डाक्टर की समय पर दवाइयों की कमी की रिपोर्ट आती है उनकी मांग किस किस समय प्रस्तुत होती है । जरा इसकी जांच करें और यह भी जांच करें कि जिन दिनों में डाक्टर लोग मरीजों को बजार से खरीदने के लिए प्रैस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं उन दिनों में वह दवाई उस अस्पताल में थी या नहीं । किसी भी एक भी अस्पताल का अगर सर्वे किया गया तो उनको पता लगेगा कि डाक्टरों ने अमूमन किस भाव पर अपना कमीशन लिया और क्या किया है । इसके अलावा इस तरह की भी शिकायत है कि सेठ या दूसरे व्यक्ति मरीजों के रोगों को दूर करने के लिए अगर आर्थिक सहायता देना चाहते है वह भी स्वीकार नहीं की जाती ।

अगर कोई इस तरह की मदद करने को आगे आता है तो इन्कार करने का कोई कारण समझ में नहीं आता । मुझे तो राजस्थान में ही ऐसा दुर्भाग्य देखने को मिला, नहीं तो ऐसा और कहीं किसी स्टेट में देखने को नहीं मिला । कोई ऐसे कामों में मदद देना चाहे और सरकार न ले इससे बढ़कर दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है । मैं उदाहरण देता हूँ आपको । लोसल एक गांव है । इसमें पानी की कमी है । वहां ट्यूब वैल या वाटर सप्लाई का कोई इन्तजाम नहीं है । वहां के कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके सरकार के सामने मांग की कि हम इस अस्पताल में अपने खर्च से एक ट्यूब वैल लगाना चाहते हैं । इससे यहां के मरीजों को जो दूर दूर से आसपास से आते हैं उनको पानी पीने की दिक्कत नहीं रहे और हम इस वास्ते लगाना चाहते हैं कि सरकार खुद नहीं लगा रही है, तो इसके लिए इजाजत दी जावे । लोगों से श्रमदान के रूप में

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

सरकार सहायता लेती है तो यह तो बडा अच्छा काम है। वहां के डाक्टरों ने कहा कि अगर आप यह मदद देना चाहते हैं तो क्यों नही लेंगे अवश्य लेंगे। आपकी यह दरख्वास्त हम ऊपर उच्चाधिकारियों के पास भेजते हैं। इस बिना पर वहां के लोगों ने ट्यूबवैल का सामान भी खरीद लिया इस भरोसे कि मंजूरी तो आ ही जावेगी और जब तक आवे तब तक सामान जल्दी इकट्ठा कर लें आते ही काम शुरू कर देंगे। पर इस मैडिकल डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी, जो साल के अन्त में सामान खरीदने में जल्दी करने में अपनी अक्ल के कमाल को काम में लेते रहते हैं, आदेश भेजते हैं यहां से, कि अस्पताल में ट्यूबवैल नहीं लग सकता। लोग वहां पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकते अगर उनको कुआ खुदवाना है तो दूर खुदवाओ। ट्यूबवैल खुदवाना है तो अस्पताल से बहुत दूर खुदवाओ। अस्पताल में नहीं। इस तरह से यह हाल है। मरीज वहां आवेंगे तो प्यासे मरेंगे, पानी नहीं मिलता है तो गांव में जाकर पानी पीकर आओ। यह है सरकार का लोगों से श्रमदान और सम्पत्तिदान मांगने का सिस्टम ?

इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का इन बातों की ओर पूरा ध्यान होना चाहिये। जहां दवाइयों की वास्तव में कमी है, वहां दवाइयां समय पर जल्दी पहुँचे, जो डाक्टर समय पर सूचना नहीं देते उनके खिलाफ एक्शन लिया जावे, जो डाक्टर दवाइयां होते हुए भी मरीजों को बाजार से खरीदने के लिए प्रैस्क्रिप्शन देते हैं उन पर भी एक्शन लिया जावे, अपने कमीशन एजेंट के मार्फत खरीदवाने पर रोक लगाई जावे। तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को इस डिपार्टमेंट से जो राहत पहुँचाई जा रही है वह वास्तविक राहत होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, दो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। सबसे पहले मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि जो सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स हैं उनका सफाखानों की दवाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस प्रकार दवाइयां खरीदी जाती हैं तो वे रेवेन्यू बजट से परचेज करते हैं। उनका बजट के रुपये से सम्बन्ध है। यह जो सप्लीमेंट्री ग्रान्ट है उसमें ८ लाख से अधिक धन का सामान खरीदा जा रहा है। उसमें दवाइयां कतई नहीं हैं, और वह रुपया फाइव इयर प्लान में जो रुपया शेष था, और हमने बहुत सी मांग कर रखी थी कि हमारे यहां सफाखानों में सामान नहीं है, जैसे एम्बूलेंस वगैरह, मेरे पास फहरिस्त भी है, उसमें एयर कन्डेन्सिंग की मशीन है, वाटर कूलर्स हैं, एक्सरे की मशीन है। और जैसा कि आपका खयाल था उसमें बीमारों के लिए गाड़ियों का इन्तजाम भी है, और जैसे कि इलेक्ट्रिक कारडोग्राम्स तथा और बहुत सी दवाइयां हैं, उनके लिए यह रुपया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेसिस भी हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तो उसमें इन सामानों की हमारे सफाखानों में बहुत कमी थी और बहुत दिनों से आवश्यकता थी तो जब फाइव इयर प्लान जब समाप्त होने लगा तो प्लानिंग कमीशन से कहा कि किसी तरह से १० लाख रुपया दिया जाये ताकि जो हमारे शफाखाने में कमी

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है उसको पूरा करलें। उन्हें १० लाख के लिए कहा लेकिन हमें ८॥ लाख रुपया मिल गया, और उसमें फाइव इयर प्लान जब खत्म हो गया तो प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति आई और मजबूर होकर सामान खरीदने में बहुत थोड़ा समय मिला। और उसके लिए कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं ली है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुई है विभाग की ओर से और उसके बाद ही, फाइनेन्स डिपार्टमेंट की स्वीकृति और विभाग की स्वीकृति के बाद ही खरीद की कार्यवाही हुई है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी की वजह से जल्दी ही खरीदने की कोशिश करेंगे वर्ना वह पैसा लेप्स हो जायगा, और वह फाइव इयर प्लान भी दरअसल लेप्स होने वाला है। इसलिए वह जल्दी की जा रही है। इसमें अनियमितता नहीं है। बड़ी बड़ी फर्मों के टेन्डर काल किए गए हैं। उनसे पूछा जा रहा है, और बहुत सी पेटेंट चीजें हैं उनको भी टेन्डर से लेने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर हमारे शफाखानों को सामान मिल जाता है, हमारे यहां के शफाखानों में अगर ज्यादा सहूलियतें हो जाती है तो उसमें सबके फायदे की बात है।

दूसरी जो आपत्ति की बात कही है वह दवाइयों के गांव में देर से पहुँचने के बारे में। हमारी दिक्कत दुतरफा है। जल्दी सेन्क्शन कर देते हैं तो फिर शिकायत होती है कि टेन्डर काल नहीं किये गये हैं जैसा कि अभी कहा गया है.......

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—यह सब एक महीने में हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले नहीं करते हैं तो कहते हैं कि नहीं हुए हैं। टेन्डर काल करने के बाद शिकायत रहती है कि किसी आदमी के साथ रियायत कर दी। यह शिकायत न रहे इसलिए मैंने एक परचेज़ कमेटी बनाई है, परचेज़ कमेटी। उस कमेटी में टेन्डर काल होते हैं, सारी बातें की जाती हैं। उसमें चलते चलते बहुत दिन लग जाते हैं, और कानून ऐसा है कि उसमें समय लगता है। फिर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में जाते हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में जाने के बाद कितना समय लग जाता है, इसलिए दवाइयों के खरीदने में देर हुई है। आयन्दा के लिए किस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए, आयन्दा के लिए ऐसा निश्चय किया। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि शायद सं० ५४ का सामान खरीदने को पड़ा हुआ है, ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है। कुछ शफाखानों की शिकायतें जरूर थीं कि दवाइयां समय पर नहीं पहूँची है। ज्यादातर डिस्पेन्सरीज़ की शिकायतें नहीं आई हैं। वहां दवाइयां पहुँची हैं।

मलेरिया के बारे में खास तौर से कहा गया है। मलेरिया के लिए ४ लाख की दवाइयां सारे राजस्थान में बंटी है। पहले दिन एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि मलेरिया जो फैला हुआ है उसके लिए ४ लाख रुपये की दवाई राजस्थान में बांटी है। मुमकिन है कि खास दवाइयों का ज़िक्र किया हो वह नहीं पहुँच पाई हों अब निश्चय ही वह टाइम आ गया है। मैंने सारी बातें नोट की हैं। आयन्दा के लिए अध्यक्ष महोदय, रूल बना दिये हैं। आयन्दा ऐसा खयाल है कि

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

देर नहीं होगी। लेकिन कई बार होशियारी करने में, ज्यादा हिफाजत करने में देर हो जाती है, तो उसके लिए अब जो नियम हैं उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

एक-दो बात कही है लोसल के बारे में। एक सवाल भी इस तरह का आया हुआ है। उस सवाल के उत्तर में निवेदन कर दिया गया है। वह मेरी जानकारी में नहीं है श्रमदान का रुपया इकठ्ठा हुआ। इकठ्ठा हुआ है या क्या हुआ है यह जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न है। उसकी जानकारी प्राप्त करके आपके सामने रखूंगा।

मैं समझता हूं कि जितनी आपत्तियां थीं माननीय सदस्यों की उनके बारे में मैंने निवेदन किया है। आयन्दा के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि देर न होगी। यह जो रुपया हमारे पास आया है वह अभी आया है प्लानिंग कमीशन से। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों के बाद वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाय। (हंसी) इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मन्त्री महोदय की जानकारी की स्थिति बहुत कम है और इस वजह से जो जवाब उन्होंने दिये हैं वे शायद या तो अभी अभी मौके पर अन्दाज़ से दे दिये हैं या यह सोचकर कि किसी न किसी रूप में अपने विभाग की रक्षा तो करना ही चाहिए इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट पर मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी सप्लीमेन्ट्री के बारे में ही बोल रहा हूं। पहली मद यह है कि इसका दवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है और दवाइयों का मसला अलग है, लेकिन खरीदने वाली मशीनरी वही है अध्यक्ष महोदय, और मैं खरीदने वाली मशीनरी की क्या स्थिति है उसके बारे में एक मिनिट बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन यह जो रुपया खर्च किया जा रहा है उस समय यह कहा था कि चेसिस भी हैं जिनको अब एम्बूलेन्स का रूप दिया जायगा। विशेषकर उस सिलसिले में जिक्र किया था कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन है इसलिए चेसिस खरीदे गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले आप सुनें तो सही, उसके बाद जवाब दें।

एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन नहीं है यह मैंने कहा वह मैंने किस मायने में कहा और किस रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन का उल्लेख है वह मन्त्री महोदय के ख्याल में आ जायगा तो शायद सही उत्तर दे पायेंगे। स्कीम्स पर भारत सरकार से रुपया मिलता है। हमने उसके लिए स्कीम तैयार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कीं, वे स्क्रूटीनाइज़ हुई और पास हो गई । काफी दिन से काम काज चल रहा है वहां तक तो दुरुस्त है । फाइनेन्स डिपार्टमेंट इत्यादि सब कन्सल्ट हो गये । भारत सरकार से मंजूरी आने के बाद फिर वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन की स्टेज रहती है जिसका मैंने उल्लेख किया । जब पूरा विभाग यह तय कर रहा है कि रुपये आये हैं उनसे अमुक अमुक सामान अब खरीद किया जाना चाहिये और उसे खरीदने के लिए सेक्रेटरी विभाग का हुक्म शाया करते हैं इस काम को करने के लिए और यह काम डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज़ के जुम्मे पड़ता है। उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार का हुक्म इन एग्जिस्टेन्स है या नहीं । फाइव ईयर प्लान में अमाउन्ट मन्जूर हो गई केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं आ पाती । उसके बाद सेक्रेटरी द्वारा गवर्नमेन्ट का ऑर्डर है तो वह एग्जिस्टेन्स में नहीं है यदि यह कहना गलत है तो अभी यह ऐलान मन्त्रीजी करदें तो मैं विचार करने को तैयार हूँ लेकिन ऐसा ऑर्डर (इन एग्जिस्टेन्स) नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गई कि जल्दी का मामला था । थोड़ी बहुत ऐसी बात हुई होगी । यह भी पर्दा डालने की कोशिश हुई या फिर उनको पूरी जानकारी नहीं है । टेन्डर मांगा गया यह बात बिल्कुल गलत है । टेन्डर किसी से नहीं मांगा गया । कोटेशन्स मांगे गये और टेन्डर और कोटेशन्स में कितना बड़ा तात्विक फर्क है, मैं समझता हूँ कि इसको दोहराना यहां आवश्यक नहीं है । टेन्डर नहीं मांगा गया यह बात निश्चित है और कोटेशन्स जो मांगे गये वे भी यदि इस रूप में मांगे गये हैं कि विभाग के पास जितने ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं उनकी मन्जूर-शुदा लिस्ट है और सब फर्मस् में शाया कर दी गई है ऐसी बात नहीं है । डाइरेक्टर के मन में आई इसलिए कोटेशन्स मांगे । कोटेशन्स मांगे वह भी बहुत कम समय में । इतने कम समय में कोम्पिटिटिव कोटेशन्स आना ना मुमकिन है, असम्भव है और यदि आप इस अवसान में जायेंगे तो उन में से सामान जो कोटेशन्स के जरिए लिया जा रहा है वह डी. एम. एच. एस. की लिस्ट में मौजूद है । ऐसी सूरत में यह कहना कि जल्दी थी इसलिए थोड़ी बहुत अनियमितता तो हो गई, थोड़ी बहुत क्या चाहे कितनी हो गई । कोटेशन्स लिस्ट के अनुसार नहीं आना और उस पर विचार करके ऑर्डर प्लेस करना और दवायें लेना सब कुछ हो गया ।

अभी यह कहा गया कि दवाइयों के सिलसिले में कमेटी मुकर्रर की गई है । यदि दवाइयों के लिये कमेटी थी तो लाखों रुपयों की मशीनरी आ रही है, मोटरें आ रही हैं उनके लिये कमेटी की बैठक नहीं हुई यह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ । सिवाय डाइरेक्टर के और किसी अधिकारी द्वारा जांच करके निर्णय किया हो ऐसी भी स्थिति नहीं है । राजस्थान सरकार का, सचिवालय के लिये यह नियम था कि इस प्रकार से खरीद की जाय । मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूँ कि नीयत थी कि इस प्रकार खरीद की जाय । इस पर भी यह मानें कि यह अनियमितता नहीं है तो क्या मंत्रीजी यह मानने को तैयार हैं कि कौनसी फर्म को ऑर्डर दिया गया, किस प्रकार की रेट चार्ज की गई आदि ये सारे तफसील सदन में बतायें यदि यह आवश्यक हो तो यह भी बताई जा सकती हैं । लेकिन मैं कहूँगा कि जितना आसान मामला समझा जा रहा है उतनी आसान बात नहीं है ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसमें बहुत अनियमितता है जितना समय था उतने समय में ज्यादा रेगुलर तरीका फोलो किया जा सकता था।

इस के साथ ही मैं कुछ और अर्ज करूंगा। जो भूमिका में अर्ज किया गया था कि यदि देरी हो छानबीन करने में, तो शिकायत होती है और यदि जल्दबाजी करें तो भी शिकायत होती है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि बजट का मामला ही ऐसा है। एक्सेस हो तो भी शिकायत होती है और कम हो तो भी शिकायत होती है। वह तो एग्जेक्ट ही होना चाहिये। यदि प्रोसीजर फोलो नहीं किया गया है तो भी शिकायत होती है और प्रोसीजर के नाम पर महीनों गुजार दें तो भी शिकायत होती है। यदि आज कोई टेन्डर आया उसको महीने दो महीने में तो लॉ एंड फाइनेन्स के पास भेजिये। लेकिन मैं जिस टेन्डर का जिक्र कर रहा हूँ वह १४ महीनों तक पेन्डिंग रहा। अब आप कल्पना कीजिये कि एक टेन्डर आज आया उसके अनुसार जो रेट मुकर्रर हो रही है वह आज की रेट्स होंगी लेकिन अगर १४ महीनों तक उसका निर्णय न हो तो क्या हालत होगी। कम से कम १३ फर्म्स ऐसी है जिन्होंने अपनी रेट्स पब्लिश करदी थीं। कमेटी के विचार करने के बाद और सरकार की मन्जूरी होने के बीच में १४ महीनों का अरसा बीता। इस बीच में १३ फर्म्स नहीं १३ मुख्य दवाइयों के आइटम्स की प्राइसेज रिड्यूस हो गई। यह भी पैसा सरकार का बर्बाद हुआ। पुरानी रेट्स पर दवाइयें ले ली गई। इससे यदि यह कहा जाय कि खबरदारी के लिहाज से पूरी जांच पड़ताल की गई मैं कहूँगा कि यह पूरी जांच पड़ताल का मामला नहीं है, यह मंत्रीजी के पता लगाने की बात है। यह मेरा काम नहीं है। वैसे वे खुद कह रहे है कि बजट के मौके पर पूरी जानकारी प्राप्त करके कहेंगे तो उस समय जो बात होगी वह सामने आ जायगी। लेकिन अभी तक गंभीरता महसूस हुई या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। मैं यह मानता हूँ कि यह राज्य के लाख दो लाख रुपये खर्च में कमी होने का मामला है। इस पर गंभीरता से विचार होना आवश्यक है और वह मुझे नजर नहीं आया इसलिये मैने यह बात सदन के सामने पेश की है। इन शब्दों के साथ मेरा प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंकशन उनके पीछे है और मेरी दी हुई है। इसको काफी अरसा हो गया है। दुबारा पेपर्स मैंने देखे हैं। फिर भी जो बात मैं आप को कह रहा हूं उसको आप गलत बता रहे हैं इस बात का मुझे दुःख है। मैं आप के सामने सेंकशन की फायल रखूंगा। मैं इस फायल को मंगाऊंगा और हाउस के सामने माननीय स्पीकर साहब के सामने इसे रखूंगा। मेरे कहने के बावजूद भी आपने इतना कहा इसका मुझे दुःख है। हो सकता है कि आप के सोर्सेज और इन्फर्मेशन जो हैं वे गलत हों।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टेन्डर के बारे में क्या फरमा रहे हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके बारे में अर्ज यह हैं कि टाइम कम था इस बारे में डाइरेक्टर साहब ने मुझ से बात की थी मैं उस समय दिल्ली जा रहा था और वे बोम्बे जा रहे थे।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

मैंने उनसे कहा कि आप बोम्बे जा रहे हैं वहा बड़ी बड़ी फर्म्स है उनसे कोटेशन्स लेकर जल्दी करिये। यदि पेमेन्ट की बात रह जाती तो पेमेन्ट बाद में हो जाता यदि नहीं खरीद नहीं की जाती और प्राइसेज बढ जाती तो नुकसान होता। इसमें जो कुछ भी इरेगुलेरिटी अगर रह गई है वह मेरी जिम्दामेरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये रूल्स फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने बनाये है, हमने नहीं।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह कुछ कहना चाहें अपने कटौती प्रस्ताव पर तो कह सकते हैं

(श्री भैरूसिंह अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव कटौती का श्री भैरूसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह कि जो मांग संख्या ८०, अनुपूरक अनुदान के लिये मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा के संबंध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ८,५३,०००) रु० की राशि प्रदान की जाय, स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनपूरक अनुदान के लिये माग संख्या ८४–उद्योग तथा प्रदाय

श्री अध्यक्ष—श्री भोगीलाल पंड्या।

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ८४, मेजर हेड ४३ उद्योग तथा प्रदाय के संबंन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रू. ८, ८२०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मांग के सिलसिले में इससे ज्यादा कुछ बताने की प्रणाली नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पाड्या—मेमोरेन्डम पेश कर दिया गया है, उससे साफ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर आप इतना न कह कर यही कहते कि ८ लाख रुपये चाहिये तो भी काफी था। लेकिन प्रणाली तो ऐसी नहीं है। आप कुछ भी कहें उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए) मेमोरेन्डम तो पेश कर दिया है और अगर कुछ चाहें तो पेश कर सकते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—मेमोरेन्डम में सब आ गया है। (श्री हरिकृष्ण व्यास को संबोधित करते हुए)

श्री अध्यक्ष—आपके समझ में आ गया तो आप कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी समझ में तो मेमोरेन्डम पेश नहीं करते तो भी आ जाता लेकिन कायदे की बात कायदे से होनी चाहिये। खैर।

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह मांग संख्या ८४ विषय ४३ उद्योग तथा प्रदाय में १०००) एक हजार रुपये की कटौती कर दी जाय। इसलिये कि सरकार ने गंगानगर शक्कर कारखाने को लेने में पूरी खबरदारी नहीं बरती।

जिस मेमोरेन्डम का उल्लेख किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, उसमें यह लिखा है कि गंगानगर के शक्कर के कारखाने में इस वर्ष कुछ ज्यादा शक्कर तैयार होने की संभावना है और यह आंकडे दिये गये हैं कि पिछले साल ४७०० बोरी शक्कर हुई थी अब की साल ६००० बोरी शक्कर हुई थी अब की साल ६००० बोरी शक्कर होने के संभावना है।

श्री भोगीलाल पंड्या—४७ हजार और ६० हजार है। ४७००और ६००० नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इसके मुताबिक शक्कर के उत्पादन में लगभग २६.८ प्रतिशत शक्कर ज्यदा पैदा होगी। ४५ हजार तो ओरिजनल फिगर है और १३ हजार इन्क्रीज हुआ तो २६.८. शक्कर ज्यादा पैदा होगी।

मैंने जो १६५६ : ५७ के बजट के सिलसिले में जो पुस्तिका छपी है और कल ही बंटी है उसे देखने की कोशिश की। उसके पेज २६३ पर देखा तो उसमें यह पाया कि इस गंगानगर के कारखाने के खर्च के निमित १६५४ : ५५ में ३१ लाख ६६ हजार रुपये लगभग खर्च हुए और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बजट एस्टीमेट.१९५५: ५६ जिस साल के सिलसिले में यह स्पलीमेंट्री ग्रान्ट की मांग की जा रही है ३२ लाख रुपये थे। रिवाइज्ड़ एस्टीमेट ३९ लाख ४८ हजार हो गये और स्पलीमेंट्री ग्रान्ट है ८ लाख ८३ हजार की। यह स्थिति इन आंकड़ों से नजर आई है जो आंकड़े सरकार द्वारा शाया की गई पुस्तक में प्रकाशित हैं। यह इसमें बढ़ाने की कोशिश की गई मगर आज शक्कर की पैदावार में जितना परसेन्टेज में उन्नति हुई है कम से कम उसी मुकाबले में खर्च में उन्नति की एक नजीर भी देते कि खर्च में कमी हो रही है मगर खर्च में उन्नति तेजी से हो रही है और अगर यह स्थिति है तो फिर यह जो इतना बड़ा मेमोरेन्डम दिया गया है वह कोई खास माने नहीं रखता। होना तो यह नहीं चाहिये क्यों कि एस्टेबलिशमेंट का जितना खर्च है चाहे ८७ हजार बोरी बनेगी तो वही होगा और ६० हजार बोरी बनेगी तो वही लगेगा और भी दूसरे खर्च सब वही रहेगें। सिवाय इसके कि क्रशिंग ज्यादा होगा और इंधन ज्यादा खर्च होगा। मगर पिछले तीन चार महीनों में कोयले के अलावा रा मेटीरियल काम में लिया जाता है जिससे बोइलर और भट्टियें चलती हैं। यह जो एस्टीमेंट दिया गया है वह तो मुझे ठीक नहीं जचता इसलिये मैंने इसमें ज्यादा गंभीरता से छानबीन और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि आज जब मांग प्रस्तुत की जा रही है तब यह सरकार जिस शक्कर के कारखाने के लिये मांग पेश कर रही है वह सरकार के कब्जे में भी है या नहीं। यह स्थिति मेरे समझ में नहीं आई है। दिसम्बर १९५५ तक का एक समझौता था एक समझौता १९५३में हुआ और उसकी मियाद एकसाल केलिये बढ़ाई गई फिर और वह दिसम्बर १९५५ तक चला। अभी महिना मार्च १९५६ का है। अगर इसके लिये अभी कोई लिखा पढ़ी हो गई हो वह अलग बात है मगर मुझे तो यह भी शुबा है कि कोई लिखा पढी नहीं हुई है। यह भी शक है कि कहीं बात चीत ही अभी तक चल रही हो, यह भी शक है कि इसको खरीद करने के बारे में बात चीत चलती ही,यह भी शक है कि कहीं तीन लाख से सात लाख के सम्बन्ध में कुछ खींच तान चलती हो; यह भी शक है कि बांकली वालों को बीच में पटक कर कुछ कार्यवाही हो रही है। और भी कई बातें होती हैं। लेकिन ये सब बातें तो इस मेमोरेन्डम में आई नहीं। पहले तो मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि कौनसा कारखाना है। इसका लीज़ ५५ में खत्म हो गया। अगर कोई नई कार्यवाही इसमें की गई हो तो बताया जावे अगर नहीं तो सरकार यह समझ कर चलती है कि वह बेचारा है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आप यह मान कर न चलें कि वह बेचारा है वह बहुत माहिर है और राजस्थान के नामी सज्जनों में से है और अगर इस प्रकार की नीति चलती रही तो वह रामनाथ पोद्दार है और कोई कार्यवाही करेगा और फिर सरकार यह कहेगी कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने यह सलाह दी कि कोर्ट में मामले को न ले जाया जाय। जैसे इलेक्ट्रीक कोरपो० में ३५ हजार रुपये बंबई में और देने पड़े थे। इसलिये यह मांग ही बे बुनियाद है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारखाना सरकार के हाथ में नहीं है अगर आज की स्थिति ऐसी हैं जिसके लिये लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। उसकी आज तक की स्थिति थी वह क्या है जो दो साल तक सरकार ने उसको चलाया। सरकार ने दो साल तक चलाया उसका प्राफिट एण्ड लोस एकाउन्ट बाकायदा प्रस्तुत होना चाहिये था नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट जरूर भेजा है पिछले साल का उसके लिये भी ए. जी ऑफिस में छानबीन चल रही है। घाटा हुआ या फायदा यह किसी प्रकार जाहिर नहीं होता सिवाय माननीय मंत्री महोदय के बयान के कोई इत्तिला नहीं। मंत्री बयान यह देते हैं कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

फायदा हुआ मेरा यह खयाल है कि हर समझदार को इसकी इत्तिला होनी चाहिये कि वस्तु परिस्थिति क्या और उसके बाद एक्शन लिया जाना चाहिये । प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट अभी तक पेश नहीं हुआ और न अभी तक एकाउन्टेन्ट जनरल ने पहिले साल का जो स्टेटमेंट पेश किया है उसकी मंजूरी दी है । और दूसरे साल के तो अभी तैयार होकर प्रस्तुत भी नहीं हुए ।

और एक चीज़ नजर आयी है अध्यक्ष महोदय । जब लीज़ सरकार ने १९५३ के दिसम्बर में एक्जीक्यूट करा ली, बीकानेर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जिसके कर्ता धर्ता रामनाथजी पोद्दार हैं। उस बीकानेर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के शक्कर के कारखाने में सामान था, दोनों के आपस में तय पाया कि पट्टे की लिखा पढ़ी, लीज़ की लिखा पढ़ी है उसके अनुसार यह जो जो सामान है, आवश्यक होगा वह मिल को चलाने के प्रयोग में लाया जायगा और उसकी कीमत दोनों मिल कर तय कर लेंगे और यदि आपस में तय नहीं हुआ तो तीन कम्पनीज़ के नाम तय हुए राज एण्ड संस और दूसरी कम्पनीज़ नाम तो मुझे याद नहीं हैं अभी । इन तीन कम्पनियों के बीच रख देंगे और वे जो कीमत बतावेंगे उस पर फाइनली तय कर लेंगे । लेकिन सामान कितना था, उसकी कीमत आपस में मिजान करके कितनी लगाई गई, इस प्रकार का स्टेटमेन्ट तैयार होना चाहिए था । कहते तो हैं कि स्टेटमेन्ट तैयार नहीं है और ऐसा भी कहा जाता है कि सामने वाले ने उस पर दस्तखत भी कर दिये हैं । सामने वाले का दस्तखत किया हुआ स्टेटमेन्ट पेश नहीं हो रहा है । इसलिए शंका मालूम होती है । यह तो माननीय मंत्री महोदय के बताने का काम है कि हकीकत में ऐसा दोनों का दस्तखत किया हुआ स्टेटमेन्ट तैयार है कि नहीं ? मुझे निश्चित रूप से शंका है । दोनों पार्टीज़ का एक एग्रीड स्टेटमेंट, स्टाक, मेटिरियल, मशीनरी बिल्डिंग, एसेट्स, उनकी कंडीशन्स उनकी डिटेल्स दर्ज की हुई हों ऐसा कोई स्टेटमेन्ट दोनों पार्टीज़ का एक्जीस्टेन्स में नहीं है आज दिन तक और यदि है तो माननीय मंत्री महोदय बतावें और निश्चित रूप से सूचना दें तो संभव है मेरी जानकारी को गलत मानने की तैयारी कर लूं । लेकिन ऐसा भी संभव है कि ऐसा स्टेटमेन्ट बना नहीं अभी तक ।

सरकार का काम आलीशान था । कितना है आप देखिये । सन् १९५३ में पट्टे पर ली उस मिल को और सन् ५५ में लीज़ एग्रीमेन्ट हुआ । एक साल के लिए लीज़ पर लिया, साल पूरा हो गया तब तक लीज़ एग्रीमेन्ट कानूनी तौर पर एक्जीक्यूट नहीं हुआ, एक साल के लिए सरकार ने और उसको एक्स्टेन्ड किया । एक साल का पूरा का पूरा पीरीयड खत्म होने पर लीज़ एग्रीमेन्ट साइन हुआ जनवरी या फर्वरी में शायद हुआ और अब तक सामान क्या लिया गया उसकी लिस्ट भी तैयार नहीं पूरी तरह से । अपना केस तैयार ही नहीं तो दें कैसे । जब तक दोनों पार्टी के दस्तखत न हों डिस्प्यूट तो कायम का कायम रह गया क्योंकि कल वे कह देंगे यह तो ऐसी मशीनरी थी । ऐसी भी बात नहीं कि वे ऐसी बात कहने वाले नहीं हैं । कई कम्पनियों को डुबो कर दम लिया हालांकि खुद नहीं डूबे हैं और जिस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर रहे उसमें घाटा ही घाटा रहा । परसों जयपुर स्पीनिंग मिल्स के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मिटिंग थीं । ५८

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उनमें से वाक आउट कर गये। कपास की खरीदी का हिसाब बताया रिश्तेदारों को उसमें डाल रखा है, पैसा दे दिया। वह मामला अभी चल रहा है। इस पार्टी का मिल पर कब्जा है, उनका रेकार्ड काला है, बचकर चलने का है। लीगल एग्रीमेन्ट है, लेकिन इस प्रकार की धींगा मस्ती से काम करने का सोचा जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि बीच में पंचों को पटक कर पांच सात लाख रुपया नजर किया, दिल्ली वाले तय कर देंगे और पांच सात लाख रुपया सरकार से लेकर इस कारखाने का तय हो जायगा ऐसा अंदेशा अध्यक्ष महोदय अभी से होता है ये निश्चित रूप से है या नहीं यह तो माननीय मंत्री महोदय बता पावेंगे। अगर है तो कहाँ तक आगये और प्रोविजनल बातचीत का कानूनी रूप कहां तक पहुँचा है। फिर भी यह निश्चित है कि सरकार ने ऐसी भयंकर गलती की है कि जो मामूली आदमी भी नहीं कर सकता है। सन् ५५ में लीज़ एग्रीमेन्ट हुआ, साल भर का पीरीयड होने को आगया लेकिन अभी तक सामान का स्टेटमेन्ट तैयार नहीं हुआ और तैयार हुआ तो दोनों पार्टियों के दस्तखत नहीं हुए और इस पर भी ८ लाख की सप्लीमेन्टरी और है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

यह स्थिति हो गई दो साल पुरानी और नई स्थिति का भी आपके सामने उल्लेख कर दिया। इसलिए ऐसे कार्यों में पैसे भर भी प्रोत्साहन सरकार को न दिया जाय और जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने के लिए और कानूनी तौर पर ठीक ढंग से काम न करने के कारण सदन की स्वीकृति न दिलवाने के लिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करके चेयरमेन महोदय, वे जनहित के दृष्टिकोण का परिचय देंगे और सुधार की ओर कदम बढाने के लिए तत्पर हैं उसका भी परिचय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, यह जो हरिकृष्ण व्यास ने मांग पर कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ क्योंकि करीब दो साल पहले जब कि व्यासजी की सरकार था उस वक्त भी यह जो गंगानगर की मिल ली गई हमने इस हाउस में ऐलान किया था कि इसमें सरकार को फायदा नहीं हो सकता है, बनिस्पत इसके कि इससे नुकसान होगा।

श्री बृजसुंदर शर्मा—इससे तो फायदा हो रहा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप सुनलें पहले। हम बनिये हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। आप ब्राह्मण हो।

(हंसी)

श्री सभापति (राजा श्री हिम्मतसिंह)—Do'nt excite him.

श्री मुक्तिलाल मोदी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) क्योंकि जब सरकार ने मिल ली थी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने और दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया था कि उस मिल को न ली जाय परन्तु कुछ ऐसे लोगों का हाथ था । वह रामनाथ पोद्दार जो कि एक हिन्दुस्तान का माना हुआ आदमी है कि पैसा कैसे हड़पा जाय, सरकार से तो वैसे हड़प लिया । उसने यह धन्धा बना रखा है । उस वक्त भी हम लोगों ने बताया था कि इस शुगर मिल को लेने में कितना नुक्सान है सरकार को और एक मिल चार साल से जो बंद पड़ी थी उस मिल को क्या वह इतना बड़ा करोड़पति आदमी होकर नहीं चला सकता था ? लेकिन सरकार को झांसा दे दिया कि उसको किसी तरह से रुपया मिल जाय और सरकार के घर में नुकसान पड़ जाय । बनिया यदि प्रोफिट हो तो कभी अपनी चीज दूसरे को दे दे, यह स्वप्न में भी नहीं होने वाला है, वह कभी नहीं देगा । कुछ लोग उस वक्त मिल भी गये कि किसी तरह से भले ही सरकार को नुक्सान हो जाय लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिये और उसी की बदौलत है कि रामनाथ पोद्दार, जो सरकार थी, वह सके खैरख्वाह बनी हुई थी । इसीलिए उस मिल को लिया । नहीं तो नहीं लेती क्योंकि रामनाथ पोद्दार ने स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल के लिए जो तीस लाख रुपये सरकार से लिए हैं उसने सरकार को तीस पैसे की आमदनी नहीं दी ।

श्री सभापति—आप कटौती के प्रस्ताव पर ही बोलें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी रखते हुए) चेयरमेन महोदय, मैं फालतू बात कहां बोल रहा हूँ । रामनाथ पोद्दार ने तीस लाख रुपये सरकार से स्पीनिंग एन्ड वीविंग मील खोलने के लिए लिए थे, उन्होंने आजतक सरकार को उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया । गंगानगर की शूगर मिल को लेकर सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है । यदि फायदा हुआ होता तो जो बजट हमारे सामने आया है उसमें तो बताया होता । उसको देखने से मालूम होता है कि इस मिल से कोई फायदा नहीं और फिर ८ लाख रुपये और मांगे हैं जो आठ लाख रुपये मांगे गये हैं उसका मतलब समझ में नहीं आया । पहले भी इस मिल ने इतना रुपया ले लिया और फिर आठ लाख रुपया और मांग रही है । मैं नही समझता कि यह मिल जितना रुपया गवर्नमेंट दे रही है उतने का भी होगा, मेरे ख्याल से यह मिल कोई करोड दो करोड रुपये का तो नहीं होगा; तो ज्यादा से ज्यादा दस-बीस लाख का मिल होगा । जितना रुपया आज सरकार उस मिल को दे रही है उतने में तो नया मील बिठाया जा सकता है । एक पूंजीपति को देकर सरकार अपनाही नुकसान कर रही है, उसको आठ लाख रुपये देने से क्या फायदा ? उसके बजाय नई मील बैठा कर सरकार और कोई कारखाना शुरू कर सकती है, पचासों कारखाने चल सकते हैं और उससे करोड़ों रुपया आ सकते है, सरकार के घर के अन्दर । स्टील का कारखाना बिठा सकती है, जिप्सम का कारखाना यहां बनवा सकती है पचासों धंधे यहां पर चलवा सकती है । केवल एक सेट के लिये शूगर मिल में रुपया खर्च करना ठीक नहीं है उसका फायदा क्या ? मेरी समझ में नहीं आता । थोड़े बहुत आंकड़े कुछ इधर के उधर कर देंगे नीचे के अफसर लोग । इस तरह से करने से क्या होगा, समझ में नहीं आता । ऐसी हालत में इन आठ लाख रुपयों से कोई फायदा होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता इतने लाख लेकर

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

भी आप कभी उसको चला नहीं सकते, न उसमें फायदा ही हो सकता है । इससे तो अच्छा यह हो कि आप नई इन्डस्ट्रीज कायम करें । उसके लिए आप ८ लाख रुपये क्या ८० लाख भी मांगे तो हम सब खुशी से स्वीकार करेंगे और इसका तो विरोध करेंगे ।

श्री हरिराम निनामा—चेयरमेन महोदय, मैं यहां पर बातें सुनता हूँ । यहां पर कोई भी एसी बात नहीं जो इस हाउस के लायक हो । बाहर आजकल बड़ी मजेदार बातें होती हैं । यह जो बातें कर रहे हैं, भरतपुरी लोटे की तरह बिना पैंदे की बातें हो रही हैं । यह हमको समझ में नहीं आती........

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई समझदारी की बात कहें ।

श्री हरीराम निनामा—आज जो मांग की जा रही है वह ठीक है । आप यहां कोई बात कहें, वह भविष्य में हो सकता है । हमारे पास स्कीम है, हमारे साथ कोई भी साथी विचार करे खाली यहां बकवास करने से मतलब नहीं निकलने वाला है ।

श्री मोतीराम चौधरी—चेयरमेन महोदय, गंगानगर शुगरमिल के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसके विरोध में कुछ कहना चाहता हूँ । मेरे कहने का यह अर्थ है कि मेरे भाई को इस मिल के बारे में कतई जानकारी नहीं, वे जो कुछ भी कहते हैं उन्होंने ऐसे आदमी गंगानगर में रख रखे हैं जिनकी गंगानगर में कोई रेपुटेशन नहीं । यह जरूर है कि वे जो कुछ भी गलत सूचना देते हैं वे यहां हमारे माननीय सदस्य उसको बोल देते हैं । मैं उनको गंगानगर शूगर मिल के बारे में सही स्थिति बताता हूँ । गंगानगर शूगर मिल को जब से सरकार ने संभाला है सरकार को फायदा हुआ है, किसानों को फायदा हुआ और वहां के मजदूरों को फायदा हुआ है.......

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप ओ. एस. डी. मैनेजर हैं उसके ।

श्री मोतीराम चौधरी—(जारी रखते हुए) मैनेजर तो नहीं, किसान जरूर हूं; आपकी तरह सिवाय शहर में रहकर लोगों की सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ । मैं इस मिल से खुद जानकारी रखता हूँ । चैयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह जानकारी दे रहा हूँ कि शुगर मिल जिस वक्त सेठ साहिब के पास थी उस समय किसानों को बड़ा नुकसान था उस समय सात परसेन्ट शक्कर बिठाई जाती थी और आज उसी मिल में ९॥ परसेन्ट की औसत बैठती है जिससे सरकार को फायदा है....

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह किसकी परसेन्ट बता रहे हैं आप ?

श्री मोतीराम—१०० मन गन्ने पर सवा मन शक्कर बैठती है जो ९॥ परसेन्ट होता है और सेठ जी के समय ७॥ परसेन्ट बैठती थी । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा मिल संभालने के बाद सरकार को यह दो परसेन्ट का फायदा हुआ है

Page No.104

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह गन्ना अच्छा आया है इस वजह से हुआ है—

श्री मोतीराम चौधरी—मैं मतलब की बात कह रहा हूँ आप जब गलत कह गये। जब सचाई सामने आ रही है तो आप इस तरह से बीच बीच में बोल रहे हैं।

सवाल यह है कि यह शुगर मिल जब कि सरकार के पास नहीं थी इसमें सिर्फ छ सात लाख मन गन्ना क्रश किया जाता था, आज इसी मिल के अन्दर १८ लाख मन गन्ना क्रश किया जायगा। इससे किसानों को फायदा होगा। आप अपने आपको किसानों का भक्त कहते हैं, मजदूरों का भक्त मानते हैं तो फिर आप इस मिल को उजाड़ने की बातें क्यों करते हैं? आप तो यह चाहते हैं कि जिस तरह से मिल बन्द थी उसी तरह बन्द कर दी जाय। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस साल में करीबन आठ नव लाख रुपये इस मिल में बचत होगी। आपने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है बिना सोचे समझे रखा है, आपने कोई जानकारी नहीं की। वहां के मिल को चलने दीजिये इससे मजदूरों को फायदा है, किसानों को भी फायदा है। आपने गलत तरीके से किसी के कहने से रख दिया है अतः आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेलें।

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरे माननीय मित्र ने बहुत सी बातें कहीं, उनमें से कुछ ठीक भी है। पहली बात यह थी कि इसमें बताया गया है कि गत वर्ष ४७ हजार बोरी शक्कर की पैदा हुई थी, इस वर्ष सरकार ने भरसक प्रयत्न किया कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना पिले जितनी इसकी केपेसिटी है उसके अनुसार जितना भी लाभ उठा सके उठाया जाय। इसके अलावा भी जमींदारों के पास काफी गन्ना बच जाता है, उसमें से अधिकाधिक का उपयोग हो सके इसलिये इस वर्ष कुछ जल्दी शक्कर का यह कारखाना शुरु किया गया है और ऐसा विचार है कि कुछ समय अधिक तक इसको चलाया जाय ताकि गन्ना उत्पादकों को ज्यादा लाभ मिल सके।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पद पर आसीन)

आपने यह भी बतलाया कि कुछ परसेन्टेज ४७-६० भी निकला। बहुत से कॉमन खरचे ऐसे भी होते हैं जिनमें परसेन्टेज कम भी होते हैं। इस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी भी बढी है जो बढकर ५।६।० हो गई है। मैंने सोचा आप इन सबसे परिचित होंगे। इसमें जो आपको शंका थी उसका निराकरण इससे हो जाता है।

दूसरा आपने बताया कि जो लीज़ एग्रीमेन्ट हुआ दूसरे वर्ष का भी, पहली दर से हुआ। इसमें शंका नहीं। उसी दर से हुआ। चालू वर्ष का आसानी से नहीं हो सकता था। यदि हम एग्रीमेन्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो किसानों को असुविधा होगी। इसलिए टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट की सिफारिशों के अनुसार ६ महीने पहले उन्होंने भी नोटिस नहीं दिया और हमने भी नहीं दिया और हम शक्कर की मिलों को चलाते रहे। अब जब उन्होंने देखा कि सरकार के कब्जे में में मिल हैं, आप यह कैसे कह रहे है कि हमारे कब्जे में मिल नहीं है। हमने तय कर लिया है कि इसका लीज़ एग्रीमेन्ट और एक साल का बढ़ा दिया जावे, यह बात अलग है कि उसको लिखित में अब लेते रहेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी उनसे टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनकी टर्म्स और कन्डीशन्स यह थीं कि जितनी रकम उनकी लगे उसका व्याज ले ले। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि हम यह जानते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा लम्बा समय ले लिया जावे, मिल का अधिकार लिया जावे और उसमें जितना माल हमें जरुरी हो वह उनसे ले लें, मार्केट दर पर। इसलिये यह मन्जूर नहीं किया। टर्म्स के बारे में बात चल रही हैं और यह मैं आपको यकीन दिला दूं कि टर्म्स ऐसी होंगी जिससे हमें लाभ ही होगा।

दूसरी बात आपने यह भी बताई कि यह आठ लाख रुपया पोद्दार को दिया जा रहा है, यह भी खयाल आपका गलत था। न तीस लाख पहले वाले दिये गये और न ८ लाख ये दिये गये। पोद्दारजी की मिल को लीज पर हमने लिया है। करसों के, गन्ने की कीमत चुकाने में एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में और चीनी के लिए, लिये हैं, जोकि एक तरह का इन्वेस्टमेन्ट है। इसी में से बाद में वह निकलेगा। इससे पहली साल हमने १४ लाख मन गन्ना पेरा था, इस साल १८ लाख मन गन्ना पेरा जाने की सम्भावना है। इसलिये इसकी भी कीमत देनी पड़ती है। फिर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़कर ५।६।० हो गई है। यह भी देनी पड़ती है। तो इनमें यह खरचा होता है। इसलिये इस पर से ही जो मुनाफा मिलने वाला है वह अगले साल मिलने वाला है। यह तो इस साल देकर अगले साल ले लेना है। सरकार के हाथ में कारखाना है, सरकार ही चला रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पजेशन है आपका, राइट नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—राइट है। सरकार चला रही है। आप जाकर रोक आइयेगा, फिर अगर राइट नहीं होता तो कैसे चलाते ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—पजेशन है आपका इस समय तो। बाद में एक दिन तो देनी पड़ेगी।

श्री भोगीलाल पंड्या—देना पड़ेगा तब देखा जावेगा, आगे की बात आगे देखी जावेगी। इस वक्त तो सरकार इसे चला रही है और बड़े मुनाफे से चला रही है।

श्री हरिराम निनामा—(जोर से) ठाठ से चला रही है, तन से और मन से।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहां तो धन का भी मामला है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो सामान आपने बताया कि मिल में जो सामान लिया जा रहा है उसकी सूची नहीं बनी है। बराबर मिल में जितना सामान है उसकी सूची है। जिसने आपको सूचना दी है वह गलत सूचना दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब आपने मिल ली उस समय जो स्टॉक था उस समय के स्टॉक की सामान की इन्वेन्टरी है या नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूँ, यों तो रजिस्टर होंगे पचासों। उससे क्या मतलब ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितने सामान की हमें जरूरत थी या होती है, हम लेते हैं और उसकी कीमत देते हैं। उनका आदमी वहां रहता है। हम जितना सामान मांगते हैं वह दे देता है और पैसा ले लेता है। मान लो यदि कोई कीमत ज्यादा बतावे तो हम अपनी जांच करते हैं और अगर फायदा होता है उनसे लेने में तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं देते वह कीमत, आरबिट्रेशन से तय कराते हैं वह कीमत। जितना सामान लेते हैं उसका रजिस्टर अलग है। बाकी जो सामान उनसे लेते हैं उनका आदमी है, दस्तखत करते हैं और कराते हैं, बराबर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, यह तो ठीक है।

श्री भोगीलाल पांड्या—आपने यह भी बताया स्टेटमेंट बना नहीं और घाटा ही घाटा चल रहा है। ठीक है आपको घाटा दीख रहा होगा। पर यह हरेक आदमी जानता है कि एक लाख साढ़े सत्रह हजार रुपया लीज़ एग्रीमेंट देने के बाद हमारे पास क्या बचा है, साथ ही जितना रुपया लगा हुआ है उसका ब्याज निकाल लेने के बाद में भी और सारा खर्चा निकाल लेने के बाद में भी अच्छी रकम मिली है और इस वर्ष इससे ज्यादा मिलने की आशा है। जिस साल हमने थोड़ा गन्ना पेला था उस साल भी हमें डेढ़ लाख का मुनाफा हुआ। पिछले वर्ष का हिसाब रखने वालों का ख्याल है कि सारा खर्चा निकालने के बाद में हमें ६ लाख से कम मुनाफा नहीं होगा और इस वर्ष भी ६ लाख से कम नहीं होगा। मैं वैसे अन्दाज के आंकड़े बताना नहीं चाहता जब तक ऑडिट अकाउन्ट नहीं आ जाते। पर ऐसा भी नहीं कि हमें पहले से कम मुनाफा मिलेगा। मुनाफा मिलेगा और पहले से ज्यादा ही मिलेगा। यह मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। अब मुनाफे की वह फिगर कितनी होगी यह तो ऑडिट की रिपोर्ट आने पर ही बताया जा सकता है। तो आपने जो यह कहा कि लाखों का घाटा ही घाटा कर दिया, मैं कहता हूँ घाटा नहीं हमने तो मुनाफा ही मुनाफा किया है। तो अब तो आप इस घाटे के भ्रम को निकाल दीजिये। सरकार घाटे में नहीं है।

और थोड़ी देर के लिये अगर घाटा भी होता तो आप यह देखते कि वहां के किसानों की हालत पहले से कितनी बेहतर हुई है। पहले उनका गन्ना पड़ा पड़ा सूख तक जाता था, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बड़ा बुरा हाल था उनका। आज उनका गन्ना अच्छे दामों पर सरकार खरीदती है, तुरन्त खरीदती है, हाथों हाथ पैसा देती है और आज इन कारणों से किसान सुखी हैं, अब उसे वे पुरानी यातनायें नहीं भोगनी पड़तीं। सरकार ने उनको हर तरह की सहूलियतें दीं, खाद दिया, अच्छा बीज दिया, इससे उनके गन्ने की शुगर का परसेन्टेज भी काफी अच्छा बढ़ा। तो मेरे ख्याल से जो जो बातें कही गईं उसका काफी स्पष्टीकरण हो गया है और अब भी अगर कोई कुछ कहना चाहें तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑडिटेड स्टेटमेंट एक भी तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक तैयार है, एक होना बाकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ऑडिटेड ?

श्री भोगीलाल पांड्या—जी हां, आपको कहना हो मैं और भी बता सकता हूँ, आप निश्चिन्त होकर बोलिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमैन महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस मसले ने मेरे एक दो और माननीय मित्रों को प्रभावित किया और उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के विरोध में अपनी कुछ रायें भी व्यक्त कीं। एक मेरे माननीय मित्र की तो शिकायत यह रही कि जो कुछ मैंने कहा उनके ख्याल में कुछ नहीं पड़ा, बेकार की सी बातें उनको मालूम हुईं। इस सिलसिले में मेरी असमर्थता कबूल करने के लिये तैयार हूँ। मैं तो कोई भी मामला पेश कर सकता हूँ, बातें पेश करता हूँ, समझने का मसाला पेश कर सकता हूँ पर समझ सकने जैसी काबलियत भी मैं उनमें पैदा कर दूं, जरा यह स्थिति मेरी पैदा नहीं हुई है। शायद कोई डाक्टर यह कर सके या कोई चिकित्सा शास्त्री कर पावे। पर मेरे में यह सामर्थ्य नहीं किसी में पैदा करने की कि मैं यह शक्ति प्रदान करूं किसी को समझाने की।

एक किसानों के ठेठ जोरदार प्रतिनिधि साथी बोले थे और उनका यह ख्याल नजर आया कि मिल के मामले में मेरी जानकारी बिल्कुल बेकार है और सम्भव भी हो सकता है क्योंकि वे उस इलाके के रहने वाले हैं और उस इलाके के किसानों के साथ ताल्लुक है; उनके अच्छे बुरे जैसे भी हैं, नजदीकी ताल्लुकात हैं। मैंने जरा सोचा और उनकी बात गौर से सुनी। अचानक उन्होंने कहा कि जब मिल सेठ के हाथ में थी तो शुगर का परसेन्टेज ४॥-५ के आस-पास था और सरकार के हाथ में मिल आते ही वह परसेन्टेज ६ हो गया। खास काबलियत से यह बात उन्होंने बताई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे जरा ताज्जुब मालूम हुआ कि मिल की जानकारी उनकी कैसी है।

श्री मोतीराम चौधरी—यह तो रेकॉर्ड की बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रेकार्ड की ही तो बात है। आंकड़े जो हैं उनके बारे में मत भेद नहीं करते हैं, लेकिन उन आंकड़ों का तात्पर्य मेरे माननीय मित्र ने जो लगाया उसके बारे में जरा जुदा राय है और वह यह है कि शुगर की परसेन्टेज का ताल्लुक न मिल की मशीनरी से है और न मिल के मैनेजमेंट से है। शुगर की परसेन्टेज का ताल्लुक गन्ना पैदा करने वाले किसान से, उसकी मेहनत से है, उसके खाद देने से है, अच्छे बीज से है, इलाके के अन्दर खेती की तरक्की के लिये प्रयत्न हो रहे हैं उससे है और किसानों के नुमायन्दे खड़े होकर बोल रहे हैं कि मिल कैसी अच्छी चल रही है कि शुगर की परसेन्टेज बढ़ गई है। वह न किसानों के नुमायन्दे का काम कर रहे हैं और न मिल के बारे में उनकी जानकारी को बताते हैं। किसानों को दाद दीजिये कि यह उनकी मेहनत है जिसकी वजह से गन्ना अच्छा पैदा हो रहा है। मशीनरी वही की वही है। परसेन्टेज जो बढ़ा है उसका श्रेय उस इलाके के किसानों को है।

श्री भोगीलाल पंड्या—वह भी तो सरकार का प्रयत्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार का प्रयत्न कुछ हद तक है, लेकिन वह सरकार से समाज सेवा के रूप में मिला। उसका मेनेजमेंट के रूप से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मोतीराम चौधरी—गन्ने की चोरी होती थी वह बन्द हो गई इसलिए परसेन्टेज बढ़ गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—परसेन्टेज बढ़ा है काश्त अच्छी होने से, खाद अच्छा देने से, बीज अच्छा देने से, बीमारियों को रोकने से।

श्री मोतीलाल चौधरी—वह हम आपसे ज्यादा जानते हैं।

श्री लालसिंह शक्तावत—(उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सरकार की योग्यता और रूप में हो सकती है। सरकार ने एक सामाजिक इन्स्टीट्यूशन के तौर पर वह काम किया है, एज ए लीज़ होल्डर कुछ नहीं। एज ए लीज़ होल्डर आप बात कर रहे हैं। सरकार के लीज़ पर लेने से गन्ने में सुधार नहीं हुआ है। चाहे सरकार लेती या न लेती, गन्ने की उन्नति सरकार करती ही। उसका लीज़ से क्या ताल्लुक है ? अब बात तो यह है कि खींचा-तानी से गाड़ी चलानी पड़ी है। कुछ कहें तो यह गलत और झूठ कहा जाता है।

श्री भोगीलाल पंड्या—गलत ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलत और झूठ बात कहने वालों की गिनती आप लोगों में है। गिनती में ज्यादा गलत और झूठ बोलने वाले मेरे माननीय मित्र के अच्छे से अच्छे सहयोगी हैं। उनमें झूठ और गलत बात कहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है।

लेकिन अब प्रश्न आता है कि जो मुख्य मुद्दे मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, मैं समझता हूं कि वे मुख्य मुद्दे सुनने के बाद यह चीज़ साबित हो गई है अतएव कटौती के प्रस्ताव को सदन को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दूं। वह यह है कि वह लीज़ एग्रीमेंट हमने दो साल के बाद किया और अभी क्या है ? अभी तो वह हमारे कब्जे में है। मजे से चल रही है, हो जायगा, तो हो जायगा। यह अगर एक जिम्मेवार सरकार का दृष्टिकोण है कि लीज़ एग्रीमेंट है ही नहीं, मजे से चल रही है, होगा तब हो जायगा, तो इसके केवल दो मायने हो सकते हैं। या तो वे मतलब नहीं समझे या दूसरा मतलब यह है कि कानूनी तौर पर लेना देना करना पड़े तो रामनाथ पोद्दार है उसको क्या परवाह है उससे....

श्री भोगीलाल पंड्या—इससे अच्छा तरीका दिमाग में हो तो बतलाइयेगा। सरकार से कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इससे अच्छा तरीका सोचना होता है। दो साल मिल बन्द पड़ी रही तो वह तीन साल बन्द पड़ी रहती और एग्रीमेंट केन्सिल हो जाते और लाखों रुपये वसूल हो जाते। लेकिन उस समय आपने उसको ओग्लाइज किया। आप (श्री पंड्या) नहीं थे, पार्टी वही है, नाटक करने वाले लोग जुदा जुदा हैं।

जहां तक ऑडिटेड स्टेटमेंट का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय अभी मंत्री महोदय, ने फरमाया कि उनके पास ऑडिटेड स्टेटमेंट तैयार है। एकाउन्टेन्ट जनरल के पास शायद वह भेजा गया है, और विभागीय ऑडीटर ने आडिट किया है। उसके बाद में वह जिसे बोलते हैं, ऑडिटेट स्टेटमेंट; आप यों कहिये कि हमारे विभागीय ऑडीटर्स हैं उनका सर्टीफाइन्ड स्टेटमेंट है कॉमर्शियल एकाउन्टेन्सी का अ, ब, स, जानने वाला इस बात को महसूस करेगा कि आडिटेट स्टेटमेंट का मतलब यह है कि स्टेट्युटरी आडिटर जो कि इन्डिपेन्डेन्ट होता है, उस संस्था ने आडिट किया हो। वह राजस्थान के सिलसिले में एकाउन्टेन्ट जनरल है। मुझे मंत्री महोदय का चेलेन्ज स्वीकार है। आज के दिन, आज की ६ तारीख को शाम के ६ बजे तक के समय तक एकान्टेन्ट जनरल, राजस्थान का, एक भी सर्टीफाइड स्टेटमेंट पब्लिक को दिखा सकें तो मैं सरे आम अपनी गलती की माफी मांगने को तैयार हूं, नहीं तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि एकाउन्टेन्ट जनरल का एक भी सर्टीफिकेट इस मिल के एकाउन्ट्स के सिलसिले में हाजिर नहीं है। तो घाटा है, नुकसान है या फायदा है, इसके बारे में मंत्री महोदय का स्टेटमेंट विभाग के लोगों के द्वारा दी गई जानकारी पर है, उनका एस्टीमेंट है। मैं तो कम से कम जब तक ऑडिटेड स्टेटमेंट सामने नहीं आता तब तक इस पर राय बनाने की अपनी कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हूँकि घाटा है या फायदा। ऑडिटेड स्टेटमेंट एकाउन्टेन्ट जनरल के सर्टीफिकेट के साथ जब आयगा तब अपनी राय बनाऊंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आज जो स्थित पैदा की है, सरकार का अपना कदम यह है और आप कहते हैं कि We are Carrying on. You are actually leasee holding on कानूनन स्थिति यह है कि मुझे उम्मीद यह है कि आपका कानूनी विभाग भी कम से कम इस बात की तस्दक करेगा कि यू आर हालिंडग ऑन। अब इस सदन में जिम्मेवारी से आप प्रस्तुत करते हैं, आपने लीज एग्रीमेंट पहले फाइनेलाइज नहीं किया है, इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि हमको फायदा हो गया। मैं भविष्यवाणी करता नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि इससे रामनाथजी पोद्दार को फायदा होगा, आपके दस्खतों से होगा। आपकी सरकार की मंजूरी ही होगा। आगे भी हुआ है। १९५३ में आपने एक प्रोवीजनल एग्रीमेंट किया था। रामनाथ पोद्दार और राजस्थान सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था उसमें लीज़ की मनी (Money) कितनी रखी गई थी? १, २०, ०००) रु०, लेकिन साथ में यह शर्त रखी गई थी कि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर्स जो हैं उनके डिवीडेन्ड का जो पैसा है, यानी अपने वहां जो १५ लाख के डिबेन्चर्स हैं उनके व्याज के अलावा अपने भी कुछ प्रिफरेन्स शेयर्स हैं वहां १॥ लाख के प्रिफरेन्स शेयर्स हैं, उन प्रिफरेन्स शेयर होल्डर्स को डिविडेन्ड इस लीज मनी में से ही आयेगा, उसी में गिना जायगा और श्री पोद्दार को वह पैसा देना पड़ेगा। बाद में वह सरकार के पास आकर कहने लगा कि १,२०,०००) रु० तो आप कुल ही दे रहे हैं उसमें से ६७००८) रु० व्याज के ले लेंगे। इधर उधर कुछ मेरे कमीशन का खर्च चला गया, अब मैं इसमें से कैसे दूं। डिविडेन्ड का पैसा कहां से दूं। उन्हीं श्रीमान् के दस्खतों से और इसी राजस्थान

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार ने निर्णय के मुताबिक आपने तय किया। उस शर्त को रद्द करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ कहने सुनने के बाद १ लाख २० हजार के बजाय १ लाख १७ हजार ५००) में लीज मनी का सौदा पट गया। Noninal reduction in lease money, but a major reduction in liability to givo over dividend in preference shares.

एक साल लीज एग्रीमेन्ट के फाइनेलाइज नहीं होने में यह फर्क पड़ा, बताइये किसे फायदा हुआ ? और हमारा जो नुक्सान हुआ उसका क्या ? हमारा यह नुक्सान हुआ कि १।। लाख रुपयों के हमारे प्रिफरेन्शिल शेअर्स हैं उनका हमको इमीडियेटली पैसा मिल सकता था वह नहीं मिल रहा है। अपने हाथ से आपने रियायत दी कि तुम चाहो तो मत दो, यह दूसरी इन्सटान्स। दूसरा नुक्सान यह हुआ कि जिसको पैसा मिलना था उसको नहीं मिला। क्यों ? इसलिये कि वे आये गिड़गिड़ाये या यों कहूं कि धौंस पिलाई, यह मैं नहीं कह सकता क्यों कि जो कुछ हुआ, कमरे के अन्दर हुआ और किसने देखा ? लेकिन श्री रामनाथ पोद्दर बार बार बम्बई से दौड़ कर आते थे उसका फल उनको मिल गया। यह ताज्जुब की बात नहीं है कि आप फिर कुछ कर रहे हैं कि रुपये लगादें, अपना हिस्सा ले लें, अफसरों का खर्चा लेलें और ४,५ लाख रुपये आते है वे पोद्दार साहब की तीजोरी में रखदें। चाहे आप इसे मेरा चेलेन्ज मानलें, चाहे भविष्य वाणी, चाहे अनेवाली घटनाओं की सूचना, चाहे जिस तरह से भी मानलें लेकिन मैं कहता हूं कि आज जितनी लीज मनी है उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं दिया जायगा। यदि ज्यादा देने का मौका आयेगा तो संबंधित मंत्री महोदय का अस्तीफा आयगा, तो मैं इसे वापिस लेता हूं। आप उनको लीज मनी से ज्यादा देंगे। १ लाख १० हजार रुपये देंगे और इसी साल से पहले वह लेकर जायगा रामनाथ पोद्दार। फायदा किसको होगा ? समझने वाले समझ सकते हैं, कल दुनिया समझेगी।

अंत में एक छोटी चीज का और जिक्र करदूं। आप फरमाते हैं कि हमारे पास सभी रजिस्टर हैं। स्टोर लेते हैं उसको लिखकर रखते है। मैंने अर्ज किया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब आप किसी का चार्ज लेते हैं तो कैसे लेते है ? क्या सब सामान की लिस्ट रहती है या नहीं। गंगानगर शुगर फेक्ट्री, उसकी लीगल टरमीनोलीजी नहीं हो पाई है। उसका चार्ज आपने लिया, उस समय क्या क्या मशीनरी थी ? वह किस कंडीशन में थी, मशीनरी का कौन कौनसा पार्ट वर्किंग कंडीशन में था, पुराना था या नया था ? किस कंपनी की मेनुफेक्चर्ड थी ? क्या स्पेसिफिकेशन था ? उसकी बुक वेल्यू क्या थी ? इन सब की एन्ट्री होना जरूरी है। आप मिल्स के काम को जानने वाले आदमी को पूछ लें या जौहरी बाजार में दुकानदारी करनेवाले किसी छोटे दुकानदार को जाकर पूछ लें कि आप लोगों के यहां जो चीजें आती हैं उसकी दोनों पार्टीज की तरफ से एन्ट्री चाहिये या नहीं। इतनी चीजें सप्लाई कीं, उसकी एन्ट्री होना बहुत जरूरी है। आज तो आपके सामने कोई डिस्प्यूट नहीं आयेगा क्योंकि समझनेवाला जान बूझ कर कोई डिस्प्यूट इस समय खडा नहीं करेगा। लेकिन जब आप इस फेक्ट्री को वापिस सौंपेंगे तो लेने वाला कहेगा कि इसमें इतनी चीजें कम हैं। आप कहोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो जिस हालत में ली थी और जितनी चीजें ली थीं वे ही वापिस सौंप रहे है। लेकिन वह कहेगा कि मेरे यहां तो ये ये चीजें बुक्स में मौजूद हैं। मैंने तो ये चीजें सौंपी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थीं और उन्हीं को वापिस लूंगा। यदि इस डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जायेंगे तो जजेज कहेंगे कि जो जो चीजें आपको सप्लाई की गई थीं उनके डिटेल्स की एन्ट्री तो आपके रजिस्टर में होनी चाहिये। २ साल में भी आप इस काम को नहीं कर पाये। आप कहते हैं कि हम तो मजे से चला रहे हैं। ये मजा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसमें समझदारी और अक्ल की जरूरत है। आज तक जो परिस्थिति मौजूद है उसको समझ लेने की जरूरत है। ये एन्ट्रीज अभी तक तैयार नहीं हैं। इसमें क्या क्या खामियें हैं, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो ३०.४० आइटम्स, जिनके बारे में ओडिट ओब्जेक्शन्स आये थे कि खरीदी कैसे की गई इसकी जानकारी चाहें तो पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन यह छोटा विषय है इसलिये आज के दिन इसका जिक्र नहीं करता। लीज एग्रीमेन्ट फिर कहने का मौका दे रहा हैं।

तीसरी बात यह कहनी है कि इससे किसानों को फायदा हुआ, ऐसा कहा गया। किसानों को फायदा किया होगा लेकिन साथ ही रामनाथ पोद्दार को बेजा फायदा क्यों किया गया? किसानों का फायदा करना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती। गंगानगर से आनेवाले मित्र कहते हैं कि किसानों का हित चाहने वाले ऐसी बात क्यों कहते हैं मैं जानता हूँ कि किसानों का हित कितना चाहने वाले हैं आप। एक जमाना था सन् ५३ में। ५३ के दिसम्बर में लीज़ दिया गया। सन् ५२ के दिसम्बर से लेकर ५३ की मई तक भूल गये मित्र, मिल बंद थी, भूल गये इस चीज को कि शुगर की कीमत बढ़ रही थी। एक कीमत कायम की थी श्री रामकिशोरजी व्यास ने। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि शुगरकेन की कीमत साढ़े तीन आना मन कम करदी जाय और इस काम के लिये ये महाशय दिल्ली गये थे रामनाथ पोद्दार को लेकर, उसकी मदद करने के लिये। उस समय किसानों के नुमायन्दे बननेवालों की जबान पर क्या ताले पड़ गये थे? उन्होंने क्या सिफारिश की थी, यह रेकार्ड से साबित है। राजस्थान सरकार की सिफारिश को भारत सरकार ने नहीं माना। किसानों की दुहाई देने वाले लोग शुगर केन की कीमत में साढ़े तीन आना मन कम करने की सिफारिश करते हैं। अब जो दौड़धूप हो रही है वह किसानों के लिये नही हो रही है, वह किसी और के लिये हो रही है। अब अगर किसानों का फायदा हो जाता है तो उनकी तकदीर हैं।

इस सदन के उस तरफ बैटने वाले एक मित्र अब नहीं रहे हैं, उसका मुझे दुःख है श्री कपिलदेव अग्रवाल, श्री नाथूराम मिर्धा, श्री बृजसुन्दर, श्री सज्जनसिंह, श्री श्रीदास गोयल, श्री हजारीलाल, श्री हिम्मतसिंह, श्री भैरूसिंह। इतने माननीय सदस्यों ने इस सदन की समिति के रूप में जो राय बनाई है मैं सिर्फ उस राय को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। फिर यह दुनिया और सदन कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वह गलत है और वे कहते हैं वह सही या क्या है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

"We are constrained to observe that steps taken by Government in respect of taking this concern on lease and the renewal of lease for another

Page No.112

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

year are highly irregular. We are not at all convinced despite of reasons advanced about the propriety of this step. From our examination we have come to the definite conclusion that there seems to have been an undue and uncalled for anxiety, concern and disposition on the part of the Government and its officers for proceeding with this lease, whereas the other party seems to have judiciously sulked and made no commitment. We recommend that a thorough enquiry should be held in this case to determine the propriety, regularity aud bonafides of the steps and decisions taken in respect of the lease at every stage."

The words are : "propriety, regularity, and bonafides of the steps and decisions take n in respect of this leave at every stage."

यह है सिफारिश पी. ए. सी. १९५४. ५५ की, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और उसके बाद भी यदि समझा जाय कि सब कुछ ठीक है, अच्छा है, हम मजे से चल रहे है उसका मेरे पास इलाज नहीं है। मैं समझता हूँ इन शब्दों के साथ सारा सदन अपनी राय मेरे साथ व्यक्त करेगा। यदि वे पी. ए. सी. की कद्र करते है तो ऐसा करेंगे। इन शब्दों के साथ दरख्वास्त करूंगा कि कटौती प्रस्ताव पर सदन अपनी सम्मति जाहिर करे।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण ने जो प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग श्री भोगीलालजी ने प्रस्तुत की है, मांग संख्या ८४, वह स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ८२—कृषि

श्री रामनिवास मिर्धा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ८२ लेखे का शीर्षक ४० कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० २०,०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

माननीय उपाध्यक्ष, आपकी आज्ञा से दो चार शब्द मैं इस मांग के बारे में कहना चाहता हूं।

मांग जो रखी गई है वह उचित मांग है। यह जिस चीज के लिए मांग रखी गई है उसकी कुल लागत २० हजार के लगभग है, यह रकम कॉन्टीन्जेन्सी फण्ड से ली जा चुकी है। क्योंकि इसके लिए भी रूल्स बने हुए है इसलिए बकाया रकम उस ग्रान्ट से लेकर दे दी जावेगी। यह स्कीम है शुगरकेन के विकास के लिए। १७,४०० रुपये तो शुगर केन के बीज डिस्ट्रिब्यूशन के लिए हैं और बकाया रकम स्टाफ पर खर्च होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास---मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो मांग श्री रामनिवास मिर्धा ने रखी है····

श्री शम्भूसिंह---मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव है।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :

"मांग संख्या ८२ विषय ४० कृषि में १००) (एक सौ) रुपयों की कटौती कर दी जावे। माननीय उपाध्यक्ष, इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि यह मांग जन हित के लिए नहीं है। मगर मुझे जो असंतोष है उसको व्यक्त करने के लिए टोकन के रूप में मैंने अपना यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। माननीय उपाध्यक्ष, यह योजना गंगानगर और भीलवाड़ा दोनों के लिए बनाई गई है। गंगानगर में क्या स्थिति है, इसका मुझे कोई पता नहीं, लेकिन जहां तक भीलवाड़ा में उसकी क्या स्थिति है मैं यह कह सकता हूं कि उधर गन्ने की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह कि जिस क्षेत्र के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सिफारिश कर देते हैं उस जिले में तो कुछ हो जाता है और बाकी जगह बीज नहीं पहुंचते। जहां के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सिफारिश नहीं करते और विरोधी दल के व्यक्ति उसके लिए कहते हैं तो उसके लिए जान बूझकर रिजेक्ट कर दिया जाता है और बीज नहीं देते। माननीय उपाध्यक्ष, यह पक्षपात पूर्ण रवैया अख्तयार किया जाता है इसीलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। पक्षपात पूर्ण रवैया बर्दाश्त किया नहीं जा सकता।"

("हिअर हिअर" की आवाज)

श्री रामनिवास मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मित्र श्री शंभुसिंहजी ने कटौती का प्रस्ताव इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये रखा है कि बीज देने में पक्षपात होता है।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

इसके लिये में यह निवेनन करूंगा कि यह कोई बडी लंबी चौडी स्कीम तो है नहीं, यह एक छोटी सी स्कीम है । यह बात जानने के लिये किस किस इलाकों में गन्ने की बहतरी की जा सकती है और यह कहना कि भीलवाडा में गन्ना नहीं होता है........

श्री शंभूसिंह—मैंने यह नहीं कहा कि गन्ना नहीं होता । मैंने कहा कि पक्षपात होता है ।

श्री रामनिवास मिर्धा—तो फिर गन्ने वाले इलाकों में आपको क्या एतराज है ? अपने यहां दो जगह गन्ना पैदा होता है, एक तो गंगानगर और दूसरा भोपाल सागर; में उनकी उन्नति के लिय हमने अपनी स्कीम बनाई है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आपका कहना यह है कि किसी तहसील में ज्यादा बीज दिया गया और किसी में कम दिया गया ।

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी दो महीने हुए हैं, शुरू किया है । अभी दो महीनों का एक्सीपेरीमेन्ट हुआ है । मेरे खयाल से इसके लिये कोई विशेष जवाब नहीं देना है । दो एरिया सिलेक्ट ? किये गये हैं ! आशा करता हूँ कि वे इससे संतुष्ट होंगे और इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लेगें ।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि दो महिने के अनुभव से लाभ पहुँचता होगा, और नहीं होगा तो पहुँचेगा । इस आश्वासन के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या श्री शम्भुसिंह को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जावे ।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

रावत श्री शंभूसिंह—में अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मांग जो श्री रामनिवास मिर्धा ने प्रस्तुत की है वह स्वीकार की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई ।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास ।

अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ७०-भू-राजस्व

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ७०, लेखे का शीर्षक, ७-भू-राजस्व के सम्बन्ध में श्रीमन् राजप्रमुख को ३१ मार्च, सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित १ हजार रुपये की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह कि जो प्रस्ताव श्री दामोदर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ७१-वन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ७१, लेखे का शीर्षक, १०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रु० ३,८२,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

यह इसलिए है कि डेवलप्मेन्ट का प्रोग्राम ज्यादा बढ़ाया गया और उसके लिए सेटलमेंट डिमार्केशन के लिए रकम की आवश्यकता थी । कुछ मोटर खरीदने के लिए भी आवश्यकता पड़ी ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—रावत श्री शंभूसिंह ।

रावत श्री शंभूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है—"मांग संख्या ७१ विषय १० वन में १००) एक सौ रुपये की कटौती कर दी जाय (बहस करने को कि उदयपुर (गिरवा) में गांवों के जंगलों को रिज़र्व किया जाता है ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वनों के प्रबन्ध का प्रश्न है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं की वनों का प्रबन्ध न किया जावे। परन्तु इस प्रकार से पाबन्दी करके वहां की स्थानीय जनता को उनकी रोजी से वंचित करना उचित नहीं कहा जा सकता। मैं आपके समक्ष मिसाल प्रस्तुत करता हूँ। उदयपुर के निकट पहाड़ हैं और वे गांवाई जंगलों में स्थित हैं। उन्हीं के पास कोटडा, तितरडी इत्यादि बहुत से गांव हैं और उन गांवों के रहने वालों का एकमात्र निर्वाह का जरिया वे ही पहाड़ हैं। वे रिजर्व नहीं हैं, खुले हुए पहाड़ हैं और उन खुले हुए पहाड़ों से घास, लकड़ी लाकर उदयपुर शहर में बेच कर उनके जरिए से अपनी रोजी उपार्जन करते आ रहे हैं। उन गांवों की जमीन पथरीली है और वह खेती योग्य नहीं है। उन गांवों के वासिन्दों के वास्ते अपनी रोजी चलाने के लिए इसके सिवाय और कोई जरिया नहीं है कि इन आसपास के खुले पहाडों से या गांवाई जंगलों से घास-लकडी लाकर बेचें और अपनी रोजी का उपार्जन करें। पहले घास-लकडी लाई जाती थी तो भी उस पर टेक्स नहीं लिया जाता था, परन्तु कुछ वर्ष हुए इस पर टेक्स है। जंगलों से घास लकड़ी लाने का कर लिया जाता है। इस पर भी वहां के लोगों ने निवेदन किया कि टेक्स लो लेकिन सेमारी और रांची के जो गांव है और जहां की आबादी भील है और वहां के लोगों का एक मात्र निर्वाह का जरिया यही घास लकड़ी लाकर बेचना और उससे अपनी उदर पूर्ति करना है इसलिए इनको रिजर्व फोरेस्ट में मत लो, लेकिन रिजर्व फोरेस्ट में लेने का प्रयास शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक है कि इस कारण से इन गांवों में अशांति फैल जावे। यही हुआ, इन गांवों में दो चार हजार आदमी इकट्ठे हुए और इन लोगों ने यह कहा कि हमारे इन जंगलों को क्लोज़ न किया जावे और जिस प्रकार से हमको इनमें से लकड़ी लाने का अधिकार था उसी प्रकार अधिकार बना रहे। लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और कहा कि हम तो जंगलों को क्लोज़ कर देंगे क्योंकि जयपुर से ऐसे ही आदेश हैं। तो उस सूरत में लोगों के पास कोई चारा नहीं था। इन लोगों ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया कि जयपुर जांय और सारी स्थिति पर प्रकाश डाल कर कि इन लोगों के हकों की ज्यादती हो रही है, उस आदेश को रुकवाने का प्रबन्ध करें। इन लोगों में से जो लोग अधिकांश उदयपुर से आये हैं वे अब तक जयपुर में मौजूद हैं और वे लोग यह चाहते हैं कि इन गांवों में जो प्रायः कोटड़ा इत्यादि गिरवा तहसील के गांव हैं उन गांवाई जंगलों से घास लकड़ी बदस्तूर लाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिये और इनको क्लोज नहीं किया जाय। इसका माने यह भी नहीं हो सकता है कि खेती की जमीन उनको न दी जाय, लेकिन उनके लिए खेती की जमीन वहां नहीं है क्योंकि वह पथरीली जमीन है। इन लोगों का सिवाय उनके जंगलों में पशु चराने, पहाड़ों से लकड़ी-घास लाने और उसको बेचने के और कोई उदर पूर्ति का जरिया नहीं है। मैं इसीलिए इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा यह बात प्रस्तुत करता हूँ। यह साधारण बात है। यह बात माननीय मन्त्रीजी के ध्यान में अभी तक नहीं लाई गई थी। मैं आशा करता हूं कि यह उनके ध्यान में लाई जाने पर इस पर वे अवश्य गौर करेंगे और भविष्य

Page No.117

[रावत श्री शंभूसिंह]

में जो उनको कष्ट होने वाला है उससे राहत दिलावेंगे। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह बता दूं कि डिमार्केशन से यह मतलब नहीं लेना चाहिये की सब जंगल रिजर्व हो गये। डिमार्कशन का मतलब तो यह है कि कौनसा फोरेस्ट एरीया है और कौनसा रेवेन्यू का यह पता लगाना। फोरेस्ट सेटलमेंट होता हैं तो इस बात की तहकीकात होती है कि किस किस एरिया को क्या क्या अधिकार है, कहां से घास लकड़ी लाते हैं। उदयपुर के जंगलों की हालत देखते हैं तो बहुत अर्से से रिजर्व चले आ रहे हैं, आसपास के जंगल काटे जा चुके हैं। उनमें से बहुत से एरीयज़ को क्लोज करके पौधे लगाये हैं। यह जनहित में है। कुछ तकलीफ होती है तो ऐसे एरिया रख लिए जावेंगे जहां कूप बना कर आम लोगों को लकड़ी और घास की जरूरत हो तो उनसे पूरी कर लें। वैसे घास काटने की मुमानियत नहीं है। जो जंगल रिजर्व कर दिए गए हैं और जहां पौधे लगा दिये गये हैं वहां न तो मवेशी जाने दी जावेगी और न उनको काटने ही दिया जावेगा जिससे कि वे पौधे पनप सकें। इस प्रकार की रोक लगाई जाना स्वाभाविक है क्योंकि नहीं तो मवेशी उनको बरबाद कर देगी। कौनसा एरिया रिजर्व हुआ था आदि के लिए सेटलमेंट और डिमार्कशन हो जायगा तो पता चल जायगा। यह तो बाद की बात है। डिमार्केशन लाइन का मतलब यही है कि "लाइन ऑफ डिविजन बिट्वीन रेवेन्यू एन्ड फोरेस्ट एरिया।" वहां के लोग मेरे पास आ गये हैं। मैंने कहा है कि मैने जानकारी चाही है, आपको तकलीफ होगी तो मिटाई जावेगी।

रावत श्री शम्भूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, डिमार्केशन हो जाने मात्र से कोई असर नहीं पड़ता। उसे ही निश्चित नहीं कर दिया जायगा, जैसा कि अभी माननीय मंत्रीजी ने फरमाया। उन्होंने कह तो दिया किन्तु जो फोरेस्ट एक्ट है उसके खिलाफ तो काम नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ जो फोरेस्ट एक्ट है उसमें इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं है........

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह एक्ट इन्होंने पढ़ा नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दरशर्मा—रिजर्व फोरेस्ट होने के बाद में तो नहीं काटने देंगे।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा उससे तो यह पता चलता है कि उन्होंने मवेशियों के प्रति तो दया दिखाई पशुओं के प्रति दया दिखाई किन्तु जिन मनुष्यों की आजीविका इसी पर निर्भर है उनके प्रति किसी प्रकार भी दया नहीं दिखाई। जहां आप एक ओर नये नये वृक्ष लगाते हैं दूसरी ओर आप फोरेस्ट को रिजर्व करते जाते हैं जिनके ऊपर वहां के निवासियों का गुजर बसर चलता है। पहले से ही वह क्षेत्र पत्थरीला है, पहाडी जमीन; है जहां खेती का कोई जरिया नहीं। वे बेचारे अपनी आजीविका से महरूम होजायेंगे इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं जहां आपने पशुओं के प्रति दया दिखाई है उसी प्रकार आप उन लोगों के प्रति भी दया बताइये जिनकी आजीविका जंगलों की लकडियों पर ही आधारित है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव रावत श्री शम्भूसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अनुपूरक अनुदान संख्या ७१ सदन के सामने है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये ७३ से ७६ मांगें

मांग संख्या ७३, ७४, ७५, ७६ और ७७, इन पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं। They may be taken as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७३, ७४, ७५, ७६ और ७७ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

पांचों मांगें स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांगें ७८, ८१, ८३, ८५ व ८६ मांगें

श्री बृजसुंदर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ७८, लेखे का शीर्षक, २९ पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० ६,६०,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—बजट आ ही रहा है उसमें आप कह लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर अनुपूरक मांग संख्या ७८, मांग संख्या ८१, मांग संख्या ८३, मांग संख्या ८५, मांग संख्या ८६, इन पर जो कट मोशन हैं वे रख नहीं करना चाहते। They may be taken as moved

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७८, ८१, ८३, ८५ व ८६ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांगें ७८, ८१, ८३, ८५ व ८६ स्वीकृत हुईं।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांगें ८८ से ९६

अनुपूरक अनुदान के लिये ८८ से ९६ मांगें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८८ से ९६ तक स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

८८ से ९६ मांगें स्वीकृत हुईं।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५६

श्री बृजसुंदर शर्मा (वित्त मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जावे।

(विराम)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की यह आज्ञा है कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुंदर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग संख्या (१) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय मुझे एक शिकायत करनी है। यह बिल जो अभी पारित होने वाला है वह तो पारित किया ही जाना चाहिये और, हम उसको पारित करने के नजदीक भी आ गये हैं। इसको पारित करने से पूर्व में माननीय वित्त मंत्री से एक बात की शिकायत करना चाहता हूँ वह यह कि सप्लीमेन्ट्री डिमान्डस समय पर यहां नहीं पहुँचतीं। इससे पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को उसका सीरियल नंबर लगाने में देरी हो जाती है, आयन्दा आप सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स को जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे, यही मेरी शिकायत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आयन्दा इतनी लापरवाही नहीं की जायगी, इस प्रकार का आश्वासन दें तभी यह बिल पारित किया जाना चाहिये।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि असुविधाएं किसी भी तरह की नहीं आईं। पांच को यह सर्क्युलेट कर दिया गया था और ६।७ तारीखें बाकी रहती थीं और ८ तारीख को दो दिन का नोटिस दिया जा सकता है। अलबत्ता आइन्दा दो दिन और पहले कर दिया जाया करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह कानून इनकी समझ में नहीं आता। ५ तारीख को देते हैं तो नेक्स्ट डेज को गिनने के क्या माने। जो भूल हुई है वह ग्रेस के साथ मानें न।

श्री उपाध्यक्ष—देरी तो दरअसल हुई है।

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि यह बिल पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया ।

सोमवार के टाइम के लिए तो यह है कि फिर ४ बजे का टाइम रहेगा। हम सोमवार के चार बजे तक के लिए स्थगित होते हैं।

(सदन की कार्यवाही ६ बजकर ४२ मिनिट पर, सोमवार दिनांक १२।३।५६ के सायं ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-६ मार्च, १६५६

मनलाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।